[2021] 14 एस. सी. आर 1

भारतीय स्कूल, जोधपुर और ए. एन. आर.

बनाम

राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

(2021 की सिविल अपील संख्या 1724)

03 मई, 2021

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016। 3 , 4 , 6-11 , 15 और 16-राजस्थान स्कूल (शुल्क का विनियमन) नियम,

2017 – आरआर। 3 , 4 , 6-8 और 11 की वैधता-राजस्थान राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा संविधान के अधिकार से बाहर होने के आधार पर चुनौती; और कला का उल्लंघन। 19 (1) (छ) चूँकि यह स्कूल शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वायत्तता छीन लेता है-उच्च न्यायालय ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देने को खारिज कर दिया

2016 और इसके तहत बनाए गए नियम-खंड का औचित्यः न्यायसंगत।

उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम के प्रावधान

2016 साथ ही 2017 के नियम भारत के संविधान के अंतर्गत हैं और कला का उल्लंघन नहीं करते हैं। 13 (2) और 19 (1) (जी)-हालाँकि, यह एस. एस. को पढ़कर किया जाता है। 4 , 7 और 2016 का 10-अधिनियम प्रदान करता है

नियामक तंत्र-विद्यालय प्रबंधन की स्वायत्तता

यह निर्धारित करने के लिए कि शुल्क संरचना अनियंत्रित है और कमजोर नहीं है-संस्थान को अपनी शुल्क संरचना तय करने का अधिकार है, जब तक कि यह मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में शामिल नहीं है-इस प्रकार, आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पारित-भारत का संविधान-अनुच्छेद 13 (2) और 19 (1) (छ) को बरकरार रखा गया।

राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016। 18 – निर्देश जारी करने की शक्ति-तथ्यों पर, राज्य प्राधिकरणों द्वारा आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने सी. बी. एस. ई. से संबद्ध स्कूलों और राजस्थान राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षण शुल्क में 70 प्रतिशत की कमी सहित स्कूल शुल्क के संग्रह को स्थगित करने के संबंध में कहा।

महामारी के कारण स्कूल-राजस्थान राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन द्वारा चुनौती-उच्च न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार सक्षम थी और उसका अधिकार क्षेत्र था निर्देश जारी करना-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास शुल्क के संबंध में निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था

2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित संरचना जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त लोगों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष के लिए इसे कम करना शामिल है

14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्कूल-इसके अलावा आदेश के संदर्भ में भी बनाए नहीं रखा जा सका

कार्यकारी शक्ति यू/कला। 162 - इसके अलावा, राज्य सरकार के लिए यह खुला नहीं था कि वह महामारी की स्थिति के प्रबंधन की आड़ में दो निजी पक्षों के बीच वैध निर्वाह अनुबंधों/लेनदेन के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी करे, जिनके साथ राज्य का कोई सीधा संबंध नहीं है-इसके अलावा, 2005 के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो इस विषय को नियंत्रित करता है -

2016 अधिनियम के तहत निर्धारित स्कूल शुल्क संरचना में बाधा डालना-लॉकडाउन के दौरान स्कूल प्रबंधन ने विभिन्न शीर्षों पर अतिरिक्त और परिचालन लागतों की बचत की होगी, जैसे कि अप्रयुक्त सुविधाओं/गतिविधियों के बदले में वार्षिक स्कूल शुल्क का 15 प्रतिशत कटौती का निर्देश जारी करना-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-राजस्थान महामारी राहत अधिनियम, 2020-न्यायिक नोटिस।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 2016 के विवादित अधिनियम की वैधता की चुनौती को खारिज करने में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए नियम राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) नियम, 2017 को बरकरार रखा गया है। हालाँकि, ऐसा अधिनियम की धारा 4,7 और 10 को बताए गए तरीके से पढ़कर किया जाता है। इन प्रावधानों को, जैसा कि व्याख्या की गई है, अब से प्रभावी किया जाएगा -

इस निर्णय में घोषित कानून के अनुरूपता। उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि 2016 के अधिनियम के साथ-साथ 2017 के नियम भारत के संविधान के अंतर्गत हैं और संविधान के अनुच्छेद 13 (2) और 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करते हैं। [पैरा 52] [58-डी-एफ]

1.2 अपीलार्थी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी दिनांकित 28.10.2020 आदेश पर हमला करने में न्यायसंगत हैं। विद्यालय शुल्क संग्रह का स्थगन और सफल होना चाहिए। हालाँकि, यह अपीलार्थियों को कठोर होने और महामारी के बाद के बारे में संवेदनशील नहीं होने का लाइसेंस नहीं देता है। सामान्य वर्दी

अप्रयुक्त सुविधाओं/गतिविधियों के बदले में वार्षिक स्कूल शुल्क का 15 प्रतिशत कटौती का निर्देश जारी किया जाता है न कि वास्तविक डेटा स्कूल-वार के आधार पर। यह परिहार्य मुकदमेबाजी को रोकने और निर्धारण के मुद्दे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से है और

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल शुल्क का संग्रह, एक के रूप में

समय का मापन। [पारस 114,118] [99-एफ-जी; 102-सी-डी] भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

2. यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती

के निर्धारण के लिए बाहरी नियामक तंत्र प्रदान करना प्रारंभिक चरण में ही "न्यायसंगत" और "अनुमेय" स्कूल शुल्क का निर्धारण। [पैरा 19] [37-ए-बी]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी. 481 [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 587; सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम.

भारत संघ और ए. एन. आर. (2012) 6 एससीसी 1: [2012] 2 एस. सी. आर. 715; इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अन्र। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (2003) 6 एससीसी 697: 2003 (2) पूरक। एससीआर 474; पी. ए. इनामदार और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 6 एससीसी 537: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 603; मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य। (2004) 5 एस. सी. सी. 583; एक्शन कमेटी, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल और अन्य। बनाम शिक्षा निदेशक, दिल्ली और अन्य। (2009) 10 एससीसी 1: [2009] 12 एस. सी. आर. 631; आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एससीसी 353: 2004 (1) पूरक। एस. सी. आर. 668; निजी दंत चिकित्सा और चिकित्सा महाविद्यालय संघ बनाम

स्टेट ऑफ एमपी 2009 एससीसी ऑनलाइन एमपी 760-संदर्भित।

3.1 2016 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह लागू किया गया था क्योंकि यह देखा गया था कि पहले

एक ही विषय पर अधिनियम में शुल्क द्वारा शुल्क निर्धारण के आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान शामिल नहीं था।

निर्धारण समिति। यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में निजी स्कूल (लगभग 34,000) हैं और एक एकल शुल्क निर्धारण समिति समय पर उचित तरीके से ऐसे स्कूलों की शुल्क निर्धारित नहीं कर सकती है। इस कारण से, 2016 का अधिनियम राजस्थान राज्य में स्कूलों द्वारा शुल्क संग्रह के विनियमन और उससे जुड़े और उससे आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए अस्तित्व में आया। यह पूरे राजस्थान राज्य में फैला हुआ है और सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों पर लागू होता है। इस अधिनियम में एक नियामक तंत्र का प्रावधान है। यह स्पष्ट है कि 2016 का अधिनियम राजस्थान राज्य के भीतर धारा 2 (टी) में निर्दिष्ट सभी स्कूलों पर लागू होता है, जिसमें धारा 2 (पी) में परिभाषित निजी स्कूल भी शामिल हैं। 2016 के अधिनियम की धारा 3 [2021] 14 एस. सी. आर. की भविष्यवाणी करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि कोई भी स्कूल स्वयं या उसकी ओर से 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित या अनुमोदित शुल्क से अधिक कोई शुल्क नहीं लेगा। [पैरा 20-22] [37-B-E; 38-C-E] 3.2 धारा 8 और नियम 10 पर ध्यान देने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उचित के निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक

शिक्षा के विकास के उद्देश्य से अधिशेष और संस्थान का विस्तार, जब तक कि यह मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में निहित नहीं है। क्या संबंधित विद्यालय द्वारा विकसित शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी होती है या

अन्यथा एक ऐसा मामला है जो अंततः 2016 के अधिनियम की धारा 7 और 10 के तहत गठित सांविधिक विनियामक समितियों, अर्थात् क्रमशः संभागीय शुल्क विनियामक समिति (डी. एफ. आर. सी.) और संशोधन समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारण/निर्णय के साथ अंतिम हो जाएगा। कि

हालाँकि, निर्णय केवल तभी आवश्यक हो जाता है जब विद्यालय स्तर शुल्क समिति (एस. एल. एफ. सी.) द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के संबंध में स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना था

विद्यालय। जबकि, यदि एस. एल. एफ. सी. शुल्क संरचना के संबंध में स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो वह संबंधित अवधि के लिए 2016 के अधिनियम के तहत शुल्क होगा और फिर डी. एफ. आर. सी. को निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

संबंधित विद्यालय में शुल्क का निर्धारण। [पैरा 26] [40-सी-एफ]

3.4 एस. एल. एफ. सी. का गठन संस्थान या विद्यालयवार किया जाता है, जबकि डी. एफ. आर. सी. एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक है।

भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम शुल्क के तथ्य की जांच करने के लिए सशक्त प्राधिकारी।

राजस्थान राज्य

उसके प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्कूल की संरचना

मुनाफाखोरी में शामिल है। इस स्थिति में, एस. एल. एफ. सी. ने स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो दोनों के बीच विवादास्पद स्थिति के निर्णय के लिए प्रदान किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। [पैरा 27] [40-जी-एच] 3.5 धारा 4 में भविष्यवाणी की गई है कि प्रत्येक निजी स्कूल अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करेगा, जिसका गठन स्कूल के प्रमुख द्वारा वर्ष की शुरुआत से तीस दिनों के भीतर किया जाना है।

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष। धारा 4 (1) (बी) में परिकल्पना की गई है कि स्कूल का प्रत्येक शिक्षक और स्कूल में प्रत्येक छात्र का अभिभावक अभिभावक-शिक्षक संघ का सदस्य होगा। धारा 4 (1) (सी) में प्रावधान है कि अभिभावक-शिक्षक संघ के गठन पर, एस. एल. एफ. सी. का गठन करने के लिए बहुत से इच्छुक माता-पिता को आकर्षित करके एक लॉटरी आयोजित की जाएगी। यह आग्रह किया गया कि एस. एल. एफ. सी. का सदस्य बनने के लिए इच्छुक माता-पिता को ड्रॉ द्वारा चुनने के लिए, 2016 के अधिनियम या 2016 के अधिनियम में कोई पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। 2017 के नियम। इसके अलावा, वार्ड के इच्छुक माता-पिता, जो आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा के 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ स्कूल में भर्ती हैं, भी इस श्रेणी में फिट हो सकते हैं, भले ही स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना में उनकी कोई हिस्सेदारी न हो।

प्रबंधन। तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इस कारण से प्रावधान को रद्द करने या प्रबंधन के किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालय। इस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जा सकता है कि लॉट का ड्रॉ इच्छुक माता-पिता के संबंध में होगा, जिनके बच्चों को आरटीई Act.Further के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भर्ती किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छुक माता-पिता को शुल्क संरचना के प्रस्ताव पर चर्चा में अच्छी तरह से सूचित और (सार्थक) बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत, उसके पास कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और वह स्कूल के विकास, वित्त के प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गतिशीलता से भी परिचित होना चाहिए। इच्छुक माता-पिता की ऐसी पात्रता की वांछनीयता निर्दिष्ट की जानी चाहिए। हालाँकि, अधिनियम या नियमों में ऐसे प्रावधानों की अनुपस्थिति, विचाराधीन प्रावधान की वैधता पर संदेह करने

का कोई आधार नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉट का ड्रॉ [2021] 14 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इच्छुक माता-पिता की पहचान करने के तरीकों में से एक होना चाहिए जो SLFC.Whether का सदस्य बन सकता है, सदस्य को इच्छुक माता-पिता में से चुनाव द्वारा चुना जाना चाहिए या उसकी पात्रता शर्तों सहित नामांकन द्वारा चुना जाना चाहिए, एक विधायी नीति है। [पैरा 28-29] [42-C-H; 43-A-B]

3.6 एस. एल. एफ. सी. की संरचना 2016 के अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) में निर्दिष्ट की गई है। इसमें एक अध्यक्ष होता है

ऐसे प्रबंधन द्वारा नामित निजी विद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधि होना; सचिव-निजी विद्यालय के प्राचार्य (पदेन); निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा एस. एल. एफ. सी. के सदस्यों के रूप में नामित तीन शिक्षक; और माता-पिता-शिक्षक संघ के पांच माता-पिता को बहुत सारे इच्छुक माता-पिता को आकर्षित करके आयोजित लॉटरी द्वारा चुना जाता है। एस. एल. एफ. सी. में दस सदस्य होते हैं-पांच, एक तरह से, प्रबंधन के प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्ति और अभिभावक शिक्षक संघ के पांच अभिभावक होते हैं। एस. एल. एफ. सी. के गठन और इसके कार्य की प्रकृति के लिए, 2016 के अधिनियम की धारा 4 में इस आधार पर कोई दोष नहीं पाया जा सकता है कि यह अधिनियम का उल्लंघन करता है।

शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार। [पैरा 30] [43-सी-एफ] 3.7 एस के नंगे अवलोकन पर। 6 , यह देखा गया है कि प्रबंधन के पास दिए गए स्कूल में शुल्क संरचना के संबंध में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार है। वह प्रस्ताव 2016 के अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित एस. एल. एफ. सी. को प्रस्तुत किया जाता है। धारा 6 के बाद प्रदान किया गया तंत्र मुख्य रूप से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। वास्तव में, धारा 6 (1) में प्रयुक्त "प्रस्ताव" पद का अर्थ होगा कि स्कूल प्रबंधन का प्रस्ताव शुल्क के संबंध में उसका सैद्धांतिक निर्णय है।

प्रासंगिक अवधि के लिए संरचना। "प्रस्ताव" अभिव्यक्ति का उपयोग किसी भी तरह से स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को कम नहीं करता है, विशेष रूप से इसके लिए अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए।

प्रासंगिक अवधि। एस. एल. एफ. सी. द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने का परिणाम एक अलग मुद्दा है। विशेष रूप से, धारा 6 (2) के तहत एस. एल. एफ. सी. का निर्णय स्कूल प्रबंधन पर बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि, यह विद्यालय प्रबंधन के लिए खुला है कि वह मामले को 2016 के अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित डी. एफ. आर. सी. को निर्णय के लिए भेजे, जो बदले में भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम का निर्णय करने के लिए बाध्य है।

राजस्थान राज्य

एक या दूसरे तरीके से संदर्भ। वास्तव में, वह निर्णय होगा

दोनों के लिए बाध्यकारी-स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ माता-पिता, जब तक कि यह गठित संशोधन समिति द्वारा बाधित न हो।

2016 के अधिनियम की धारा 10 के तहत दूसरे पक्ष के कहने पर। इसे अलग तरह से रखने के लिए, 2016 के विवादित अधिनियम की धारा 6 के तहत परिकल्पित व्यवस्था का उद्देश्य शुल्क संरचना के निर्धारण के मामले में स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को कम करना नहीं है। इसकी परिकल्पना यह है कि स्कूल प्रबंधन अपनी शुल्क संरचना निर्धारित कर सकता है, लेकिन SLFC.It के साथ बातचीत के बाद इसे अंतिम रूप दे सकता है या लागू कर सकता है, जो एक व्यापक-आधारित समिति है, जिसमें शामिल हैं: स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अभिभावक-शिक्षक संघ के पांच अभिभावक। यह केवल एक परामर्श प्रक्रिया है और सभी हितधारकों को साथ लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण है। एस. एल. एफ. सी. स्कूल प्रबंधन द्वारा अपील की अदालत के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव पर नहीं बैठता है, लेकिन केवल खुद को आश्वस्त करता है कि क्या प्रस्तावित शुल्क संरचना धारा 8 और नियम 10 में निर्दिष्ट मापदंडों को लागू करने पर स्कूल द्वारा मुनाफाखोरी में निहित है। [पैरा 33,35] [45-बी-ई, एफ-एच; 46-ए]

3.8 स्कूल फीस तय करते समय, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों सहित स्कूल प्रबंधन/एस. एल. एफ. सी., सभी

संबंधित 2016 के अधिनियम की धारा 8 और 2017 के नियमों के नियम 10 में वर्णित कारकों द्वारा निर्देशित हैं। प्रक्रिया. धारा 6 में परिकल्पना की गई है कि स्कूल प्रबंधन और माता-पिता के प्रतिनिधि के बीच प्रासंगिक अवधि के लिए शुल्क संरचना के मुद्दे का लोकतांत्रिक और सहमति से समाधान SLFC.It का हिस्सा होने के नाते एस. एल. एफ. सी. को अंतिम अधिकार नहीं देना है

शुल्क संरचना का निर्धारण स्वयं करें जो, का विशेषाधिकार है

2016 के अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार विद्यालय प्रबंधन। इस प्रकार, शुल्क निर्धारित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की स्वायत्तता

संरचना स्वयं पहली जगह में अनियंत्रित है और किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। [पैरा 36] [46-सी-ई] 3.9 धारा 7 (1) के केवल अवलोकन से यह देखा गया है कि पहले पाँच सदस्य आधिकारिक सदस्य हैं। यह एक व्यापक आधार है

स्वतंत्र समिति जिसमें दो प्रतिनिधि शामिल हैं संभागीय क्षेत्र में निजी स्कूल "संभागीय आयुक्त द्वारा नामित" और इसी तरह माता-पिता के दो प्रतिनिधि [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" संभागीय आयुक्त द्वारा नामित "। प्रतिनिधित्व

शुल्क संरचना के निर्धारण के मामले में और विशेष रूप से इस तथ्य की जांच के मामले में कि क्या संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना मुनाफाखोरी में निहित है या नहीं, संबंधित हितधारकों को दिया जाता है।

अन्यथा। इस प्रकार समझा जाता है कि 2016 के अधिनियम की धारा 7 भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार, धारा 7 में प्रदान की गई व्यवस्था इस प्रश्न के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाने के लिए है कि क्या संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित/निर्धारित शुल्क संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं -

मुनाफाखोरी, व्यावसायीकरण या अन्यथा। [पैरा 37-38] [47-G-H; 48-A, D, F-G] 3.10 जहां तक 2016 के अधिनियम की धारा 8 को चुनौती देने का संबंध है, अभिव्यक्ति "निर्धारण" का उपयोग कम नहीं होता है।

अपनी स्वयं की शुल्क संरचना निर्धारित करने में विद्यालय प्रबंधन की स्वायत्तता। यह प्रावधान केवल एक संकेतक है कि शुल्क के निर्धारण के लिए किन कारकों की गणना की जानी चाहिए और उस पैमाने पर एस. एल. एफ. सी. के साथ-साथ सांविधिक नियामक समितियां स्कूल के दावे का विश्लेषण करने की स्थिति में होंगी। प्रबंधन। यह प्रावधान, वास्तव में, वस्तुनिष्ठ मापदंडों को निर्धारित करता है कि उचित शुल्क संरचना क्या होगी-जिसके परिणामस्वरूप स्कूल प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण नहीं होगा। [पैरा 39] [48-जी-एच; 49-ए]

3.11 धारा 9 डी. एफ. आर. सी. को शुल्क के संबंध में मतभेद के संबंध में स्कूल प्रबंधन और अभिभावक-शिक्षक संघ के बीच विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।

संबंधित विद्यालय के लिए संरचना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 9 (5) यह स्पष्ट करती है कि डी. एफ. आर. सी. के पास इसके द्वारा निर्धारित शुल्क पर कोई अंतरिम रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

प्रबंधन। हालाँकि, डी. एफ. आर. सी. के समक्ष अपील या संदर्भ के लंबित रहने के दौरान धारा 6 (5) के आलोक में, स्कूल प्रबंधन डी. एफ. आर. सी. के अंतिम निर्णय तक पिछले शैक्षणिक वर्ष की फीस और इस तरह की फीस में दस प्रतिशत की वृद्धि एकत्र करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि 2016 के अधिनियम की धारा 6 (5) में बताया गया है। डी. एफ. आर. सी. का निर्णय संशोधन के समक्ष अपील करने के लिए उत्तरदायी है।

2016 के अधिनियम की धारा 10 के तहत गठित समिति।

कोई भारतीय स्कूल नहीं, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

इनमें से कुछ स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

3.12 धारा 10 संशोधन समिति के गठन से संबंधित है। यह समिति एक अपीलीय प्राधिकरण के कार्य का निर्वहन करती है जहां पीड़ित पक्ष, अर्थात् स्कूल प्रबंधन या अभिभावक-शिक्षक संघ डी. एफ. आर. सी. के निर्णय पर हमला कर सकता है। यह फिर से एक व्यापक आधार वाली स्वतंत्र समिति है जो डी. एफ. आर. सी. के फैसले के खिलाफ पसंद किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए है, जिसे इसी तर्ज पर गठित किया गया है। विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बनाए गए एक स्वतंत्र अंतिम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की स्थापना कि क्या स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी होती है या नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करता है। [पैरा 42-43] [51-D-E, F, H; 52-A] 3.13 धारा 15 व्यक्ति द्वारा 2016 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है। जबकि, धारा 16 परिणामों से संबंधित है।

किसी प्रबंधन और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन। यह समझ से परे है कि ये प्रावधान कैसे हो सकते हैं

उस गिनती के साथ आगे बढ़े। [पैरा 44] [52-ए-सी] 3.14 नियम 3 में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। स्कूल प्रबंधन कर सकता है

संचालन की प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत नहीं है स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक ने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकार का बहुत कम उल्लंघन किया, जिसमें स्वयं शुल्क संरचना का निर्धारण भी शामिल है। [पैरा 46] [52-डी-एफ] [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.15 नियम 4 एक सक्षम प्रावधान है जो शक्ति प्रदान करता है।

अभिभावक-शिक्षक संघ में कर्तव्य के साथ। यह किसी भी तरह से स्कूल शुल्क के निर्धारण के मामले में स्कूल प्रबंधन के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अभिभावक-शिक्षक संघ को शिक्षण शुल्क, अवधि शुल्क और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त

करने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि इसे स्कूल प्रबंधन के दावे का विश्लेषण करने में सुविधा मिल सके। शुल्क संरचना के उचित या अन्यथा होने के संबंध में। उस जानकारी के आधार पर, एस. एल. एफ. सी. का हिस्सा बनने वाले अभिभावक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि या तो जवाबी प्रस्ताव देने या स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत होने के लिए सार्थक रूप से बातचीत करने की स्थिति में होंगे। [पैरा 47] [53-बी-डी]

3.16 नियम 6 एस. एल. एफ. सी. को 2016 के अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां देता है और

निर्धारण के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियम स्कूल की फीस। यह नहीं समझा जा सकता है कि नियम 6 कैसे रास्ते में आएगा या स्कूल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत प्रबंधन। [पैरा 48] [54-बी]

3.17 नियमों के नियम 7 और 8 विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक हैं।

वे संबंधित समितियों की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप हैं। नियम उस तरीके का प्रावधान करते हैं जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है और इसे आगे बढ़ाया जाना है। ये प्रावधान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार स्कूल के प्रशासन सहित पहली जगह में शुल्क संरचना को निर्धारित करने के लिए स्कूल प्रबंधन की बहुत कम स्वायत्तता है। [पैरा 49] [55-एफ-एच]

3.18 नियम 11 अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

19 (1) (छ) संविधान के अनुसार विद्यालय का प्रशासन करना बहुत कम है। हालाँकि, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एस. एल. एफ. सी. या सांविधिक द्वारा एक सार्थक जांच की जा सके।

के निर्धारण में नियामक-सह-न्यायिक प्राधिकरण

तथ्य यह है कि क्या स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना प्रबंधन का परिणाम मुनाफाखोरी या अन्यथा होता है।

अगर जानकारी भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है (नियम 11 में निर्दिष्ट तरीके के अलावा), यह संबंधित के लिए मुश्किल हो जाएगा मुनाफाखोरी के संबंध में विवादास्पद मुद्दे का जवाब देने के लिए समितियाँ/अधिकारी। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दावा की गई राशि के तथ्य पर नकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने पर ही प्रबंधन में बदलाव किया जा सकता है।

विशेष गतिविधियों से संबंधित स्कूल शुल्क के लिए एक आवश्यक खर्च या अन्यथा है; और यह कि शुल्क संस्थान के विकास के लिए या अन्यथा वापस किए जा रहे उचित लाभ से अधिक होगा। अतिरिक्त राशि की वसूली

अनुमेय सीमा से अधिक लाभ में परिणाम होगा और व्यावसायीकरण। इसलिए, नियम 11 भी एक प्रासंगिक और उचित प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार को प्रभावित या कम नहीं करता है। [पैरा 50] [57-सी-एफ]

3.19 यह निवेदन कि (विद्यालय) शुल्क के संबंध में मुद्दा,

विशेष रूप से कैपिटेशन शुल्क पहले से ही संसद द्वारा आर. टी. ई. अधिनियम के रूप में अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया गया है और इस कारण से, 2016 के विवादित अधिनियम जैसे विषय पर कानून बनाना राज्य के लिए खुला नहीं था, जो पूरी तरह से गलत और कमजोर है। जिस उद्देश्य के लिए आर. टी. ई. अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया है संसद गुणात्मक रूप से अलग है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए है, जो उस उद्देश्य से स्पष्ट रूप से अलग है जिसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा 2016 का अधिनियम अधिनियमित किया गया है। केवल इसलिए कि केंद्रीय अधिनियम धारा 2 (बी) और आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित "कैपिटेशन शुल्क" अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन शुल्क एकत्र नहीं करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए आवश्यक तंत्र से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल लाभ और व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क एकत्र नहीं करते हैं। अपनी परिभाषा के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम के तहत कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या योगदान या भुगतान। दूसरी तरफ

साथ ही, स्कूल द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला शुल्क 2016 के विवादित अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित और एस. एल. एफ. सी. या सांविधिक द्वारा अनुमोदित होने के बाद किया जाना है। नियामक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो। मैदान पर कब्जा कर लिया [2021] 14 एस. सी. आर.

केंद्रीय अधिनियम 2016 के विवादित अधिनियम के तहत राज्य के कानून द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। द.

2016 का विवादित अधिनियम विशेष रूप से निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना को विनियमित करने के विषय से संबंधित है।

प्रबंधन। [पैरा 51] [57-एफ-एच; 58-ए-डी]

4.1 संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए एस. एल. एफ. सी. द्वारा एक बार निर्धारित स्कूल शुल्क में संशोधन करना राज्य प्राधिकरणों के लिए खुला नहीं है।

वर्ष वह भी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के अनुसार किए गए तरीके से। यह तथ्य कि पक्षकार कानूनी मंच के समक्ष स्कूल शुल्क में संशोधन/कमी को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं, इस तरह के आदेश के मुद्दे को उचित नहीं ठहराता है-जब तक कि राज्य प्राधिकरणों के पास शासी कानून के तहत ऐसा करने का स्पष्ट जनादेश न हो। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के अनुसार किया गया प्रस्थान नहीं था

स्कूल प्रबंधन को स्वीकार्य, जो प्रत्यक्ष रूप से अवैध है। यह उस शक्ति के स्रोत का खुलासा नहीं करता है जिसके तहत इसे जारी किया गया है। अधिक से अधिक, यह संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम टिप्पणियों पर भरोसा कर सकता है।

समय। ये टिप्पणियां राज्य प्राधिकरणों को शक्ति प्रदान नहीं कर सकती हैं जब स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना में संशोधन/कमी के संबंध में राज्य सरकार में ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है और SLFC.Moreover द्वारा अनुमोदित है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कोई कठोर समान शुल्क संरचना नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रयोग की गई शक्ति संविधान के अनुच्छेद 162 के लिए उत्तरदायी थी। क्योंकि, स्कूल शुल्क का विषय पूरी तरह से 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा कवर और शासित है। इसलिए, नीतिगत निर्णय के नाम पर, दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, जो इसके बावजूद स्पष्ट वैधानिक के अनुरूप नहीं है।

स्कूल शुल्क के विषय को नियंत्रित करने वाले प्रावधान। [पैरा 63] [70-एफ-एच; 71-ए-सी]

4.2 निर्विवाद रूप से एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है

महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन के कारण। इसका व्यक्तियों, उद्यमियों, उद्योगों और पूरे देश पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसमें अर्थव्यवस्था और सभी की क्रय क्षमता शामिल है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपना भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम खो दिया है।

राजस्थान राज्य

इस तरह की आर्थिक उथल-पुथल के बाद नौकरी और आजीविका। जो माता-पिता अत्यधिक तनाव में थे और यहां तक कि अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को संभालने में भी असमर्थ थे, उन्होंने राज्य भर में स्कूल प्रबंधन (ओं) के समक्ष उत्साहपूर्वक प्रतिनिधित्व किया। इस संबंध में मीडिया में एक सार्वजनिक चर्चा सामने आई जिसने राजनीतिक व्यवस्था को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार,

राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश, विभाग ने शुरू में केवल 09.04.2020 दिनांकित आदेश जारी किया

स्कूल शुल्क के संग्रह को स्थगित करना जो प्रतिबंध दिनांक 07.07.2020 के बाद के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। [पैरा 86] [81-सी-एफ]

4.3 एस। 18 क्या राज्य सरकार को किसी भी स्कूल को सामान्य या विशेष निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है

4.4 2016 के अधिनियम की योजना का विश्लेषण करने के बाद दो पहलू पूरी तरह से स्पष्ट हैं। पहला यह है कि एक दृढ़ तंत्र है एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदन के रूप में शुल्क संरचना के निर्धारण और यदि आवश्यक हो, तो डी. एफ. आर. सी. और संशोधन समिति द्वारा निर्णय के संबंध में 2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट। अधिनियम या नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो 2016 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्कूल शुल्क में संशोधन करने के लिए उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करता है। जबकि, 2016 के अधिनियम में स्पष्ट अधिदेश यह है कि संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निर्धारित शुल्क तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी तरह से तय किए जाने के बाद स्कूल की फीस में एकतरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। अपने हिसाब से

प्रकृति, राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्देश 2016 के अधिनियम के तहत शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने की योजना और निर्दिष्ट अवधि [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए उसके बाध्यकारी प्रभाव के साथ भी टकराव में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी संबंधितों के लिए तीन शैक्षणिक वर्ष। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के रूप में जारी किया गया निर्देश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने के दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करता है; और यह भी कि आवश्यक या आवश्यक भी है।

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समीचीन। [पैरा 92] [82-एच; 83-ए-डी] 4.5 28.10.2020 दिनांकित आदेश निर्देश की प्रकृति में होने के कारण, निर्दिष्ट पूर्व शर्तों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है।

2016 के अधिनियम की धारा 18 में। कानून के मामले में, राज्य सरकार के पास शुल्क संरचना में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिसे 2016 के अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले ही अंतिम रूप दिया गया था। परिणामस्वरूप, धारा 18 विशेष रूप से उत्तरदाताओं के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी। राज्य सरकार दिनांकित 28.10.2020 आदेश को उचित ठहराए। [पैरा 93] [83-डी-एफ]

4.6 यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार

जिन मामलों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की क्षमता है और यह उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन पर कानून पहले ही पारित किया जा चुका है। यह भी सर्वसम्मत है कि राज्य सरकार संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। शुल्क संरचना के निर्धारण का विषय और क्या यह मुनाफाखोरी में शामिल है, पहले से ही 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के रूप में कानून द्वारा कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि उस विषय या उसके किसी आनुषंगिक पहलू को शामिल करने वाला कोई अधिनियम नहीं है। 2016 का अधिनियम, जो अपने आप में उक्त विषय पर एक स्व-निहित संहिता है, न केवल उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें संबंधित विद्यालय को अपनी शुल्क संरचना को अंतिम रूप देना चाहिए, बल्कि यह भी घोषणा करता है कि आम सहमति से या निर्णय के माध्यम से इस तरह से अंतिम रूप दिया गया शुल्क तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा। किसी भी मामले में, शुल्क में कमी सहित शुल्क का निर्धारण निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधन का अनन्य विशेषाधिकार है। द.

राज्य स्कूल प्रबंधन के उस निर्णय को विनियमित करने के लिए केवल इस हद तक स्वतंत्र तंत्र प्रदान कर सकता है कि इसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण न हो। [पैरा 94] [83-एफ-एच; 84-ए-सी] भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

4.7 तथ्य यह है कि दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में जारी किया गया निर्देश, बिना किसी अपवाद के, स्कूल शुल्क के निर्धारण और तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए सभी संबंधितों पर इसके बाध्यकारी प्रभाव के मामले में 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट व्यवस्था से टकराता है। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में राज्य

सरकार ने विवादित आदेश की पुष्टि की थी, इसे नहीं लेती है

आगे की बात। इसमें, राज्य सरकार द्वारा उस विषय के संबंध में कोई पूर्व कार्योत्तर अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है, जिस पर वह स्वयं कानून में ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती है। [पैरा 96] [84-ई-जी] 4.8 विशेष रूप से, न केवल शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने का विषय और उससे संबंधित मामलों को संहिताबद्ध किया गया है

2016 के अधिनियम के रूप में, लेकिन केंद्रीय अधिनियम के रूप में महामारी की स्थिति के दौरान मामलों से निपटने के लिए एक कानून भी बनाया गया है, जिसका नाम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, जिसमें राज्य विधान यानी 2020 का अधिनियम भी शामिल है। वास्तव में, राज्य का कानून महामारी रोगों और इसके प्रबंधन के विषय से संबंधित है। उन अधिनियमों में भी राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है -

निजी पक्षों के बीच मामलों के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलू जिनके साथ राज्य का कोई सीधा कारण संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, महामारी की स्थिति के दौरान मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल द्वारा पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। इस प्रकार, राज्य सरकार वैध नियमों के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए तैयार नहीं है।

महामारी की स्थिति के प्रबंधन की आड़ में या दो निजी पक्षों के बीच स्थायी अनुबंध/लेनदेन, जिनके साथ राज्य का कोई सीधा संबंध नहीं है,

एक "दो निजी पक्षों में से" दूसरे की कीमत पर। यह एक अलग मामला है, अगर एक नीति के रूप में, राज्य सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की स्कूल फीस पर सब्सिडी देने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत विवादित निर्देश जारी करने (स्कूल प्रबंधन को संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए कम स्कूल शुल्क वसूलने के लिए) के लिए खुद को कम अधिकार नहीं दे सकती है। यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा [2021] 14 एस. सी. आर. के आर्थिक पहलुओं के संबंध में भी निर्देश जारी करने की शक्ति का संरक्षण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो निजी पक्षों के बीच वैध निर्वाह अनुबंध/लेनदेन, यदि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की शुल्क संरचना के संबंध में स्वीकार किए जाते हैं, तो राज्य के लिए अनिर्धारित अनंत जोखिम और अनिश्चितता से भरा होता है। क्योंकि, इसी तर्क को लागू करते हुए राज्य सरकार को अन्य के संबंध में इसी तरह की चिंताओं को दूर करना पड़ सकता है।

जीवन के हर पहलू में दो निजी व्यक्तियों के बीच संविदात्मक मामले या लेनदेन जो संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार पर असर डाल सकते हैं। यह न केवल पेंडोरा बॉक्स खोलेगा, बल्कि राज्य

सरकार को राज्य के लिए आर्थिक रूप से असंभव और भारी बनाने वाले उपायों को कम करने के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों और वर्गों से सब्सिडी देने सहित मांगों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित करेगा और अंततः ईमानदार करदाताओं पर बोझ डालेगा जो भी इसी तरह के भोग के हकदार हैं। ऐसी मांगों के जवाब में राज्य के चयनात्मक हस्तक्षेप से भी नुकसान हो सकता है -

भेदभाव और निजी अधिकारों पर भी प्रभाव डालने की संभावना

व्यक्ति (ओं)-वस्तु या सेवा प्रदाता का आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो। राज्य संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग पेशकश करने वाले व्यक्ति को अस्वीकार करने के लिए नहीं कर सकता है।

ऐसी सेवा (ओं) या माल के प्राप्तकर्ता से उचित मुआवजा/लागत प्राप्त करने के उसके न्यायसंगत दावे की सेवा (ओं) या माल, जहां से राज्य का कोई प्रत्यक्ष कारण संबंध नहीं है। [पैरा 97-98] [85-A-H; 86-A-B]

राय साहब राम जवाया कपूर और अन्य। बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549: [1955] 2 एससीआर 225; सचिव, ए. पी. डी. जैन पाठशाला और अन्य। बनाम शिवाजी भागवत मोरे और अन्य। (2011) 13 एससीसी 99: [2011] 6 एस. सी. आर. 1173-संदर्भित।

4.9 यह कहना एक बात है कि राज्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की शुल्क संरचना को विनियमित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल

प्रबंधन मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में लिप्त नहीं है, लेकिन उस शक्ति के प्रयोग की आड़ में, यह विनियमन की रेखा को पार नहीं कर सकता है और अपने छात्रों से "न्यायसंगत" और "अनुमेय" स्कूल शुल्क तय करने और एकत्र करने के लिए स्कूल की स्वायत्तता को बाधित नहीं कर सकता है। यह निश्चित रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जैसे कानून द्वारा शासित एक आवश्यक वस्तु नहीं है।

राज्य को शुल्क या मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देना। संविधान पीठ सहित इस न्यायालय द्वारा लगातार दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में, स्कूल शुल्क संरचना का निर्धारण (जिसमें भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम शामिल है)।

राजस्थान राज्य

प्रासंगिक अवधि के लिए निश्चित स्कूल शुल्क में कमी) एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल चलाने वाले स्कूल प्रबंधन का अनन्य विशेषाधिकार है, यह विधानमंडल के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करने के अलावा उस पहलू को छूते हुए कानून बनाने के लिए खुला नहीं है

यह सुनिश्चित करने के लिए शुल्क को विनियमित करना कि इसके परिणामस्वरूप स्कूल प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण न हो।

नतीजतन, राज्य सरकार भी इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। [पैरा 99] [86-सी-ई]

4.10 विद्यालय प्रबंधन को विवादित आदेश में दिया गया निर्देश वार्षिक का केवल निर्दिष्ट प्रतिशत एकत्र करना है।

ट्यूशन फीस इस धारणा पर कि स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी 21.अपीलार्थियों ने इसके विपरीत संकेत देते हुए संबंधित बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा करके इस धारणा का खंडन किया है। किसी भी मामले में, यह स्कूल को बाहर नहीं निकालता है

आवर्ती पूंजी और उनके शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक भुगतान सहित राजस्व व्यय से प्रबंधन संबंधित अवधि के लिए कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और परिलब्धि। क्योंकि, स्कूल प्रबंधन को उनके वेतन से उपयुक्त राशि काटने का कोई संबंधित अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार, विवादित आदेश का प्रभाव अधिनियम के तहत निर्धारित स्कूल शुल्क को कम करना है, जिसमें अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

2016 से। इसके अलावा, इसके बावजूद, दिया गया निर्देश उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है। इसे संक्षिप्त में रखने के लिए, जारी किया गया विवादित आदेश राज्य सरकार की शक्ति से परे मामलों के संबंध में है-शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल प्रबंधन मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में लिप्त न हो। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में भी दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

[पैरा 100] [86-एफ-एच; 87-ए-बी]

4.11 2005 के अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह समझ से परे है कि राज्य प्राधिकरणों ने इसके तहत कैसे स्थापना की

कथित अधिनियम वैध निर्वाह संविदात्मक मामलों या उनके बीच लेन-देन के आर्थिक पहलुओं पर निजी पक्षों को निर्देश जारी करने की शक्ति को अपने लिए अभिमानी बना सकता है। किसी भी मामले में, विवादित आदेश जारी नहीं किया गया है

2005 के अधिनियम में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण। यह [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए पर्याप्त नहीं है।

कहते हैं कि वही प्रमुख के निर्देशों के तहत जारी किया गया था

राज्य मंत्री। क्योंकि, मुख्यमंत्री केवल 2005 के अधिनियम की धारा 14 के तहत स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (पदेन) हैं। 2005 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित स्कूल शुल्क संरचना को बाधित करने के विषय से संबंधित या नियंत्रित करता हो। [पैरा 110] [96-ई-जी]

4.12 इसकी धारा 72 में भविष्यवाणी की गई है कि अधिनियम के प्रावधानों का उस समय लागू अन्य कानूनों या 2005 के अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में असंगत किसी भी चीज़ पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, यह प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब यह माना जाए कि 2005 के अधिनियम के तहत सांविधिक प्राधिकरणों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूल शुल्क संरचना के विषय से निपटने की शक्ति है। 2005 के अधिनियम की धारा 72 दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है। 2005 के अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (या राज्य सरकार) को स्कूल शुल्क संरचना के संबंध में आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार देता है क्योंकि

4.13 राज्य विधान, अर्थात् राजस्थान महामारी रोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों पर रखी गई निर्भरता दिनांकित विवादित आदेश को सही ठहराने के लिए कोई काम नहीं आएगी। 28.10.2020 . 2020 के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित उपाय किसी भी तरह से हवाई, रेल, सड़क, अस्पताल, अस्थायी आवास के "शुल्क" से संबंधित नहीं हैं। यह प्राधिकरण को केवल उन किसी भी उपयोग या गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है जिन्हें सरकार पर्याप्त मानती है।

महामारी रोगों को फैलाना या प्रसारित करना और उस उद्देश्य के लिए ऐसी बीमारियों से संक्रमित होने के संदेह वाले विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करना। वास्तव में, यह राज्य में कार्यालयों, सरकारी और निजी और शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है। हालाँकि, यह केवल इसके उपयोग के तरीके और इसके समय के संबंध में होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है कि महामारी रोग न फैलें या न फैलें।

उसमें की गई गतिविधियों के कारण फैलता है। विनियमित करने की उस शक्ति का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क, शुल्क या लागत को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम के आर्थिक पहलुओं में किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य

कहने के लिए दो निजी पक्षों के बीच संविदात्मक मामले

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्कूल फीस। [पैरा 112] [97-सी; 98-एफ-एच; 99-ए]

4.14 एक प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

जारी किए गए, उत्तरदाताओं-राज्य अधिकारी महामारी के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में कई माता-पिता द्वारा किए गए अभ्यावेदन की पृष्ठभूमि में आवश्यक कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई सौम्य आशा से पीछे नहीं हट सकते हैं स्थिति। यह एक अलग बात होती अगर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने अच्छे पदों का उपयोग प्रभावित करने के लिए किया होता।

संबंधित विद्यालय (विद्यालयों) के विद्यालय प्रबंधन को अपने दम पर शैक्षणिक वर्ष के लिए कम करने के उपायों/विकल्पों का पता लगाना और अपने छात्रों को कम से कम अप्रयुक्त सुविधाओं और बचत के संबंध में उस ओर से विद्यालय प्रबंधन द्वारा रियायत देना या योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में रियायत देना। अपीलार्थियों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने अपने दम पर अपने छात्रों को वार्षिक शुल्क का 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति की पेशकश की थी। दूसरे शब्दों में, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा स्कूल के संघ के बीच मध्यस्थता कर सकते थे

प्रबंधन और माता-पिता के प्रतिनिधि-शिक्षक मानवीय आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए महामारी की स्थिति के कारण एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए संगठन,

लेकिन विवादित आदेश जारी नहीं कर सके जब राज्य के पास भी इसे जारी करने की शक्ति नहीं थी। [पैरा 113] [99-बी-एफ] 4.15 स्कूल प्रबंधन के शिक्षा प्रदान करने की धर्मार्थ गतिविधि में लगे होने की उम्मीद है

उस स्थिति के प्रति उत्तरदायी और जीवित रहें और छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करें और उनके माता-पिता। यह स्कूल प्रबंधन का काम है कि वह स्कूल शुल्क के भुगतान को इस तरह से पुनर्निर्धारित करे कि एक भी छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित न रहे या वंचित न रहे, ताकि कहावत "जियो और जीने दो" को प्रभावी बनाया जा सके। [पैरा 114] [99-जी-एच; 100-ए] [2021] 14 एस. सी. आर.

विद्यालय द्वारा निर्धारित/सांविधिक विनियामक द्वारा न्यायनिर्णित संबंधित अवधि के लिए अधिकारी। [पैरा 115] [100-बी-ई]

4.17 यह माना जाता है कि वार्षिक स्कूल शुल्क का कम से कम 15 प्रतिशत अधिभार/खर्चों की बचत के लिए होगा। विद्यालय प्रबंधन। अन्यथा, यह धारणा निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा वास्तविक बचत की तुलना में अधिक है।

गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, फिर भी उस प्रतिशत को तय करने का झुकाव है क्योंकि शैक्षणिक संस्थान ऐसा करने में लगे हुए हैं शिक्षा प्रदान करने और फैलाने की धर्मार्थ गतिविधि, न कि पैसा कमाने की। कि उन्हें स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से करना चाहिए। इसलिए, समतुल्य राशि (शैक्षणिक वर्ष के लिए वार्षिक स्कूल शुल्क का 15 प्रतिशत) का संग्रह, स्कूल प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण का मामला होगा। [पैरा 116] [100-ई-एच; 101-ए] भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य 4.18 आम तौर पर, पदच्युत करना उचित होता

स्कूल द्वारा प्राप्त लाभ सहित मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल शुल्क को फिर से निर्धारित करने के लिए नियामक प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार

छात्रों द्वारा उपयोग नहीं की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में बिना खर्च किए गए अधिभार/खर्चों के कारण प्रबंधन। हालाँकि, वह पाठ्यक्रम हो सकता है

इस निर्णय के संदर्भ में प्रस्तावित व्यवस्था द्वारा अस्वीकृत। कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए (क्योंकि स्कूल शुल्क संरचना स्कूल-स्कूल वार से जुड़ी हुई है) जिसमें वार्षिक निर्धारण में 36,000 से अधिक स्कूलों द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं की अनिश्चितता शामिल है। शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क संरचना 2020-21, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में, निर्देश जारी किए जाते हैं:

((i)

अपीलार्थी (संबंधित का विद्यालय प्रबंधन)

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय) अपने छात्रों से शैक्षणिक वर्ष के लिए 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित वार्षिक स्कूल शुल्क एकत्र करेंगे।

संबंधित अवधि के दौरान छात्रों द्वारा उपयोग न की गई सुविधाओं के बदले उस राशि पर 15 प्रतिशत की कटौती।

शैक्षणिक वर्ष की अवधि 2020-21।

संबंधित छात्रों द्वारा इस प्रकार देय राशि

((ख)

छह समान मासिक किश्तों में भुगतान किया गया

05.08.2021 जैसा कि दिनांकित 08.02.2021 आदेश में उल्लेख किया गया है।

(iii) अपीलार्थियों (संबंधित स्कूलों) के लिए अपने छात्रों को और रियायत देने या खंड (i) और (ii) में उल्लिखित रियायतों के अलावा रियायत देने के लिए एक अलग पैटर्न विकसित करने के लिए खुला होगा।

((iv) विद्यालय प्रबंधन किसी भी छात्र को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

ऑनलाइन कक्षाओं या शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने से किश्तों सहित शुल्क, बकाया/बकाया शुल्क का भुगतान न करने के कारण और उस पर किसी भी छात्र की परीक्षा के परिणाम को नहीं रोकेगा।

खाता।

(v)

यदि माता-पिता/वार्ड द्वारा कोई व्यक्तिगत अनुरोध किया जाता है

शैक्षणिक के लिए वार्षिक शुल्क जमा करना मुश्किल हो रहा है

वर्ष 2020-21 उपरोक्त शब्दों में, विद्यालय

प्रबंधन इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगा

मामला-दर-मामला आधार पर सहानुभूतिपूर्वक।

(vi)

उक्त व्यवस्था संग्रह को प्रभावित नहीं करेगी

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए शुल्क, जैसा कि द्वारा देय है संबंधित विद्यालय के छात्र जब भी ऐसा करें

देय और देय हो जाता है।

(vii) स्कूल प्रबंधन किसी भी छात्र/उम्मीदवार का नाम कक्षा 10 और 12 के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस आधार पर नहीं रोकेगा कि शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क/बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

संबंधित माता-पिता/छात्र। [पैरा 117] [101-बी-एच;

102 - ए-बी]

4.19 वार्षिक विद्यालय शुल्क से कटौती की मात्रा है -

15 प्रतिशत तक सीमित, हालांकि स्कूल प्रबंधन के पास था

योग्य छात्रों को 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान करने की अपनी इच्छा के बारे में उल्लेख किया, क्योंकि स्कूल प्रबंधन शैक्षणिक वर्ष के लिए वार्षिक स्कूल शुल्क एकत्र करने के लिए मजबूर है, जैसा कि शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, जिस पर कुछ स्कूल प्रबंधन 2016 के अधिनियम की धारा 6 (5) के संदर्भ में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए वैध रूप से कह सकते थे। [पैरा 118] [102-डी-ई]

रामजस स्कूल बनाम। शिक्षा निदेशालय लेखन

2018 की याचिका (सी) संख्या 9688; नरेश कुमार बनाम.

शिक्षा निदेशक, दिल्ली रिट याचिका (सी) संख्या 2993

2020 का; प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट

(पंजीकृत) और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। (2014) 8

एससीसी 1: [2014] 11 एससीआर 712; एम. पी. और अन्य का राज्य। बनाम।

नंदलाल जयस्वाल और अन्य। (1986) 4 एससीसी 566 [1987] 1

एस. सी. आर. 1; पठान मोहम्मद सुलेमान रहमतखान बनाम।

गुजरात राज्य और अन्य। (2014) 4 एससीसी 156: 2013 (12)

एस. सी. आर. 446; गुजरात उच्च न्यायालय और ए. एन. आर. बनाम गुजरात किशन मजदूर पंचायत और अन्य। (2003) 4 एस. सी. सी. 712

: [2003] 2 एससीआर 799; एम. टी. खान और अन्य। वी. सरकार. ए. पी. और अन्य। (2004) 2 एससीसी 267: [2004] 1 एस. सी. आर. 117; एन. मणि बनाम संगीत थिएटर और अन्य। (2004) 12 एस. सी. सी. 278; भारत संघ बनाम मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट (2018) 8

एससीसी 321: [2018] 7 एस. सी. आर. 939-संदर्भित।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

मामला कानून संदर्भ

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

[2012] 2 एससीआर 715

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2003] 2 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2005] 2 पूरक। एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

(2004) 5 एस. सी. सी. 583

पैरा

10

संदर्भित किया गया है

[2009] 12 एससीआर 631

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2004] 1 पूरक। एससीआर 668

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2014] 11 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा

70

[1987] 1 एससीआर 1

पैरा

71

संदर्भित किया गया है

[2013] 12 एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

[2003] 2 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पैरा

73

[2004] 1 एससीआर 117

संदर्भित किया गया है

पैरा

73

(2004) 12 एस. सी. सी. 278

संदर्भित किया गया है

पैरा

73

[2018] 7 एससीआर 939

संदर्भित किया गया है

पैरा

95

[1955] 2 एससीआर 225

पैरा

97

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 1173

संदर्भित किया गया है

पैरा

97

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1724

2021 से।

उच्च न्यायालय के 14.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डी. बी. में जोधपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6453. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6414. डी. बी. के साथ 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 5080. डी. बी. के साथ 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 5088. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6454. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6480. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6485. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6491. डी. बी. के साथ 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 6492 और डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7919।

के साथ सिविल अपील सं।
1713-1722 , 1723 , 1725 , 1729 , 1730 , 1726 , 1727

28 , 1732 , 1731 , 1733-35 , 1736 2021 से।

[2021] 14

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्याम दीवान, पल्लव शिशोदिया, डॉ. मनीष सिंघवी, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अनूप सिंघी, पुनीत जैन, अंकित आनंदराज शाह, सुश्री क्रिस्टी जैन, सौरभ राजपाल, सुश्री अंशुला लारोइया, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सुश्री श्रेया गुप्ता, के. परिवेधन, संदीप कुमार झा, सुश्री पद्मलक्ष्मी अयंगर, निशांत पाटिल, विदित मोंगा, अजीम सैमुअल, सुश्री अलंकृता शर्मा, ऋषभ खंडेलवाल, सुश्री डेज़ी हन्ना, प्रतीक कासलीवाल, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री गौरी जसाना, प्रखर शर्मा, सुनील समदरिया, संतोष मिश्रा, नीरज शेखर, रोमी चाको, शक्ति यूनुक लीगल एलएलपी, डॉ. रमन दीप सिंह सिद्धू (खरलिया), श्रीमती प्रज्ञा बघेल, रुपेश कुमार, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी

श्रीवास्तव, अलेक्जेंडर शर्मा, प्रवेश बहुगुणा, अनिलेंद्र पांडे, चरण पाल सिंह बागड़ी, संदीप, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन दो अपीलों का निपटारा इस आम याचिका द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलों के पहले समूह में, छह अपीलें 1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 14.08.2019 के आदेश से निकलती हैं। जोधपुर में राजस्थान के लिए न्याय और दो अन्य अपील 2 उसी उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के दिनांकित 11.02.2020 के फैसले और आदेश के खिलाफ, जो जोधपुर सीट के पहले के फैसले का अनुसरण करता था।

ऊपर उल्लिखित। इन मामलों में, के अपीलार्थी (प्रबंधन)

1 1 एस. एल. पी. (सी) सं. 2019 का 27881; 2019 का एसएलपी (सी) Nos.27907-27916; एसएलपी (सी) संख्या। 2019 का 27987; एसएलपी (सी) सं। 2020 का 2942; एसएलपी (सी) सं। 2020 का 5902; और 2021 का एसएलपी (सी) संख्या @डायरी संख्या (ओं)। 6803 2020 का; 2 एस. एल. पी. (सी) संख्या से उद्भूत। 5470 और 2020 का 5589 3 संक्षेप में, "2016 का अधिनियम"

4 संक्षेप में, "द रूल्स ऑफ 2017" भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

3. अपीलों के दूसरे सेट में, चार अपीलें भी दायर की गईं

राजस्थान राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबंधन, उसी उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और दिनांक 18.12.2020 के आदेश से निकलता है। इन अपीलों में राज्य प्राधिकरणों द्वारा 09.04.2020,07.07.2020 और 28.10.2020 पर पारित आदेशों को चुनौती दी गई है।

मार्च 2020 से महामारी (लॉकडाउन) के बाद संबंधित बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रम में कमी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के 70 प्रतिशत और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों से 60 प्रतिशत तक सीमित शुल्क में कमी सहित स्कूल शुल्क संग्रह को स्थगित करने के संबंध में।

4. इन सभी अपीलों में शामिल मुद्दे लगभग 36,000 हैं।

ऊपर निर्दिष्ट 2016 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित राजस्थान राज्य में 220 अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों सहित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल। तदनुसार, इन सभी अपीलों को एक साथ जोड़ा गया और समान रूप से सुना गया। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दो व्यापक मुद्दे उत्पन्न होंगे

हमारा विचार।

रीः पहला सेटः

5. अपीलों के पहले सेट पर लौटते हुए, चुनौती है

5 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या @Diary संख्या (ओं) से उत्पन्न। 44 2021 का; एसएलपी (सी) सं। 2021 का 431; एसएलपी (सी) संख्या। 577-579 2021 का; और 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 2494 6 संक्षेप में, "एस. एल. एफ. सी". [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा

शिक्षा अधिनियम, 20097। वास्तव में, स्कूल शुल्क के निर्धारण के मामले में उत्तरार्द्ध का कोई हित नहीं है। चूँकि इच्छुक माता-पिता का चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है, इस प्रक्रिया में वह व्यक्ति भी जिसके पास कुछ भी नहीं है

विद्यालय के विकास, वित्त प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गतिशीलता का ज्ञान, विद्यालय शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा। एस. एल. एफ. सी. के सदस्यों के अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी हित होंगे। वे यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि न्यूनतम विद्यालय शुल्क को अंतिम रूप दिया जाता है। नामित शिक्षक लगातार कर सकते हैं

एस. एल. एफ. सी. के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति का फायदा उठाकर प्रबंधन का पक्ष लें। इस प्रक्रिया में, एक तरफ स्कूल प्रबंधन और एस. एल. एफ. सी. का हिस्सा बनने वाले बच्चों और शिक्षकों के माता-पिता के बीच निरंतर मतभेद का माहौल बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि 2016 के विवादित अधिनियम के प्रावधान एस. एल. एफ. सी. को संबंधित अवधि के दौरान वार्डों से एकत्र की जाने वाली स्कूल फीस के मामले में स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को ओवरराइड करने का अधिकार देते हैं। प्रभावी रूप से, माता-पिता जो एस. एल. एफ. सी. के सदस्य हैं, स्कूल शुल्क के निर्धारण के संबंध में स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी। माता-पिता शिक्षकों की जोड़ी जो एस. एल. एफ. सी. का हिस्सा हैं, उनका स्कूल को उत्कृष्टता की दिशा में विकसित करने के लिए नई सुविधाएं या प्रतिबद्धता बनाने का कोई इरादा या प्रेरणा नहीं होगी। इसके अलावा, वे किसी भी ऐसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं होंगे जो अंततः स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

चिंतित हैं। इस संबंध में केवल स्कूल प्रबंधन को ही जवाबदेह ठहराया जाएगा, जबकि स्कूल प्रबंधन को स्कूल शुल्क निर्धारित करने की अपनी स्वायत्तता से वंचित किया जाता है। एस. एल. एफ. सी. द्वारा 2016 के विवादित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार निर्धारित स्कूल शुल्क अगले तीन वर्षों के लिए अपरिवर्तित और बाध्यकारी रहेगा, जिसमें नए विकास या सामान्य मुद्रास्फीति या कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी में वृद्धि या किसी अन्य वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक धन की आकस्मिकता के मामले में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होगा।

6. 2016 का विवादित अधिनियम संभागीय शुल्क नियामक समितियों और संशोधन समिति को व्यापक शक्तियां भी देता है, जिनमें शामिल हैं - समन, तलाशी, जब्ती और दंड जारी करने की शक्ति जैसे कि शिक्षा प्रदान करने का व्यवसाय अतिरिक्त वाणिज्य के समान है। इस स्कूल

' संक्षेप में, "आर. टी. ई. अधिनियम" 8, संक्षेप में "डी. एफ. आर. सी." भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रबंधन-अपीलकर्ताओं को आशंका है कि स्कूल शुल्क के निर्धारण के संबंध में विवाद अंतहीन होगा और अपील, संशोधन और न्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया में उलझा होगा। नतीजतन, स्कूलों को वित्तीय मामलों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, 2016 के अधिनियम के तहत अंततः निर्धारित होने के बाद स्कूल शुल्क की वसूली की गारंटी देने के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं किया गया है। 2016 के विवादित अधिनियम के काम करने से अंततः निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के विकास और विकास में बाधा आएगी और सभी छोटे और बड़े स्कूलों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जो मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा और इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत के खिलाफ होगा कि

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की स्कूल फीस स्कूल-आधारित होनी चाहिए न कि एक कठोर या समान व्यवस्था। अपीलार्थियों के अनुसार, स्कूल शुल्क के निर्धारण के लिए गिने गए कारक अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और अप्रासंगिक हैं। एक अच्छा विद्यालय बनाने जैसे महत्वपूर्ण कारकों को 2016 के विवादित अधिनियम की धारा 8 में भी शामिल नहीं किया गया है। स्कूल फीस के निर्धारण की प्रक्रिया एक गतिशील अभ्यास है और इसे स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने दम पर प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि स्कूल की स्थापना अनिवार्य रूप से एक दान है। अपीलार्थियों के अनुसार, 2016 के विवादित अधिनियम के प्रावधान अव्यवहारिक हैं और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। राज्य निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क को केवल तभी विनियमित कर सकता है जब यह दर्शाता है कि यह मुनाफाखोरी या कैपिटेशन में निहित है, जो कानून द्वारा निषिद्ध है।

नियुक्ति का अधिकार, अनुशासनात्मक शक्तियों सहित प्रशासन, छात्रों का प्रवेश और "शुल्क लिया जाना" जैसा कि इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य में न्यायालय। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य "। . न्यायालय ने कहा कि यह आम जनता के हित में है कि अधिक अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालय स्थापित किए जाएं। ऊपर उल्लिखित मामलों में स्कूल प्रशासन की स्वायत्तता और गैर-विनियमन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे और संस्थान स्थापित किए जाएं। इस विचार को सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्र में दोहराया गया है। 10

8. अपीलार्थियों के अनुसार, विद्यालय स्तर की गतिविधियाँ

शिक्षा पेशेवर स्तर से गुणात्मक रूप से अलग है।

9 9 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 (पैरा 60 और 61) 10 (2012) 6 एस. सी. सी. 1 (पैरा 50 से 53)

शिक्षा. इसलिए, चिकित्सा आदि के लिए पेशेवर कॉलेजों के लिए शुल्क के निर्धारण की तुलना में स्कूल शुल्क का निर्धारण पूरी तरह से अलग है। 2016 का विवादित अधिनियम आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है-क्योंकि स्कूल शुल्क के निर्धारण के संबंध में स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई ठोस संबंध/उद्देश्य हासिल नहीं किया जाना चाहिए।

9. अंत में यह आग्रह किया जाता है कि स्कूल शुल्क के विनियमन के संबंध में विधायी क्षेत्र पहले से ही संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अधिकृत है।

आर. टी. ई. अधिनियम 1 1 और उसके तहत बनाए गए नियम 1 2। इसलिए ऐसा नहीं था।

राज्य विधायिका को उसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।

स्कूल प्रबंधन, यदि क्रम में पाया जाता है, तो आम तौर पर अनुमोदित किया जाता है और यह एस. एल. एफ. सी. के लिए खुला है कि वह जवाबी सुझाव दे जो स्कूल प्रबंधन को स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई मतभेद है, तो केवल तभी मामला डी. एफ. आर. सी. के समक्ष प्रतिद्वंद्वी दावों के निर्णय के लिए जाता है और उस प्राधिकरण का निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी हो जाता है। इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन, एस. एल. एफ. सी. के साथ-साथ न्यायनिर्णायक-सह-नियामक प्राधिकरण, उनमें से प्रत्येक अधिनियम की धारा 8 में वर्णित सिद्धांतों और कारकों द्वारा निर्देशित है। 2016 और स्कूल शुल्क के निर्धारण के मामले में 2017 के नियमों के नियम 10। शुल्क निर्धारण के लिए इस तरह के बाहरी विनियमन को इस न्यायालय द्वारा क्रमिक निर्णयों में मान्यता दी गई है और अनुमोदित किया गया है। , इस्लामी

शिक्षा अकादमी और ए. एन. आर. बनाम। कर्नाटक राज्य और Ors.[13] 13, पी. ए. इनामदार और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और Ors.[14], मॉडर्न स्कूल

11 आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 13 और 16 2 बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (नियम 12,15 और 16) 13 (2003) 6 एस. सी. सी. 697 (5-न्यायाधीश पीठ) 14 4 (2005) 6 एस. सी. सी. 537 (7-न्यायाधीश पीठ)

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

बनाम भारत संघ और अन्य "। , कार्रवाई समिति, गैर-सहायता प्राप्त निजी

विद्यालय और अन्य। बनाम शिक्षा निदेशक, दिल्ली और आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और Ors.[17]। प्रत्यर्थी के अनुसार-राज्य की स्थापना

बाहरी शुल्क नियामक प्राधिकरण इस न्यायालय के न्यायशास्त्रीय स्पष्टीकरण के अनुरूप है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं माना गया है। राज्य के अनुसार, 2016 के अधिनियम के प्रावधानों में कोई अस्पष्टता नहीं है। इसमें, विचाराधीन वैधानिक प्रावधानों में प्रतिपादित सिद्धांत नहीं हैं

अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए अप्रासंगिक या तर्कहीन।

11. प्रत्यर्थी-राज्य ने भी केवल इसके नामकरण के आधार पर 2016 के विवादित अधिनियम को चुनौती देने का खंडन किया है। राज्य के अनुसार, 2016 के विवादित अधिनियम में मुनाफाखोरी की

रोकथाम और कैपिटेशन शुल्क लेने के शब्दों का उल्लेख न करना, वास्तव में उसी को संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं बनाता है। यह आग्रह किया जाता है कि ए

अनुसंधान केंद्र (उपरोक्त) ने बाहरी समितियों द्वारा शुल्क निर्धारित करने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित समान प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है और इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा स्थापित चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 12. प्रत्यर्थी-राज्य आग्रह करेगा कि उच्च न्यायालय विवादित निर्णय में अलग-अलग व्याख्याओं को स्वीकार करने के बाद

2016 के अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि वहां से बहने वाला अधिकार एक पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं था। इसके अलावा, 2016 के विवादित अधिनियम की वैधता पर हमला करने के लिए निर्धारित आधारों में कोई सार नहीं है। 13. उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रचार की गई इन दलीलों का विज्ञापन किया और अंततः इन दलीलों की वैधता की चुनौती को खारिज कर दिया।

2016 का विवादित अधिनियम दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से

मॉडर्न स्कूल (ऊपर) और मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च केंद्र (ऊपर) ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया:

16 (2009) 10 एस. सी. सी. 1 (3-न्यायाधीश पीठ) 17 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 (5-न्यायाधीश पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्कूली शिक्षा में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के गंभीर उद्देश्य के साथ प्रकृति में नियामक। शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए समिति के गठन को किसी भी तरह से पूरी तरह से एक प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है। बाय-स्कूल प्रबंधन को पास करें। इस समिति की अध्यक्षता प्रबंधन के प्रतिनिधि के अलावा प्रिंसिपल सचिव के रूप में करते हैं, जिसमें प्रबंधन द्वारा नामित तीन शिक्षक और अभिभावक शिक्षक संघ से नामित पांच अभिभावक होते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि राज्य ने पूरी तरह से हस्तक्षेप किया है

प्रबंधन की शाखाएँ या उनकी स्वायत्तता पर आक्रमण करना किसी भी योग्यता से रहित एक मधुर निवेदन है।

शुल्क निर्धारित करने के मानदंड भी अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए वैध विचारों पर आधारित हैं। अतः यहाँ तक कि

स्कूल की शुल्क संरचना पर विचार करते समय, समिति को अपनी सनक और कल्पना पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए। इसके अलावा, समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के खिलाफ उपाय भी है कानून में अपील/संदर्भ और दूसरी अपील के माध्यम से प्रदान किया गया है, जो याचिकाकर्ताओं के स्वायत्तता पर अनुचित प्रतिबंधों के बारे में उनके तर्क को पर्याप्त रूप से अस्वीकार करता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत परिकल्पित अस्वीकार्य बाधाओं की शरारत। 20. क़ानून और प्रवर्तन पद्धति के तहत प्रदान किए गए दंडात्मक उपायों और दंडात्मक प्रावधानों पर स्विच करना

नियमों के तहत निर्धारित, यह अवलोकन करना उचित और उचित होगा कि ये सभी प्रावधान आवश्यक और आवश्यक हैं

वांछित प्राप्ति के लिए नियामक तंत्र का सहवर्ती

उद्देश्य, और इसलिए अनुचित प्रतिबंधों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। समग्र परिदृश्य में, हम यह भी आश्वस्त हैं कि विवादित अधिनियम की धारा 13 से 18 और नियमों के नियम 11 को भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम में हस्तक्षेप करने के लिए विभिन्न अवसरों पर लागू करने का इरादा नहीं है।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

बिना किसी पदार्थ के। निर्विवाद रूप से, नियम अधीनस्थ विधान की प्रकृति के हैं और सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं

अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिनियम के सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अतः इस प्रकार के नियम न तो उपलब्ध हैं।

विधायी क्षमता की कमी के आधार पर, और न ही विफलता के लिए

मूल कानून के अनुरूप जिसके तहत नियम बनाए जाते हैं।

इसके अलावा, ये नियम संविधान के भाग III के तहत याचिकाकर्ताओं को दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसलिए, संविधान के किसी भी प्रावधान के नियमों को चुनौती देना पूरी तरह से अस्थिर है।

21. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क, कि विवादित अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि इसका अपमान किया जा रहा है

संविधान का अनुच्छेद 13 (2) काफी आकर्षक लगता है लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। इस तर्क का बारीकी से विश्लेषण करते हुए इन मामलों में शामिल लोगों की पृष्ठभूमि में, हम पहले से ही

संविधान का, जो निर्विवाद रूप से एक निरपेक्ष नहीं है मौलिक अधिकार। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त मौलिक अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और ऐसे प्रतिबंधों की अनुमति है क्योंकि उनका उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना है। इसलिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अधिनियम के साथ-साथ नियमों के विवादित प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो अनुच्छेद 13 (2) का उल्लंघन नहीं करते हैं और

19 (1) ((छ) संविधान का।

उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि ये सभी याचिकाएं विफल हो जाती हैं और एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। स्थगन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जाता है और 9 अप्रैल, 2018 को पारित अंतरिम आदेश को खाली कर दिया जाता है।

14. हमने श्री पल्लव शिशोदिया, विद्वान वरिष्ठ वकील और अपीलार्थी, डॉ. मनीष सिंघवी और श्री देवदत्त कामत, राजस्थान राज्य के विद्वान वकील को सुना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और विवादित फैसले पर विचार करने के बाद, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हालांकि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही था, लेकिन उसने 2016 के विवादित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों की वैधता के लिए चुनौती का संक्षिप्त तरीके से निपटारा किया है। हम सहमत हैं कि केवल इस न्यायालय के फैसलों को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं था। उच्च न्यायालय को तब संबंधित प्रावधानों की चुनौती और 2016 के अधिनियम की समग्र योजना का भी विश्लेषण करना चाहिए था। आम तौर पर, हम पक्षकारों को पूरे मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेज देते। हालाँकि, उठाए गए मुद्दों की प्रकृति और पक्षों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस निर्णय में ही 2016 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

16. वास्तव में, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय

17. उसी निर्णय के पैराग्राफ 76 में, न्यायालय ने अगले प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़े कि इसके लिए एक नियामक ढांचा कैसे बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शैक्षणिक

संस्थानों द्वारा कोई अत्यधिक शुल्क न लिया जाए। इसके लिए, न्यायालय ने टी. एम. ए. में निर्णय को स्वीकार कर लिया।

पाई फाउंडेशन (ऊपर), इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन (ऊपर), मॉडर्न स्कूल (ऊपर) और पी. ए. इनामदार (ऊपर) ने उल्लेख किया कि भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह एक पूर्ण अधिकार नहीं था क्योंकि निजी स्कूलों को कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करने या स्कूल शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वायत्तता की आड़ में मुनाफाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन अपनी शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुनाफाखोरी और/या कैपिटेशन शुल्क लेने से रोकने के लिए आम जनता के हित में इसे सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इसके अलावा, शुल्क के निर्धारण को प्रारंभिक चरण में ही विनियमित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। संविधान पीठ ने अनुमोदन के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ एमपी 1 में स्पष्टीकरण का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

" 42. हमारा विचार है कि 2007 के अधिनियम की धारा 4 (1) और 4 (8) को 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उन कारकों से संबंधित है जिन्हें समिति द्वारा किसी निजी व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान। 2007 के अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि समिति को निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान का स्थान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति, भूमि और भवन की लागत, उपलब्ध बुनियादी ढांचा, शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और उपकरण, प्रशासन और रखरखाव पर खर्च, व्यावसायिक संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक पर विचार करना होगा।

किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा शुल्क लिया जाना। इस प्रकार, विशेष निजी के सभी लागत घटक

गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के साथ-साथ

संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और पेशेवर प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अन्य सभी कारक शिक्षा
पर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए जबकि

शुल्क निर्धारित करना। 2007 के अधिनियम की धारा 4 (8) आगे प्रदान करती है

जो संस्था द्वारा प्रत्येक के संबंध में प्रभारित किया जा सकता है पेशेवर पाठ्यक्रम। प्रत्येक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान,

इसलिए, शुल्क के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है कि यह

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों से सभी लागत घटकों, विकास और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए शुल्क लेने का प्रस्ताव है। 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और समिति का कार्य केवल यह पता लगाना है कि संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, जैसा कि 2007 के अधिनियम की धारा 9 (2) में प्रावधान किया गया है कि क्या संस्थान द्वारा छात्र से ली जाने वाली प्रस्तावित फीस 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित है और यह शिक्षा के मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण के बराबर नहीं है।

"निर्धारण" शब्द को ब्लैक के नियम में परिभाषित किया गया है।

शब्दकोश, आठवीं संस्करण।, न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय का अर्थ है या

एक प्रशासनिक एजेंसी। इसलिए समिति शुल्क का निर्धारण करते समय केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद प्रस्तावित शुल्क को अंतिम मंजूरी देती है कि यह 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था और शिक्षा का कोई लाभ या व्यावसायीकरण नहीं था। अभिव्यक्ति

" 2007 के अधिनियम की धारा 4 (1) में शुल्क के निर्धारण का अर्थ है कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से लिया जाने वाला शुल्क छात्र से छात्र में भिन्न नहीं था और 2007 के अधिनियम की धारा 4 (8) में उल्लिखित एक निश्चित अवधि के लिए भी निर्धारित रहा। जैसा कि सर्वोच्च द्वारा आयोजित किया गया है

पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में न्यायालय।

लिमिटेड वी. आर. बी. आई. 1 9, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कानून के प्रावधानों के सार की जांच करनी होगी कि क्या कानून के प्रावधान आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाते हैं। 2007 के अधिनियम की धारा 4 (1), 4 (8) और 9 के प्रावधानों के आधार पर समिति को केवल यह संतुष्ट करने का अधिकार है कि -

किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क शिक्षा के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण के बराबर नहीं था और यह 2007 के अधिनियम की धारा 9 (1) में उल्लिखित कारकों पर आधारित था। इसलिए 2007 के अधिनियम के प्रावधान निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थान के अपने शुल्क लेने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।

18. ग्राफ 81 में अनुमोदन के साथ उपरोक्त व्याख्या को उद्धृत करने के बाद, न्यायालय एक अटोरी तंत्र की आवश्यकता की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। इसने नोट किया कि नियामक उपायों को महसूस किया जाता है

2) 2 एस. सी. सी. 343 भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बुनियादी कल्याण को बढ़ावा देना। में।

मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (ए) में ग्राफ 90 से 92 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार उल्लेख किया:

" 90. इस प्रकार, यह महसूस किया जाता है कि किसी भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में, यहां तक कि निजी उद्योगों के लिए भी, नियामक निकाय की आवश्यकता होती है और शिक्षा क्षेत्र के लिए इस तरह का नियामक ढांचा और भी आवश्यक हो जाता है।

इससे एक बेहतर समाज बनता है क्योंकि इसका उद्देश्य बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना है जो राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में योगदान देगा। समाज के कल्याण की अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूती से लागू होगी। अन्यथा भी, अर्थशास्त्री के लिए, एक आर्थिक गतिविधि के रूप में शिक्षा, कृषि और उद्योग जैसी अन्य आर्थिक चिंताओं की तुलना में अनुकूल रूप से, अपने स्वयं के निवेश और परिणाम हैं; और इस प्रकार इसका विश्लेषण बुनियादी आर्थिक उपकरणों जैसे कि वापसी के नियम, समतुल्य उपयोगिता के सिद्धांत और सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में किया जाता है। इन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, राज्य को शिक्षा में उस बिंदु तक निवेश करना चाहिए जहां शिक्षा के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ अन्य राज्य व्यय के बराबर हो, जबकि व्यक्ति एक प्रकार की शिक्षा [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए भुगतान करने के अपने निर्णय में निर्देशित हो।

उसे प्राप्य वापसी की संभावना से। ये सभी विचार एक स्थिर नियामक की स्थापना के लिए एक मामला बनाते हैं।

तंत्र।

संस्थान जो अक्षुण्ण रहते हैं। राज्य के नियंत्रण में सी. ई. टी. का होना इस स्वायत्तता को बाधित नहीं करता है। प्रवेश अभी भी इन संस्थानों के हाथों में है। एक बार जब इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है अपीलकर्ताओं का कहना है कि छात्रों के प्रवेश में "ट्रिपल टेस्ट" को पूरा किया जाना है, विवादित कानून का उद्देश्य यही है। आखिरकार, सी. ई. टी. आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य योग्यता का निर्धारण करना और प्रवेश सुनिश्चित करना है।

जो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, वे पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होते हैं। यह फिर से व्यापक जनहित सुनिश्चित करने के लिए है। यह इससे परे है

यह समझ कि केवल सी. ई. टी. आयोजित करने की शक्ति ग्रहण करने से, छात्रों को प्रवेश देने का अपीलार्थियों का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। इसी तरह, जब शुल्क के निर्धारण की बात आती है, जैसा कि पहले ही विस्तार से बताया गया है, तो मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य एक नियामक के रूप में कार्य करता है और खुद को संतुष्ट करता है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क में मुनाफाखोरी का तत्व नहीं है और यह भी कि कोई कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं लिया जाता है। वास्तव में, विनियामक प्रकृति का यह दोहरा कार्य जनहित को आगे बढ़ाने वाला है क्योंकि वे छात्र जो अन्यथा मेधावी हैं लेकिन कैपिटेशन शुल्क आदि की अनुचित मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, वे प्रवेश प्राप्त करने से वंचित नहीं हैं। इसलिए, विवादित प्रावधानों का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना है। कानून स्थिर नहीं है, इसे बदलते समय और बदलती सामाजिक/सामाजिक स्थितियों के साथ बदलना पड़ता है।

फुटनोट संख्या 9 पर भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

19. इस न्यायशास्त्रीय व्याख्या के बाद, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि

सरकार स्कूल शुल्क के निर्धारण के लिए बाहरी नियामक तंत्र प्रदान नहीं कर सकती है या इसलिए प्रारंभिक चरण में ही "न्यायसंगत" और "अनुमेय" स्कूल शुल्क का निर्धारण नहीं कर सकती है।

20. सवाल यह है: क्या विवादित अधिनियम खड़ा है

तर्कसंगतता और तर्कसंगतता का परीक्षण और स्कूल शुल्क के निर्धारण के मामले में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थानों (निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों) के अधिकार को

संतुलित करता है? 2016 का अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह इसलिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि यह देखा गया था कि इसी विषय पर पहले के अधिनियम में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क निर्धारण के आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान शामिल नहीं था। यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में निजी स्कूल (लगभग 34,000) हैं और एक एकल शुल्क निर्धारण समिति समय पर उचित तरीके से ऐसे स्कूलों की शुल्क निर्धारित नहीं कर सकती है। इस कारण से, 2016 का अधिनियम राजस्थान राज्य में स्कूलों द्वारा शुल्क संग्रह के विनियमन और उससे जुड़े और उससे आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए अस्तित्व में आया। यह पूरे राजस्थान राज्य में फैला हुआ है और सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों पर लागू होता है। इस अधिनियम में एक नियामक तंत्र का प्रावधान है। धारा 2 (बी) में "सहायता प्राप्त विद्यालय" शब्द का अर्थ राज्य से सहायता के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाला विद्यालय है।

सरकार। "गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, यह पालन किया जाना चाहिए कि सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा अन्य सभी निजी स्कूल उस श्रेणी (यानी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल) के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। धारा 2 (टी) में "स्कूल" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

(टी) "स्कूल" का अर्थ है प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा

और किसी भी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित और किसी भी भारतीय या उससे संबद्ध

विदेशी पाठ्यक्रम या बोर्ड, चाहे सहायता प्राप्त हो, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त हो, गैर-सहायता प्राप्त हो

जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय भी शामिल है लेकिन

इसमें केवल धार्मिक निर्देश देने वाला विद्यालय शामिल नहीं है। 21. "निजी विद्यालय" अभिव्यक्ति को अनुभाग में परिभाषित किया गया है।

2 (पी), जो इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

(पी) "निजी विद्यालय" से स्थापित और प्रशासित विद्यालय अभिप्रेत है।

या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा बनाए रखा जाता है और जो

धारा के खंड (क्यू) के अर्थ के भीतर मान्यता प्राप्त संस्था

2 राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम,

1989 (1992 का अधिनियम सं. 19), लेकिन इसमें शामिल नहीं है -

((i) एक सहायता प्राप्त विद्यालय; और

((ii) द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित विद्यालय।

अधिकार; " इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2016 का अधिनियम सभी विद्यालयों पर लागू होता है।

धारा 2 (टी) में निर्दिष्ट राजस्थान राज्य के भीतर धारा 2 (पी) में परिभाषित निजी स्कूलों सहित।

22. 2016 के अधिनियम की धारा 3 भविष्यवाणी करती है कि कोई भी स्कूल या

उसकी ओर से 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित या अनुमोदित शुल्क से अधिक कोई भी शुल्क एकत्र किया जाएगा। "शुल्क" अभिव्यक्ति को धारा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी स्कूल द्वारा किसी छात्र के प्रवेश के लिए मानक या अध्ययन का पाठ्यक्रम; "

23. "शुल्क" अभिव्यक्ति की परिभाषा के अलावा, यह उचित होगा।

2016 के अधिनियम की धारा 8 में वर्णित 2016 के अधिनियम के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए कारकों का विज्ञापन करना। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 8. शुल्क निर्धारण के लिए कारक। - निम्नलिखित कारक

विद्यालय द्वारा देय शुल्क तय करते समय विचार किया जाएगा,

अर्थात्: -

((क) विद्यालय का स्थान; (ख) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई आधारभूत संरचना, प्रदान की गई सुविधाएं और जैसा कि उल्लेख किया गया है।

स्कूल की विवरण पत्रिका या वेब-साइट में; एक स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

((घ) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; (ई) गैर-निवासी भारतीयों से उत्पन्न अतिरिक्त निधि, प्रबंधन द्वारा दान के एक भाग के रूप में और द्वारा योगदान

नि:शुल्क प्रदान करने के लिए सरकार-शुल्क में या अन्य के लिए जहाज

विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दी गई वस्तुएँ

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्कूल,

अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग

(छ) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए उचित राशि; (ज) कुल आय पर छात्रों पर किया गया व्यय

स्कूल से; (i) के उद्देश्य के लिए उचित राजस्व अधिशेष

शिक्षा का विकास और विद्यालय का विस्तार; और

(जे) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किया जाए।

धारा 8 के अलावा, 2017 के नियम 10 पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें स्कूल शुल्क के लिए अतिरिक्त कारकों का प्रावधान किया गया है। नियम 10 इस प्रकार है:

शुल्क के निर्धारण के लिए अतिरिक्त कारक। - द.

शुल्क तय करते समय महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाएगा।अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट कारकों के लिए, अर्थात्:

((ख) छात्रों की क्षमता; ((ग) छात्रों को उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाएँ जैसे -

तैराकी पूल, घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी और

प्रदर्शन कला आदि। ;

((iv) पुस्तकों, नोटबुक आदि और अन्य शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति।

छात्रों को प्रदान की गई सामग्री;

(v) भोजन या नाश्ते का प्रावधान; और (vi) स्कूल स्तर की शुल्क समिति के समक्ष प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य कारक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को विधिवत व्यक्त किया गया है और ये वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं। यह आग्रह किया गया कि धारा 8 का खंड (ए) अस्पष्ट है। हम प्रत्यर्थी के तर्क में बल पाते हैं कि धारा 8 और नियम 10 में निर्दिष्ट कारक शुल्क का निर्धारण प्रासंगिक कारकों के रूप में इस न्यायालय के कथन पर आधारित है। स्थान का कारक

स्कूल निश्चित रूप से शुल्क के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है जैसा कि धारा 8 और नियम 10 में संदर्भित अन्य कारक हैं। विद्यालय के निर्धारण के लिए सभी निर्दिष्ट कारकों के प्रभाव की समग्रता की गणना की जानी चाहिए। संबंधित अवधि के लिए संबंधित विद्यालय की फीस। विद्यालय का स्थान ही एकमात्र कारक नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

26. अंत में, प्रासंगिक बात यह है कि संस्थान अपनी शुल्क संरचना तय करने का हकदार है, जिसमें उचित राजस्व अधिशेष शामिल हो सकता है।

शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से, जब तक कि यह मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में निहित नहीं है। क्या संबंधित विद्यालय द्वारा विकसित शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी होती है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जो अंततः 2016 के अधिनियम की धारा 7 और 10 के तहत गठित सांविधिक विनियामक समितियों, क्रमशः, संभागीय शुल्क विनियामक समिति (डी. एफ. आर. सी.) और संशोधन समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारण/निर्णय के साथ अंतिम हो जाएगा। हालाँकि, यह निर्णय केवल तभी आवश्यक हो जाता है जब एस. एल. एफ. सी. स्कूल द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के संबंध में स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। जबकि, यदि एस. एल. एफ. सी. शुल्क संरचना के संबंध में स्कूल प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो वह संबंधित अवधि के लिए 2016 के अधिनियम के तहत शुल्क होगा और फिर डी. एफ. आर. सी. को संबंधित स्कूल में शुल्क के निर्धारण पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

हितधारकों के बीच विवादास्पद स्थिति के निर्णय के लिए प्रदान की गई व्यवस्था किसी भी तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

28. 2016 के अधिनियम की धारा 4 में माता-पिता-शिक्षकों के लिए प्रावधान है

सायशन, जो इस प्रकार पढ़ता है:

" 4. अभिभावक-शिक्षक संघ। - (1) (क) प्रत्येक निजी विद्यालय अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन किया जाएगा।

(ख) अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन प्रमुख द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक स्कूल की शुरुआत से तीस दिनों के भीतर

शैक्षणिक वर्ष। विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक के माता-पिता विद्यालय में छात्र माता-पिता का सदस्य होगा-शिक्षक

शहरी के मामले में संघ और पचास रुपये की वार्षिक राशि

क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में बीस रुपये एकत्र किए जाएंगे। ऐसे संघ के प्रत्येक सदस्य से।

(ग) अभिभावक-शिक्षक संघ के गठन पर, एक लॉटरी

इस तरह की लॉटरी के एक सप्ताह पहले सदस्य को दी जाएगी अभिभावक-शिक्षक संघ।

(2) (क) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे -

निजी प्रबंधन के प्रतिनिधि

((i) अध्यक्ष

इस तरह के प्रबंधन द्वारा नामित स्कूल;

((ख) सचिव

निजी विद्यालय के प्राचार्य;

((ग) सदस्य

द्वारा नामित तीन शिक्षक

निजी विद्यालय का प्रबंधन;

माता-पिता से पांच माता-पिता-शिक्षक

((iv) सदस्य

एसोसिएशन।

(ख) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति के सदस्यों की सूची

पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए विद्यालय स्तर की शुल्क समिति के गठन और प्रतिलिपि से

संबंधित अधिकारी। (ग) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति का कार्यकाल एक के लिए होगा।

अगले तीन वर्षों की अवधि के भीतर लॉटरी द्वारा बहुत कुछ स्कूल स्तर के शुल्क के सदस्य के रूप में उनके अंतिम कार्यकाल की समाप्ति

समिति।

(घ) विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी। विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो

(ङ) अभिभावक-शिक्षक संघ की एक आम बैठक होगी। हर साल 15 अगस्त से पहले कम से कम एक बार। अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक आयोजित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए। माता-पिता

शिक्षक संघ ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे कार्य करेगा जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे जाएं और जो हो सके

निर्धारित "।

वर्ष। धारा 4 (1) (बी) में परिकल्पना की गई है कि स्कूल का प्रत्येक शिक्षक और स्कूल में प्रत्येक छात्र के माता-पिता माता-पिता के सदस्य होंगे। शिक्षक संघ। धारा 4 (1) (सी) में प्रावधान है कि अभिभावक-शिक्षक संघ के गठन पर, एस. एल. एफ. सी. का गठन करने के लिए बहुत से इच्छुक माता-पिता को आकर्षित करके एक लॉटरी आयोजित की जाएगी। इस प्रावधान के संदर्भ में, यह आग्रह किया गया कि लॉट के माध्यम से एस. एल. एफ. सी. का सदस्य बनने के लिए इच्छुक माता-पिता को चुनने के लिए, 2016 के अधिनियम या 2017 के नियमों में कोई पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा, वार्ड के इच्छुक माता-पिता, जो आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा के 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ स्कूल में भर्ती हैं, भी इस श्रेणी में फिट हो सकते हैं, भले ही स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना में उनकी कोई हिस्सेदारी न हो। तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इस कारण से इस प्रावधान को रद्द करने या स्कूल के प्रबंधन के किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जा सकता है कि लॉट का ड्रॉ इच्छुक माता-पिता के संबंध में होगा, जिनके बच्चों को आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भर्ती किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इच्छुक माता-पिता को स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत शुल्क संरचना के प्रस्ताव पर चर्चा में अच्छी तरह से सूचित और (सार्थक) बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, उसके पास कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और वह स्कूल के विकास, प्रबंधन से भी परिचित होना चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वित्त और गतिशीलता। इच्छुक माता-पिता की ऐसी पात्रता की वांछनीयता निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

29. हालाँकि, अधिनियम या नियमों में ऐसे प्रावधानों की अनुपस्थिति, विचाराधीन प्रावधान की वैधता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्रॉ करना इच्छुक लोगों की पहचान करने के तरीकों में से एक हो सकता है। माता-पिता जो एस. एल. एफ. सी. के सदस्य बन सकते हैं। क्या सदस्य को इच्छुक माता-पिता में से चुनाव द्वारा चुना जाना चाहिए या आकर्षित करना चाहिए

लॉट या नामांकन द्वारा उसकी पात्रता शर्तों सहित, एक विधायी नीति है। वे एस. एल. एफ. सी. के गठन के लिए उसी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं ताकि उन बच्चों के माता-पिता को प्रतिनिधित्व दिया जा सके जो पहले से ही स्कूल में भर्ती हैं और वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी मामले में, अपीलकर्ताओं का यह तर्क प्रासंगिक प्रावधान को अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित करने के लिए मामले को बहुत कम नहीं ले जाएगा। 30. एस. एल. एफ. सी. की संरचना 2016 के अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) में निर्दिष्ट की गई है। इसमें एक अध्यक्ष होता है

ऐसे द्वारा नामित निजी विद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधि

प्रबंधन; सचिव-निजी विद्यालय के प्राचार्य (पदेन); निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा एस. एल. एफ. सी. के सदस्य के रूप में नामित तीन शिक्षक; और अभिभावक-शिक्षक संघ के पांच माता-पिता को बहुत सारे इच्छुक माता-पिता को आकर्षित करके आयोजित लॉटरी द्वारा चुना जाता है। एस. एल. एफ. सी. में दस सदस्य होते हैं-पाँच, एक तरह से,

विभिन्न वार्डों को एस. एल. एफ. सी. का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि एस. एल. एफ. सी. के गठन और इसके कार्य की प्रकृति के लिए, 2016 के अधिनियम की धारा 4 में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, इस आधार पर कि यह एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 31. 2016 के अधिनियम की धारा 5 "सरकारी स्कूलों" और "सहायता प्राप्त स्कूलों" में शुल्क निर्धारण से संबंधित है। हालाँकि, हम अपने सामने के मामलों में उक्त प्रावधान से चिंतित नहीं हैं।

32. धारा 6 निजी विद्यालयों में शुल्क के विनियमन और शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। द.

वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 6. निजी विद्यालयों में शुल्क का विनियमन। - (1) द.

(2) स्कूल स्तर की शुल्क समिति के गठन पर, प्रबंधन अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से कम से कम छह महीने पहले अपनी मंजूरी के लिए स्कूल स्तर की शुल्क समिति को प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ प्रस्तावित शुल्क का विवरण प्रस्तुत करेगा। स्वीकृति देते समय, स्कूल स्तर की शुल्क समिति के पास नए सिरे से शुल्क की राशि तय करने का अधिकार होगा। (3) धारा 8 के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, स्कूल स्तर की शुल्क समिति प्रस्तावित शुल्क के विवरण और उप-धारा (2) के तहत रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर शुल्क को मंजूरी देगी और प्रबंधन को लिखित रूप में इस तरह से अनुमोदित शुल्क का विवरण तुरंत बताएगी। स्कूल स्तर की शुल्क समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित शुल्क का विवरण नोटिस बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी और स्कूल के संबंधित माध्यम में प्रदर्शित किया जाएगा, और यदि ऐसे स्कूल की अपनी वेबसाइट है तो इसे उसी पर प्रदर्शित किया जाएगा और यह तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(4) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति उन विभिन्न शीर्षों को निर्दिष्ट करेगी जिनके तहत शुल्क लगाया जाएगा।

इस मामले को तुरंत मंडल शुल्क नियामक समिति को अपने निर्णय के लिए स्कूल स्तर की शुल्क समिति को इस तरह से सूचित किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए। इस दौरान संदर्भ के लंबित रहने पर, प्रबंधन को पिछले शैक्षणिक वर्ष के शुल्क के साथ-साथ दस प्रतिशत एकत्र करने की स्वतंत्रता होगी।

(6) डिवीजनल फीस रेगुलेटरी कमेटी विपरीत पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव अपील या संदर्भ पर निर्णय लेगी। (7) प्रबंधन या विद्यालय स्तर की शुल्क समिति

डिवीजनल फीस रेगुलेटरी इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम के निर्णय से व्यथित।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपील या संदर्भ समिति, ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर, संशोधन के समक्ष अपील कर सकती है।

समिति ऐसी रीति से जो विहित की जाए।

दिए गए विद्यालय में शुल्क संरचना। वह प्रस्ताव 2016 के अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित एस. एल. एफ. सी. को प्रस्तुत किया जाता है। धारा 6 के बाद प्रदान किया गया तंत्र मुख्य रूप से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। वास्तव में, धारा 6 (1) में प्रयुक्त "प्रस्ताव" पद का अर्थ होगा कि विद्यालय प्रबंधन का प्रस्ताव उसका सैद्धांतिक निर्णय है। संबंधित अवधि के लिए शुल्क संरचना के संबंध में। "प्रस्ताव" अभिव्यक्ति का उपयोग किसी भी तरह से स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को कम नहीं करता है, विशेष रूप से इसके लिए अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए

प्रासंगिक अवधि। एस. एल. एफ. सी. द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने का परिणाम एक अलग मुद्दा है। विशेष रूप से, धारा के तहत एस. एल. एफ. सी. का निर्णय

6 (2) यह विद्यालय प्रबंधन के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि, यह स्कूल प्रबंधन के लिए खुला है कि वह मामले को 2016 के अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित डी. एफ. आर. सी. को निर्णय के लिए भेजे, जो बदले में किसी न किसी तरह से संदर्भ तय करने के लिए बाध्य है। वास्तव में, वह निर्णय स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ माता-पिता दोनों के लिए बाध्यकारी होगा, जब तक कि इसे दूसरे पक्ष के कहने पर 2016 के अधिनियम की धारा 10 के तहत गठित संशोधन समिति द्वारा बाधित नहीं किया जाता है।

34. 2016 के अधिनियम की धारा 6 (3) जैसी शर्त कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना का निर्णय, यदि -

एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदित, तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा, जिसे पैराग्राफ 7 और 161 में इस्लामी शिक्षा अकादमी (ऊपर) में मान्यता और अनुमोदन दिया गया था और पी. ए. इनामदार (ऊपर) में भी उल्लेख किया गया था।

35. इसे अलग तरह से रखने के लिए, 2016 के विवादित अधिनियम की धारा 6 के तहत परिकल्पित व्यवस्था का उद्देश्य शुल्क संरचना के निर्धारण के मामले में स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को कम करना नहीं है। इसकी परिकल्पना यह है कि स्कूल प्रबंधन अपनी शुल्क संरचना निर्धारित कर सकता है, लेकिन एस. एल. एफ. सी. के साथ बातचीत के बाद इसे अंतिम रूप दे सकता है या लागू कर सकता है। यह एक व्यापक समिति है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अभिभावक-शिक्षक संघ के पांच अभिभावक शामिल हैं। यह केवल एक परामर्श प्रक्रिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण है। बोर्ड पर हितधारक। एस. एल. एफ. सी. स्कूल प्रबंधन द्वारा अपील की अदालत के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव पर नहीं बैठता है, लेकिन केवल खुद को आश्वस्त करता है [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस बारे में कि क्या प्रस्तावित शुल्क संरचना धारा 8 और नियम 10 में निर्दिष्ट मापदंडों को लागू करने पर स्कूल द्वारा मुनाफाखोरी में निहित है। दूसरे शब्दों में, एस. एल. एफ. सी. के लिए यह खुला है कि वह स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित स्कूल शुल्क के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण अपनाए और एक अलग शुल्क संरचना पर पहुंचे। यदि वह प्रति-प्रस्ताव विद्यालय प्रबंधन को स्वीकार्य है, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा लिया गया यह कदम सभी संबंधितों के लिए तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा। हालाँकि, यदि स्कूल प्रबंधन एस. एल. एफ. सी. की सिफारिशों से असहमत है, तो यह

है दोनों पक्षों, अर्थात्, विद्यालय प्रबंधन के साथ-साथ बच्चों के माता-पिता के लिए इस मामले को उस पहलू पर निर्णय के लिए डी. एफ. आर. सी. के पास ले जाने के लिए खुला है।

36. स्कूल फीस तय करते समय, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों सहित स्कूल प्रबंधन/एस. एल. एफ. सी., सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है।

2016 के अधिनियम की धारा 8 और 2017 के नियमों के नियम 10 में वर्णित कारकों द्वारा। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि खंड में परिकल्पित प्रक्रिया 6 स्कूल प्रबंधन और एस. एल. एफ. सी. का हिस्सा होने वाले माता-पिता के प्रतिनिधि के बीच प्रासंगिक अवधि के लिए शुल्क संरचना के मुद्दे का लोकतांत्रिक और सहमति से समाधान है। एस. एल. एफ. सी. को शुल्क संरचना निर्धारित करने का अंतिम अधिकार नहीं देना है, जो कि 2016 के अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार स्कूल प्रबंधन का विशेषाधिकार है। इस मायने में, शुल्क संरचना को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता अनियंत्रित है और नहीं।

किसी भी तरह से कमजोर। 37. 2016 के अधिनियम की धारा 7 डी. एफ. आर. सी. के गठन के बारे में है। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 7. संभागीय शुल्क नियामक समिति का गठन। - (1) सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक के लिए एक संभागीय शुल्क नियामक समिति का गठन करेगी। राजस्व प्रभाग, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) संभागीय आयुक्त,

अध्यक्ष;

(ख) उप निदेशक, माध्यमिक

सदस्य;

शिक्षा

(ग) संस्कृत निदेशक के लिए नामांकित व्यक्ति

सदस्य;

शिक्षा

(घ) जिला कोषागार अधिकारी

सदस्य;

राजस्व में स्थित कोषागार

प्रभाग मुख्यालय भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(ई) उप निदेशक, प्राथमिक

पदेन

सदस्य-सचिव;

शिक्षा

सदस्य;

(च) निजी के दो प्रतिनिधि

कमिश्नर (छ) माता-पिता के दो प्रतिनिधि

सदस्य।

प्रभागीय द्वारा नामित कमिश्नर

(2) (क) निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों का कार्यकाल उनके नामांकन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगा और पहले रिक्त होने की स्थिति में, किसी भी कारण से, ऐसी रिक्ति को शेष अवधि के लिए भरा जाएगा। शब्द को।

(ख) निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि और अभिभावक ऐसा नहीं करेंगे।

(घ) निजी विद्यालयों और अभिभावकों के एक प्रतिनिधि को हटाया जा सकता है, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो मंडल की राय में हो। आयुक्त, संभागीय शुल्क के सदस्य के लिए अशोभनीय है

नियामक समिति:

(ई) सेवा के लिए अन्य नियम और शर्तें निजी विद्यालयों और अभिभावकों के प्रतिनिधि इस प्रकार होंगे -

निर्धारित किया जा सकता है "।

धारा 7 (1) के केवल अवलोकन से यह देखा गया है कि पहले पाँच सदस्य आधिकारिक सदस्य हैं। यह एक व्यापक आधार वाला स्वतंत्र है।समिति जिसमें मंडल क्षेत्र में निजी विद्यालयों के दो प्रतिनिधि "मंडल आयुक्त द्वारा नामित" और इसी तरह "मंडल आयुक्त द्वारा नामित" माता-पिता के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस मामले में संबंधित हितधारकों को प्रस्तुति दी जाती है [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क संरचना के निर्धारण और विशेष रूप से जांच के मामले में

इस तथ्य में कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना मुनाफाखोरी में निहित है या अन्यथा। धारा 7 (2) (ए) के संदर्भ में, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों और विशेष रूप से माता-पिता के पद का कार्यकाल उनके नामांकन की तारीख से दो साल के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि संबंधित माता-पिता तब तक पात्र होंगे जब तक कि उनका बच्चा कार्यकाल के दौरान स्कूल में जारी नहीं रहता है और वह मंडल क्षेत्र के भीतर किसी भी स्कूल के एस. एल. एफ. सी. का सदस्य नहीं है। इस मानदंड को पूरा नहीं करने वाले किसी भी सदस्य को तुरंत अपना पद खाली करने वाला माना जाएगा और उसके स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नए सदस्य को नामित किया जा सकता है।

विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों के माता-पिता के बीच

संबंधित संभागीय क्षेत्र। इसके अलावा, माता-पिता के प्रतिनिधि को नामित करते समय, संभागीय आयुक्त को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से नामित व्यक्ति के पास लेखांकन की बुनियादी योग्यता, एक स्कूल का विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गतिशीलता होनी चाहिए; और जिनके बच्चे ने आरटीई अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा के 25 प्रतिशत कोटे के खिलाफ प्रवेश प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार समझा जाता है कि 2016 के अधिनियम की धारा 7 भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

38. यह रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि संभागीय आयुक्त, जिन्हें निजी स्कूलों के दो प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार है,

39. जहां तक 2016 के अधिनियम की धारा 8 को चुनौती देने का संबंध है, हमारी राय में "निर्धारण" अभिव्यक्ति का उपयोग, अपने स्वयं के शुल्क निर्धारित करने में स्कूल प्रबंधन की स्वायत्तता को नहीं छीनता है। संरचना। यह प्रावधान केवल एक संकेतक है कि शुल्क के निर्धारण के लिए किन कारकों की गणना की जानी चाहिए और उस पैमाने पर एस. एल. एफ. सी. के साथ-साथ सांविधिक नियामक समितियां स्कूल प्रबंधन के दावे का विश्लेषण करने की स्थिति में होंगी। यह प्रावधान, वास्तव में, भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम को निर्धारित करता है।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

उचित शुल्क संरचना क्या होगी जिसके परिणामस्वरूप स्कूल आंदोलन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रावधान को साथ-साथ पढ़ना होगा

2017 के नियमों के नियम 10 में स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित उचित और शुल्क संरचना के बारे में प्रश्न की जांच करते समय अतिरिक्त कारकों को ध्यान में रखा गया है।

40. धारा 9 पर लौटते हुए, जो इस प्रकार है:

" 9. संभागीय शुल्क विनियामक की शक्तियाँ और कार्य

समिति। - (1) संभागीय शुल्क नियामक समिति की शक्तियां और कार्य प्रबंधन और अभिभावक-शिक्षक संघ के बीच विवाद का निर्णय लेना होगा।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में

विद्यार्थी।

(2) संभागीय शुल्क नियामक समिति किसी को भी अधिकृत कर सकती है।

माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद से कम के अधिकारी को किसी निजी विद्यालय या ऐसे विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित किसी भी परिसर में प्रवेश करने के लिए, यदि मंडल शुल्क नियामक समिति को ऐसा आवश्यक लगता है, और ऐसे विद्यालय या प्रबंधन से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड, खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की तलाशी, निरीक्षण और जब्त करना, जहां तक कि ऐसे रिकॉर्ड, खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उक्त समिति के समक्ष मुद्दों को तय करने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हैं। तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) के प्रावधान, जहां तक हो सके, तलाशी पर लागू होंगे।

और इस धारा के तहत दौरे।

(3) संभागीय शुल्क नियामक समिति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी, और इस अधिनियम के तहत कोई भी जांच करने के उद्देश्य से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 5) के तहत एक दीवानी अदालत की सभी शक्तियां निम्नलिखित के संबंध में एक मुकदमे का मुकदमा चलाते समय होंगी।

विषय, अर्थात्: -

((i) किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उससे पूछताछ करना; ((ख) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन;

((ग) शपथपत्रों पर साक्षय प्राप्त करना।

((iv) गवाह की जाँच के लिए कमीशन जारी करना; [2021] 14 एस. सी. आर.

(4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संभागीय शुल्क नियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। संभागीय शुल्क नियामक समिति का आदेश तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए उसके समक्ष कार्यवाही करने वाले पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इसे किसी भी दीवानी अदालत में अपील के अलावा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। इस
अधिनियम के तहत गठित संशोधन समिति के समक्ष।

(5) विवाद के समाधान के समय, संभागीय शुल्क नियामक समिति प्रबंधन द्वारा निर्धारित शुल्क पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाएगी। अपील में निर्णय पर या

इस संदर्भ में, संभागीय शुल्क नियामक समिति संबंधित छात्र को अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है। यदि प्रबंधन ऐसे छात्र को अतिरिक्त शुल्क वापस करने में विफल रहता है, तो मंडल शुल्क नियामक समिति प्रबंधन से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में इस तरह के अतिरिक्त शुल्क की वसूली करने के लिए आगे बढ़ेगी और ऐसे छात्र को उसी का भुगतान करेगी।

(6) संभागीय शुल्क नियामक समिति, एक निजी विद्यालय द्वारा देय शुल्क निर्धारित करने पर, अपने निर्णय को सूचित करेगी -

संबंधित पक्षों को।

(7) संभागीय शुल्क नियामक समिति के समक्ष अपील करने वाले प्रत्येक निजी विद्यालय में निर्णय की प्रति रखी जाएगी। इसके
नोटिस बोर्ड पर अपील करें, और यदि ऐसे स्कूल की वेबसाइट है, तो इसके

वेब-साइट;

(8) संभागीय शुल्क नियामक समिति इंगित करेगी कि

विभिन्न शीर्ष जिनके तहत शुल्क लगाया जाएगा।

(9) संभागीय शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित आदेश निजी विद्यालय पर तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होंगे। उक्त अवधि के अंत में, निजी विद्यालय इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी शुल्क संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगा।

संबंधित विद्यालय या प्रबंधन से संबंधित किसी भी अभिलेख, खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण और जब्त करना। जहाँ तक ऐसे अभिलेख, लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उक्त समिति के समक्ष मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हैं।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है और

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करें।

41. अनिवार्य रूप से, धारा 9 डी. एफ. आर. सी. को स्कूल प्रबंधन और माता-पिता के बीच विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।

संबंधित विद्यालय के लिए शुल्क संरचना के संबंध में मतभेद के बारे में शिक्षक संघ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 9 (5) यह स्पष्ट करती है कि डी. एफ. आर. सी. के पास प्रबंधन द्वारा निर्धारित शुल्क पर कोई अंतरिम रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है। हालांकि, डी. एफ. आर. सी. के समक्ष अपील या संदर्भ के लंबित रहने के दौरान धारा 6 (5) के आलोक में, स्कूल प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष के शुल्क के साथ-साथ इस तरह के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है।

डी. एफ. आर. सी. का अंतिम निर्णय, जैसा कि 2016 के अधिनियम की धारा 6 (5) में बताया गया है। डी. एफ. आर. सी. का निर्णय 2016 के अधिनियम की धारा 10 के तहत गठित संशोधन समिति के समक्ष अपील करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कोई भी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी भी तरह से अपनी शुल्क संरचना निर्धारित करने के लिए स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 42. धारा 10 संशोधन समिति के गठन से संबंधित है। यह समिति एक अपीलीय प्राधिकरण के कार्य का निर्वहन करती है जहां -

पीड़ित पक्ष, अर्थात् विद्यालय प्रबंधन या अभिभावक-शिक्षक

एसोसिएशन डी. एफ. आर. सी. के फैसले पर हमला कर सकता है। यह एक अंतिम है

धारा 10 के तहत बनाया गया न्यायिक निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामित निजी स्कूलों के दो प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नामित माता-पिता के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। यह फिर से एक व्यापक आधार वाली स्वतंत्र समिति है जो डी. एफ. आर. सी. के फैसले के खिलाफ पसंद किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए है, जिसे इसी तर्ज पर गठित किया गया है। बाद वाली समिति का गठन 2016 के अधिनियम की धारा 7 के तहत किया गया है। इसलिए, अब तक की धारा 7 के तहत डी. एफ. आर. सी. के गठन के संदर्भ में की गई टिप्पणियां इस प्रावधान पर भी पूरी ताकत से लागू होंगी।

43. संशोधन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 2016 के अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट की गई है।

यह स्पष्ट है कि संशोधन समिति का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और पक्षकारों के लिए तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी होगा। एक स्वतंत्र अंतिम निर्णय प्राधिकरण की स्थापना विशेष रूप से

इस सवाल पर विचार करने के लिए बनाई गई है कि क्या स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी होती है या नहीं, [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

2016 के अधिनियम या बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन इसके तहत एक व्यक्ति द्वारा। जबकि, धारा 16 परिणामों से संबंधित है।

किसी प्रबंधन और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन। यह समझ से परे है कि इन प्रावधानों की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, विशेष रूप से जब 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कुछ अनुपालनों के जनादेश का उल्लंघन एक अपराध बना दिया गया है और इस तरह के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ कार्रवाई की जा सकती है।

45. अपीलकर्ताओं को 2016 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने में विफल रहने के कारण, 2017 के नियमों के नियम 3,4,6 से 8 और 11 को चुनौती देने के संबंध में भी विफल होना चाहिए।

46. नियम 3 बैठक आयोजित करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान करता है

अपने दम पर शुल्क संरचना का निर्धारण सहित। 47. नियम 4 अभिभावक-शिक्षक संघ के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

" 4. अभिभावक-शिक्षक संघ के कर्तव्य और कार्य। -

संघ निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उनका पालन करेगा।

निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:

(i) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति द्वारा तय किए गए शिक्षण शुल्क, अवधि शुल्क और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करना; ((ii) योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के पूरा होने का निरीक्षण करना।

((iii) अन्य सह-पाठ्यक्रमों की योजना बनाने में विद्यालय की सहायता करना।

गतिविधियाँ; और
((iv) सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों की आवश्यकताओं का आकलन करना। भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

एस. एल. एफ. सी. द्वारा तय की गई गतिविधियाँ; योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के पूरा होने का निरीक्षण करना; अन्य सह-पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए स्कूल की सहायता करना। गतिविधियाँ; और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों की आवश्यकताओं का आकलन करना। यह माता-पिता में कर्तव्य के साथ शक्ति प्रदान करने वाला एक सक्षम प्रावधान है।

इस तरह की सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से बचने और इसके लिए होने वाले खर्चों के बोझ को कम करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को राजी करें। इसके परिणामस्वरूप शुल्क देयता में कमी के कारण माता-पिता की देयता में कमी आएगी। 48. नियम 6 एस. एल. एफ. सी. के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। यह शक्तियों के अलावा एस. एल. एफ. सी. द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।

और 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट कार्य। नियम 6 इस प्रकार है:

" 6. विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति के कर्तव्य और कार्य। -

स्कूल स्तर की शुल्क समिति, शक्तियों के अलावा,

और अधिनियम में निर्दिष्ट कार्य, निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं

और निम्नलिखित कार्यों को करते हैं, अर्थात्:

(क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करना।

और नियम उनके अधीन बनाए गए;

(ख) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क के निर्धारण के संबंध में प्रबंधन से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेना; और [2021] 14 एस. सी. आर.

(ग) जहां प्रबंधन द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां, यथास्थिति, संभागीय शुल्क नियामक समिति या संशोधन समिति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना।

हम यह समझने में विफल हैं कि नियम 6 कैसे रास्ते में आएगा या स्कूल प्रबंधन के गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत। यह नियम एस. एल. एफ. सी. को 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां देता है।

विद्यालय शुल्क का निर्धारण।

49. 2017 के नियमों के नियम 7 और 8 एस. एल. एफ. सी. की बैठक और डी. एफ. आर. सी. को प्रस्ताव भेजने और अपील दायर करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं।

क्रमशः सांविधिक विनियामक समितियों के समक्ष संशोधन। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 7. विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की बैठक। - (1) द.

विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति के अध्यक्ष बुलाएंगे

विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की बैठकें। समिति का सचिव प्रपत्र-II में विद्यालय स्तर की शुल्क समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना जारी करेगा। नोटिस जारी किया जाएगा।

(2) यह सूचना विद्यालय स्तर की शुल्क समिति के प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भेजी जाएगी। नोटिस की पावती एक के लिए संरक्षित की जाएगी एक वर्ष की अवधि।

(3) विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें से चार सदस्य उपस्थित न हों।

जो कम से कम दो स्कूल स्तर की शुल्क समिति के मूल सदस्य होंगे। यदि कोरम नहीं है, तो स्कूल स्तर की शुल्क समिति के अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देंगे। द.

स्थगित बैठक की तारीख से दस दिन के अंतराल के बाद स्थगित बैठक को फिर से वापस बुलाया जाएगा।

(4) विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति का सचिव

बैठक के कार्यवृत्त तैयार करें और इसे सभी को प्रसारित करें।

बैठक की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर सदस्य।

(5) बैठक के कार्यवृत्त को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या उप निदेशक को उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(6) यदि कोई मूल सदस्य लगातार तीन बैठकों के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी और ऐसी रिक्ति को प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी द्वारा भरा जाएगा। नियम 5 के तहत उस शैक्षणिक वर्ष के लिए।

8. संभागीय शुल्क नियामक को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया

समिति और संभागीय शुल्क के समक्ष अपील दायर करना

विनियामक समिति और संशोधन समिति

अधिनियम की धारा 6। - (1) स्कूल का प्रबंधन अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से कम से कम छह महीने पहले स्कूल स्तर की शुल्क समिति को शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

फॉर्म-III में।

(2) यदि स्कूल स्तर की शुल्क समिति अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क तय करने में विफल रहती है, तो प्रबंधन इस मामले को तुरंत फॉर्म IV में स्कूल स्तर के शुल्क को प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ भेजेगा।

अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर मंडल शुल्क नियामक समिति को अपने निर्णय के लिए समिति।

(3) प्रबंधन इसके खिलाफ फॉर्म-V में अपील करना पसंद कर सकता है। 30 दिनों के भीतर विद्यालय स्तर की शुल्क समिति का निर्णय

विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति के निर्णय की तिथि।

अपील या संदर्भ, ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर, संशोधन से पहले प्रपत्र-VI में अपील कर सकते हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत शुल्क के प्रस्ताव के साथ

प्रबंधन और विद्यालय स्तर के निर्णय की प्रति

शुल्क समिति और संभागीय शुल्क नियामक समिति "।

ये नियम विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित हैं और संबंधित समितियों की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप हैं। नियम हैं।

जिस तरीके से प्रस्ताव प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया जाना है और आगे बढ़ाया जाना है। इन प्रावधानों मेंसंविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए स्कूल प्रबंधन की बहुत कम स्वायत्तता

शुल्क संरचना को पहले स्थान पर माइन करें जिसमें शामिल हैं

इस तरह से विद्यालय की स्थापना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. अगली चुनौती नियम 11 के लिए है जो निजी अधिकारियों को निर्धारित तरीके से खातों और अन्य रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए बाध्य करता है।

नीचे। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 11. लेखाओं और अन्य अभिलेखों का रखरखाव। - (1) प्रत्येक

निजी विद्यालय करेगा, (क) विभिन्न प्रकार के लेन-देन के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखें, जैसे कि संग्रहित शुल्क, प्राप्त अनुदान, प्राप्त वित्तीय सहायता, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, मशीनरी और उपकरणों की खरीद, प्रयोगशाला उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं, पुस्तकालय की किताबें, लेखन सामग्री, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और अन्य खर्च;

(ख) रजिस्टरों, खातों और अभिलेखों को उनके विद्यालय परिसर के भीतर रखें क्योंकि उन्हें उचित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) रखे गए खातों को सभी वाउचरों के साथ सुरक्षित रखें। विभिन्न मदों या प्राप्तियों और व्यय से संबंधित, जब तक कि खातों का लेखापरीक्षा समाप्त नहीं हो जाता और उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हों, का निपटारा नहीं हो जाता।

(2) प्रत्येक निजी विद्यालय, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट खातों और अभिलेखों के अलावा, निम्नलिखित बनाए रखेगा, अर्थात्:

(क) सामान्य रजिस्टर;

(ग) शुल्क रसीद;

(घ) शुल्क संग्रह रजिस्टर;

(ई) कैश बुक;

(च) पुस्तकालय और पठन कक्ष खाता;

(छ) कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर और कर्मचारी वेतन रजिस्टर;

(जे) चेक रजिस्टर;

(के) परिचय सूची;

(1) स्टॉक रजिस्टर;

(एम) ट्रांसफर सर्टिफिकेट बुक; इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(एन) परीक्षा शुल्क संग्रह रसीद;

(ओ) आकस्मिक व्यय रजिस्टर;

(पी) परिसंपत्ति रजिस्टर; और

(क्यू) भवन किराया रजिस्टर।

(3) प्रत्येक निजी विद्यालय अन्य अभिलेख भी बनाए रखेगा - सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संस्थान से

समय-समय पर "।

हमारी राय में, यह प्रावधान भी कल्पना के किसी भी विस्तार से स्कूल प्रबंधन के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी) स्कूल के प्रशासन के लिए बहुत कम है। हालाँकि, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एस. एल. एफ. सी. या सांविधिक नियामक-सह-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा इस तथ्य के निर्धारण में एक सार्थक जांच की जा सकती है कि क्या शुल्क संरचना

स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित परिणाम मुनाफाखोरी या अन्यथा होता है। यदि जानकारी किसी अन्य तरीके से दी जाती है (नियम 11 में निर्दिष्ट तरीके के अलावा), तो यह उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।

मुनाफाखोरी से संबंधित विवादास्पद मुद्दे का जवाब देने के लिए संबंधित समितियाँ/अधिकारी। स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना को न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा केवल विशेष गतिविधियों से संबंधित स्कूल शुल्क के लिए दावा की गई राशि के तथ्य पर एक नकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने पर बदला जा सकता है जो एक आवश्यक खर्च है या अन्यथा; और यह कि शुल्क संस्थान के विकास के लिए या अन्यथा वापस किए जा रहे उचित लाभ से अधिक होगा। अनुमेय सीमा से अधिक राशि की वसूली के परिणामस्वरूप लाभ और व्यावसायीकरण। इसलिए, हमारी राय में, नियम 11 भी एक प्रासंगिक और उचित प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार को प्रभावित या कम नहीं करता है।

51. अंतिम हमलावर इस तर्क पर था कि (स्कूल) शुल्क, विशेष रूप से कैपिटेशन शुल्क के संबंध में क्षेत्र पहले से ही संसद द्वारा आर. टी. ई. अधिनियम के रूप में अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया गया है और इस कारण से, राज्य के लिए उसी विषय पर कानून बनाने के लिए खुला नहीं था जैसे कि 2016 का विवादित अधिनियम। यह तर्क पूरी तरह से गलत और कमजोर है। जिस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा आर. टी. ई. अधिनियम अधिनियमित किया गया है, वह गुणात्मक रूप से अलग है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए है, जो उस उद्देश्य से स्पष्ट रूप से अलग है जिसके लिए 2016 का अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियमित किया गया है।

राज्य विधानमंडल। केवल इसलिए कि केंद्रीय अधिनियम अभिव्यक्ति [2021] 14 एस. सी. आर. को संदर्भित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" कैपिटेशन शुल्क "जैसा कि धारा 2 (बी) और आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है-यह अनिवार्य करते हुए कि कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन शुल्क एकत्र नहीं करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय अधिनियम शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए आवश्यक तंत्र से संबंधित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल शुल्क एकत्र नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी होती है और व्यावसायीकरण। अपनी परिभाषा के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम के तहत कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या योगदान या भुगतान। दूसरी ओर, स्कूल द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला शुल्क 2016 के विवादित अधिनियम के तहत किया जाना है, जब यह स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है और एस. एल. एफ. सी. या सांविधिक नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि केंद्रीय अधिनियम द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र 2016 के विवादित अधिनियम के तहत राज्य के कानून द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। 2016 का विवादित अधिनियम विशेष रूप से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना को विनियमित करने के विषय से संबंधित है।

प्रबंधन। इसलिए, इस चुनौती में कोई सार नहीं है। 52. इसलिए, मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हम इसकी वैधता को चुनौती देने को खारिज करने में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं।

2016 का विवादित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम। हालाँकि, हम अधिनियम की धारा 4,7 और 10 को इस निर्णय के पैराग्राफ 28; 37/38 और 42 में बताए गए तरीके से पढ़कर ऐसा करते हैं। जिन प्रावधानों की व्याख्या की गई है, वे अब से इस निर्णय में घोषित कानून के अनुरूप प्रभावी होंगे। अब तक उल्लिखित कारणों के लिए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि 2016 के अधिनियम के साथ-साथ 2017 के नियम के प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत हैं और संविधान के अनुच्छेद 13 (2) और 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

रीः दूसरा सेटः

53. ये अपीलें उच्च न्यायालय की खंड पीठ के सामान्य निर्णय और दिनांकित 18.12.2020 आदेश पर हमला करती हैं।

राजस्थान में जयपुर में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए 09.04.2020,07.07.2020 और 28.10.2020 के आदेशों को चुनौती देने वाले सभी संबंधित मामलों का निपटारा किया गया।

54. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांकित 09.04.2020 आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तीन महीने की अवधि के लिए स्कूल शुल्क संग्रह को स्थगित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" निदेशक का कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, प्राथमिक द्वारा शुल्क संग्रह के संबंध में जारी किया जा रहा है और

माध्यमिक शिक्षा विभाग मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी

स्कूल, जो इस प्रकार हैं:

1. गैर-सरकारी स्कूलों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

15 मार्च के बाद की अवधि के छात्र/अभिभावक, लागू

वर्तमान में शुल्क और अग्रिम शुल्क का भुगतान जो स्थगित है

3 महीने के लिए। इस अवधि के दौरान शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में,

ऐसे छात्र का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।

विद्यालय।

2. गैर-सरकारी में पढ़ाई जारी रखने के मामले में

स्कूलों, वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए स्थगित शुल्क होगा

स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद प्रभार्य। 3. लॉकडाउन अवधि पूरी होने के बाद, यदि कोई छात्र

गैर-सरकारी स्कूल अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहता है

दूसरे विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के बाद वही प्राप्त किया जा सकता है। पिछले सत्र 2019-20 के शुल्क जमा करने और प्राप्त करने के बाद

नो-बकाये का प्रमाणपत्र।

(सौरभ स्वामी)

आई. ए. एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

नं.-शिवरा-मा/पी. एस. पी./सिकायत/वेतन/2019-20

दिनांकित 09.04.2020 "

55. उपर्युक्त क्रम में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले,

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने 07.07.2020 पर एक और आदेश जारी किया।

एमे इस प्रकार पढ़ता है:

" निदेशक का कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

आदेश

सरकारी पत्र No.P.8 (3) शिक्षा-5/की निरंतरता में

कोविड-19 शुल्क स्टैगन/2020 दिनांक 01.07.2020, संग्रह के लिए [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शुल्क

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:

1. गैर-सरकारी स्कूलों द्वारा प्रभार्य शुल्क

15 मार्च के बाद छात्र/अभिभावक, वर्तमान में लागू शुल्क

और अग्रिम शुल्क का भुगतान 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था।

राज्य सरकार का निर्देश है कि उक्त स्थगन

स्कूलों को फिर से खोलने तक बढ़ा दिया गया। गैर-निक्षेपण के मामले में उक्त अवधि के दौरान शुल्क का, ऐसे छात्र का नाम नहीं होगा

स्कूल के रोल से निकाल दिया।

2. शेष सभी आदेश संख्या के अनुसार होंगे। (शिवरा/मा/पी. एस. पी./सिकायत/वेतन/2019-20) दिनांक 09.04.2020।

(सौरभ स्वामी)

आई. ए. एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

संख्या-शिवरा-मा/पी. एस. पी.-सी/ए-2/60566/2019-20

तिथि 07.07.2020 "

6. इसके बाद निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने पहले रिट याचिकाएं दायर कीं।

उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेशों दिनांक 09.04.2020 और 07.07.2020 को चुनौती दी। जयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम राहत के अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रों को अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने की अनुमति दें और मार्च 2020 से अवधि के लिए प्रभार्य कुल शुल्क से केवल 70 प्रतिशत शिक्षण शुल्क तत्व को तीन किश्तों में जमा करें। अपीलार्थियों के आग्रह पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" 13. मैंने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है और इस पर विचार किया है

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री।

14. जबकि वर्तमान बैच में असंख्य मुद्दे शामिल हैं

रिट याचिकाएँ, जिनकी अंतिम रूप से जांच की जानी आवश्यक है;

इस अंतरिम चरण में, इस न्यायालय ने पाया कि एक संतुलन की आवश्यकता है

विद्यालय प्रबंधन की वित्तीय कठिनाइयों के बीच

कर्मचारियों का वेतन जारी करने और भारतीय विद्यालय के न्यूनतम रखरखाव से संबंधित, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

एक तरफ स्कूल और वित्तीय दबाव, जो महामारी और तालाबंदी के कारण माता-पिता पर आया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। 15. नरेशभाई कनुभाई शाह बनाम गुजरात राज्य और 2 अन्य के मामले में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर ध्यान देने के बाद: आर/रिट याचिका (पी. आई. एल.) No.64/2020 और अन्य संबंधित मामलों का निर्णय 31.7.2020, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मामले में

इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य: सी. डब्ल्यू. पी. No.7409/2020 और अन्य संबंधित मामलों का फैसला 30.6.2020 और रजत के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया।

वत्स बनाम सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. और एक अन्य: WP (C) No.2977/2020 ने 20.4.2020 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय का विचार है कि प्रथम

जाहिर है, याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को उन छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अपने रोल पर बने रहे।

16. हालाँकि, यह न्यायालय नोटिस करता है कि कुल बुनियादी ढांचे की लागत, जो स्कूल सामान्य दिनों के दौरान नियमित पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, निश्चित रूप से कम हो गई है कि स्कूल दिन-प्रतिदिन नहीं खुल रहे हैं। यह देखा गया है कि शिक्षण शुल्क का आकलन राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्कूलों द्वारा किए गए कर्मचारियों के वेतन और संचालन लागत सहित बुनियादी ढांचे के खर्च के आधार पर किया जाता है, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

17. यह न्यायालय प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप करने वालों के वकील से सहमत है कि जबकि संस्थानों को कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ा

ऑनलाइन कक्षा प्रक्रिया को विकसित करने के लिए, यह माता-पिता द्वारा अपने प्रत्येक वार्ड को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किए जा रहे व्यक्तिगत खर्च से कम होगा, जो घर पर ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ माता-पिता

दो या तीन बच्चे हो सकते हैं। प्रत्येक को अलग-अलग लैपटॉप या कंप्यूटर प्रदान करने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे सभी होंगे

एक ही समय में ऑनलाइन कक्षाओं से गुजरना। अतः तुलनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। 18. प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय का यह भी विचार है कि 2005 के अधिनियम के तहत, अधिकारियों के पास नीति, दिशानिर्देश और निर्देश निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जो [2021] 14 एस. सी. आर. से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उपयुक्त पाया जा सकता है।

2005 के अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित आपदा। ऐसे नुकसान को कम करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं

नागरिक। राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ और कार्य धारा 22 (जे) के तहत समिति का प्रावधान है कि राज्य कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि गैर-सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों को न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से अंजाम दें।

याचिकाकर्ता सभी गैर-सरकारी संगठन हैं और इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बड़े पैमाने पर जनता को होने वाली पीड़ा को कम करने में अपनी आवश्यक भूमिका निभाएँ, साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने से भी बचाएँ। यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि राज्य-उत्तरदाता,

विवादित आदेशों को पारित करते समय, नहीं लिया है

शुल्क का भुगतान न करने के कारण संबंधित विद्यालय के कर्मचारियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन पर विचार करें। हालांकि, माता-पिता पर पूरी ट्यूशन फीस का बोझ होगा उचित और उचित नहीं होना चाहिए।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय एक अंतरिम उपाय द्वारा और स्थिति सामान्य होने तक, स्कूल अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे छात्रों को अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने की अनुमति दें और उन्हें वर्ष के लिए ली जा रही कुल फीस में से 70 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क तत्व जमा करने की अनुमति दें। शिक्षण शुल्क का उक्त 70 प्रतिशत होगा

किश्तों को पहली किस्त 30.9.2020 पर या उससे पहले जमा करके तय किया जाएगा, जबकि दूसरी किश्त का भुगतान 30.11.2020 द्वारा किया जाएगा और तीसरी किश्त का भुगतान 31.1.2021 द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित प्रश्न इन रिट याचिकाओं के अंतिम निपटारे के चरण में शेष शुल्क की जांच की जाएगी। आदेश अंतरिम रूप से पारित किए जा रहे हैं।

मामले के अंतिम निर्णय के अधीन व्यवस्था।

20. स्थगन आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

57. इस फैसले के खिलाफ, अंतर-अदालत क्रॉस अपील दायर की जाने लगी। उन अपीलों में, डिवीजन बेंच ने दिनांकित 01.10.2020 आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। अपीलों को तब 12.10.2020 पर सुना गया और इसके लिए आरक्षित रखा गया

आदेश देते हैं। हालांकि, कई वकील भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के साथ बातचीत करने में असमर्थ थे, मामलों को 14.10.2020 पर आगे की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अदालत ने 20.10.2020 पर अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हालाँकि, सुनवाई की अगली तारीख से पहले, राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र के दौरान निजी/गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा माता-पिता/छात्रों से शुल्क की वसूली के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया। उच्च न्यायालय को इस विकास के बारे में सूचित किया गया था जब मामले 23.10.2020 पर उठाए गए थे जैसा कि उक्त आदेश से देखा गया है, जो इस प्रकार है:

" आदेश दें

श्री राजेश महर्षि, ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के लिए निजी स्कूल

19 महामारी। समिति इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है

श्री कमलाकर शर्मा को पता चला कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने गंभीर आपत्ति जताई और निजी स्कूलों को अपने स्कूलों को चलाने में हो रही भारी कठिनाई को देखते हुए अंतरिम उपाय करने का अनुरोध किया। संस्थाएं।

निजी स्कूलों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है

कि राज्य सरकार आवश्यक निर्देश जारी करेगी 28.10.2020 सकारात्मक रूप से अंतरिम शुल्क के बारे में जो निजी

इसमें अंतिम निर्णय के अधीन स्कूलों को शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी।

ध्यान दें।

इस बीच, के अनुपालन में आवश्यक शपथ पत्र

राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्देश दायर किए जाएंगे -

02.11.2020 सभी को उसी की एक प्रति प्रदान करने के बाद असफल हुए बिना

दलों को।

03.11.2020 "पर सूची बनाएँ

58. इस प्रकार, अपीलों को 3.11.2020 पर अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।

हालाँकि, उस तारीख से पहले, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 28.10.2020 दिनांकित आदेश जारी किया, जो इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" निदेशक का कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

आदेश

डी. बी. विशेष अपील No.637/2020 सुनील समद्रिया बनाम राजस्थान राज्य और अन्य विशेष अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय

राज्य सरकार को कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र के लिए अभिभावकों/छात्रों से स्कूल शुल्क लेने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए 23.10.2020 दिनांकित एक आदेश पारित किया और 28.10.2020 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 23.10.2020 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में और राज्य सरकार के पत्र सं। पी. 8 (3) शिक्षा-5/कोविड-19 शुल्क स्टैगन/2020 दिनांक 28.10.2020, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल शुल्क लेने के लिए दिशानिर्देश गैर-आई. डी. द्वारा

छात्रों/अभिभावकों से सरकारी शैक्षणिक संस्थान जारी किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं: ए-फिर से खुलने के बाद स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का विवरण

1. स्कूल के फिर से खुलने के बाद छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी।

2. शिक्षण शुल्क निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। शिक्षण। जैसे सी. बी. एस. ई. ने 9 वीं से 12 वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी की है और पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत निर्धारित किया है, वैसे ही इस सत्र के लिए शुल्क ट्यूशन का 70 प्रतिशत लिया जाएगा।

पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, इसलिए इस सत्र के लिए शुल्क ट्यूशन का 60 प्रतिशत लिया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस।

3. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल बुलाने का निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए जब भी निर्णय लिया जाएगा और पाठ्यक्रम में कमी के अनुसार, उसी अनुपात में शुल्क लिया जाएगा।

4. ऊपर के अनुसार तय की गई फीस जो स्कूल को देय होगी, जिसके लिए अभिभावकों/छात्रों को मासिक/त्रैमासिक शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. स्कूल पिछले शैक्षणिक सत्र में निर्धारित वर्दी को नहीं बदलेंगे।

6. प्रयोगशाला, खेल जैसी सुविधाओं का छात्रों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

पुस्तकालय, पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, विकास शुल्क, बोर्डिंग शुल्क आदि इस शीर्ष के तहत स्कूलों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7. विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।

8. यदि छात्र स्कूल द्वारा प्रदान किए गए परिवहन का उपयोग कर रहा है जैसे बाल वैहानी आदि तो परिवहन शुल्क लिया जा सकता है लेकिन यह पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान लिए गए परिवहन शुल्क से अधिक नहीं होगा। परिवहन शुल्क स्कूलों को फिर से खोलने के बाद कार्य दिवसों की संख्या के अनुपात में होगा।

9. छात्रों के लिए स्कूलों द्वारा प्रदान किए जा रहे परिवहन को राज्य द्वारा निर्धारित कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा सरकार और सरकार द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी एस. ओ. पी. का गैर-सरकारी स्कूलों को पालन करना होगा।

बी-स्कूल द्वारा फिर से खोलने से पहले ली जाने वाली फीस का विवरण

1. स्कूल शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल के फिर से खुलने के बाद छात्रों से ली जाने वाली फीस निर्धारित करेंगे। 2. स्कूलों को खोलने से पहले ऑनलाइन शिक्षण कार्य उन्हें परिचित कराने के लिए था अर्थात क्षमता निर्माण का उद्देश्य था। इसलिए, प्रभार्य शुल्क को क्षमता निर्माण शुल्क कहा जाएगा।

3. जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों से क्षमता निर्माण शुल्क लिया जा सकता है जो शिक्षण शुल्क का 60 प्रतिशत होगा। ऑनलाइन शिक्षण के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी और सहमति देने वाले छात्रों से क्षमता निर्माण शुल्क लिया जा सकता है।

4. जब स्कूल फिर से खुलेंगे, तो यह स्कूलों का कर्तव्य होगा कि वे ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पूरा पाठ्यक्रम प्रदान करें और उक्त पाठ्यक्रम में [2021] 14 एस. सी. आर. होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्कूलों द्वारा पूरा किए जाने के लिए स्कूल ऑनलाइन और ऑफ़लाइन छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करेंगे।

5. क्षमता निर्माण शुल्क अभिभावकों से मासिक किश्तों में लिया जाएगा। 6. जब तक सरकार द्वारा छात्रों की कक्षाएं/कक्षाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है और उस अवधि के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जाता है, तब तक केवल क्षमता निर्माण शुल्क लिया जाएगा।

7. यदि कोई छात्र स्कूल द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन शिक्षा की सदस्यता नहीं लेता है, तो कोई क्षमता निर्माण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सी-ट्यूशन फीस का निर्धारण

1. राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) 2016 और नियम 2017 के अनुसार गठित स्कूल शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क शुल्क के उपरोक्त निर्धारण का आधार होगा जिसमें विभिन्न शुल्कों अर्थात शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। 2. पिछले वर्ष के निर्धारित कुल शुल्क और शिक्षण शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी।

3. प्रत्येक अभिभावक को शिक्षण शुल्क/क्षमता निर्माण शुल्क की रसीद प्रदान की जाएगी। उक्त रसीद में इसका विवरण होगा -

निर्धारित शुल्क और आवश्यक रूप से कम शुल्क।

4. वे छात्र जो ऑनलाइन कक्षाओं से गुजर रहे हैं और ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखना चाहते हैं लेकिन उनके अभिभावक भुगतान करने में असमर्थ हैं

5. शैक्षणिक सत्र 2019-20 (स्कूल खुले रहने तक शेष) के लिए शेष शुल्क बराबर मासिक में लिया जाएगा। किश्तें। ऐसे छात्रों के अभिभावक एक किश्त में शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

शुल्क का भुगतान नहीं किया है, यहां तक कि ऐसे छात्रों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है जारी नहीं किया जाएगा।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

7. यदि कोई छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना चाहता है और उपस्थित हुआ है

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार क्षमता निर्माण शुल्क से अधिक ऑनलाइन कक्षाएं

शुल्क लिया जा सकता है।

8. उपरोक्त के अनुसार शुल्क लेने के लिए गैर-सरकारी स्कूल

उन कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का भुगतान करेंगे जिनके पास शिक्षक थे और नहीं कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण छंटनी की जाएगी।

उपरोक्त को सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया है। सभी

संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(सौरभ स्वामी)

आई. ए. एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर।

सं.-शिवरा-मा/पी. एस. पी./सी/ए-2/60566/2019-20

तिथि 28.10.2020 "

59. इस आदेश पर पहले भी कुछ निजी स्कूलों ने हमला किया था

उच्च न्यायालय को मूल रिट याचिकाओं के माध्यम से, जो उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार एकल न्यायाधीश के समक्ष आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था

सबसे पहले। इसके अलावा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित अंतर-अदालत अपीलों में आवेदन दायर किए गए थे। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने पक्षों की सहमति से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के दिनांकित आदेश को चुनौती देने सहित सभी मामलों की सुनवाई करना उचित समझा।

60. तदनुसार, अपीलों और रिट याचिकाओं की सुनवाई की गई और

18.12.2020 पर सुनाए गए सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ निर्णय लिया गया, जो वर्तमान अपीलों में विवादित है। डिवीजन बेंच ने विवादित फैसले के माध्यम से राय दी कि राज्य सरकार सक्षम है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दिनांक 1 के आदेश के अनुसार निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि महामारी की स्थिति के बाद एक नीतिगत निर्णय आवश्यक था। अदालत ने कहा कि राज्य भर में माता-पिता और उनके बच्चों के सामने आने वाली अभूतपूर्व कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी भी कानूनी प्रावधान के अभाव में, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए खुला है और विशेष रूप से जब कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

इस तरह के निर्देश जारी करना। डिवीजन बेंच ने यह भी राय दी कि इस तरह के [2021] 14 एस. सी. आर.

उस शक्ति के स्रोत का उल्लेख नहीं है जिसके तहत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा इसे जारी किया गया है या यह कि स्कूल प्रबंधन (ओं) को सुनवाई का अवसर न मिलने के कारण इसे दूषित किया गया था। इसके बजाय, अदालत ने कहा कि भले ही आदेश का कोई औपचारिक प्रमाणीकरण न हो, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होगा। क्योंकि, यह निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक प्रमुख होने के नाते दिया गया था। सरकार। यह राज्य सरकार का परम कर्तव्य था कि वह जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखे और निजी स्कूलों के साथ-साथ माता-पिता और छात्रों के हितों के बीच संतुलन बनाए और कोविड-19 महामारी के बाद अभूतपूर्व संकट के कारण नागरिकों की दुर्दशा को कम करे। अदालत ने इस तथ्य का विज्ञापन किया कि स्कूल प्रबंधन बाध्य था

अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए, बल्कि महामारी की स्थिति के बावजूद वैधानिक प्रावधानों को नियंत्रित करने के कारण अपने कर्मचारियों को वेतन देने का दायित्व। इसके अलावा, राजस्थान राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में स्कूल की फीस में काफी कमी करने का एक अलग तरीका अपनाया था। फिर भी, इसने नोट किया कि यह हमेशा स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ माता-पिता के लिए खुला है कि वे 2016 के अधिनियम के तहत न्यायसंगत शुल्क के निर्धारण के लिए वैधानिक मंच से संपर्क करें। डिवीजन बेंच अंततः इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंची:

" उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, शेष याचिकाओं का निपटारा निम्नानुसार किया जाता है:

I. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूल राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.10.2020 के आदेश के अनुसार पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों सहित अपने छात्रों के माता-पिता से स्कूल शुल्क एकत्र करने के हकदार होंगे, बशर्ते शुल्क का विशेष निर्धारण किया जाए।

II. सभी निजी स्कूलों को 15 दिनों के भीतर शुल्क के विशेष निर्धारण के लिए आवश्यक निकायों का गठन करने का निर्देश दिया जाता है, यदि ऐसे निकायों का गठन राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2016 और राजस्थान स्कूलों के संदर्भ में अभी तक नहीं किया गया है। (शुल्क का विनियमन) नियम 2017।

21 संक्षेप में, "2005 का अधिनियम" भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

III. विद्यालयों के प्रबंधन और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए आगे यह निर्देश दिया जाता है कि सभी

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय विशेष रूप से उस अवधि के लिए स्कूल शुल्क निर्धारित करेंगे जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद रहे और सत्र 2020 2021 में स्कूल खुलने के बाद राजस्थान स्कूल (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2016 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार और इस उद्देश्य के लिए सभी स्कूल अपने नोटिस बोर्डों के साथ-साथ अपनी वेबसाइटों पर उस अवधि के दौरान कर्मचारियों को दिए गए वेतन और वेतन सहित आवश्यक विवरण प्रकाशित करेंगे जिसमें स्कूल इस तरह के विशेष निर्धारण के लिए बंद रहे थे। स्कूल शुल्क का यह विशेष निर्धारण आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

सकारात्मक रूप से।

IV. शुल्क के इस विशेष निर्धारण की प्रक्रिया में शुल्क संग्रह की किसी भी अनुचित प्रथा को रोकने के उद्देश्य से शिक्षण शुल्क का घटक विशेष रूप से निर्धारित किया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए, स्कूल शुल्क के सभी प्रमुखों को विभाजित किया जाएगा।

जैसा कि 2016 के अधिनियम की धारा 6 (4) के तहत अनिवार्य है।

V. इसके अलावा, स्कूलों का प्रबंधन या अभिभावक पहले अपील/संदर्भ के प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। संभागीय शुल्क नियामक समिति/संशोधन समिति, जैसा भी मामला हो, यदि उनमें से कोई भी इस तरह के विशेष कार्य से व्यथित है।

दृढ़ संकल्प।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्कूल शुल्क के उपरोक्त विशेष निर्धारण की प्रक्रिया में, स्कूलों के प्रबंधन और माता-पिता के लिए यह खुला रहेगा कि वे दिनांकित 28.10.2020 क्रम में निहित निर्देशों के अनुरूप शुल्क निर्धारित करें या वे वर्तमान के लिए एकत्र की जाने वाली शुल्क को बढ़ा या घटा सकते हैं।

सत्र।

VI. विद्वान द्वारा पारित दिनांकित 07.09.2020 का अंतरिम आदेश

एकल न्यायाधीश खाली है "।

61. इस पृष्ठभूमि में, राजस्थान राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर हमला करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया है। वास्तव में, निदेशक द्वारा जारी आदेशों को चुनौती, [2021] 14 एस. सी. आर.

09.04.2020 और 07.07.2020 पर माध्यमिक शिक्षा ने समय के प्रवाह के कारण काम किया था। क्योंकि, इन आदेशों द्वारा स्कूल प्रबंधन को केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए स्कूल शुल्क संग्रह को स्थगित करने का निर्देश दिया गया था जैसा कि उल्लेख किया गया है।

और वह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, इस निर्णय में हमारा ध्यान केवल निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 28.10.2020 पर जारी किए गए आदेश की वैधता और तर्कसंगतता पर होगा और केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पर लागू होना चाहिए, जिसमें वह आधार भी शामिल है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के माध्यम से इसे बरकरार रखा गया है।

62. अपीलकर्ताओं (निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों) के अनुसार, उनके छात्रों से ली जाने वाली स्कूल फीस एस. एल. एफ. सी. द्वारा अपनी बैठक में तय की गई थी।

63. अपीलकर्ता आग्रह करेंगे कि एक उत्तरदायी स्कूल प्रशासन होने के नाते और संबंधित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के विकास के बारे में गहराई से चिंतित होने के कारण, स्कूल प्रबंधन ने "अपने दम पर" प्रति व्यक्ति 25 की छात्रवृत्ति देने का फैसला किया था।

उनके छात्रों को वार्षिक शुल्क का प्रतिशत। यह माता-पिता की कठिनाइयों को कम करने के लिए था और यह ध्यान में रखते हुए कि लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ आवर्ती खर्च नहीं किए जा रहे थे। कानूनन, एस. एल. एफ. सी. द्वारा प्रासंगिक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक बार निर्धारित स्कूल शुल्क में संशोधन करना राज्य प्राधिकरणों के लिए खुला नहीं है, वह भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के अनुसार किए गए तरीके से। तथ्य यह है कि पार्टियों को स्वतंत्रता है

वैधानिक मंच के समक्ष स्कूल शुल्क में संशोधन/कमी को चुनौती देना इस तरह के आदेश के मुद्दे को उचित नहीं ठहराता है-जब तक कि राज्य प्राधिकरणों के पास शासी कानून के तहत ऐसा करने का स्पष्ट जनादेश न हो। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के माध्यम से किया गया प्रस्थान स्कूल प्रबंधन को स्वीकार्य नहीं था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से अवैध था। यह उस शक्ति के स्रोत का खुलासा नहीं करता है जिसके तहत इसे जारी किया गया है। सबसे अच्छा, यह संबंधित समय पर लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम टिप्पणियों पर भरोसा कर सकता है। वे।

अवलोकन राज्य प्राधिकरणों को शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं जब राज्य सरकार में संशोधन/कमी भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम के संबंध में ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित और अनुमोदित शुल्क संरचना

एसएलएफसी द्वारा। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कोई कठोर समान शुल्क संरचना नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया था कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रयोग की गई शक्ति संविधान के अनुच्छेद 162 के लिए उत्तरदायी थी। क्योंकि, स्कूल शुल्क का विषय पूरी तरह से 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा कवर और शासित है। इसलिए, नीतिगत निर्णय के नाम पर, दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, जो इसके बावजूद विषय को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

स्कूल की फीस।

64. यह आग्रह किया जाता है कि 2016 के अधिनियम में राज्य प्राधिकरणों द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था -

2016 के अधिनियम के तहत पहले से ही निर्धारित स्कूल शुल्क। 2016 के अधिनियम की धारा 18 पर रखा गया भरोसा पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि यह केवल राज्य सरकार को 2016 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्देश जारी करने और उस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने या उस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, राज्य प्राधिकरणों द्वारा 2016 के अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है, धारा 18 से बहुत कम दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को सही ठहराने के लिए। किसी भी मामले में वह आदेश, इसके बावजूद, अनुचित, मनमाना और तर्कहीन है। के लिए, धारा 8 मापदंडों के लिए प्रदान करता है

65. यह आग्रह किया जाता है कि 2016 के अधिनियम की धारा 18 पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है। एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद स्कूल शुल्क की समीक्षा या उसे कम करने के लिए 2016 के अधिनियम में कोई तंत्र नहीं है। वैधानिक नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित। दूसरी ओर, धारा 6 (3) के अनुसार इस तरह का स्कूल शुल्क सभी संबंधितों पर तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए बाध्यकारी है, जो वर्तमान मामले में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 तक लागू रहना था। इसके अलावा, स्कूल शुल्क में कमी को गलती से संबंधित बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से जोड़ा गया है। वास्तव में, बोर्ड ने ऑनलाइन प्रशिक्षण/शिक्षण सहित पाठ्यक्रम को पूरा करने के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, कोई अवधारणा नहीं है

" 2016 के अधिनियम के तहत क्षमता निर्माण शुल्क। अभिव्यक्ति "क्षमता [2021] 14 एस. सी. आर.

भवन "स्पष्ट रूप से 2005 के अधिनियम जैसे कानून से उधार लिया गया है। किसी भी मामले में, यह आवश्यक है कि स्कूल के स्तर पर तथ्यात्मक जांच की जाए कि क्या संबंधित स्कूल ने संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और यह भी कि क्या शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे (आवर्ती) खर्चों के प्रति स्कूल का दायित्व स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्वहन किया गया था। 66. इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने 2005 के अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए जिम्मेदार होने के रूप में दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को बरकरार रखने में स्पष्ट त्रुटि की। क्योंकि, उक्त अधिनियम इस बारे में स्पष्ट तंत्र प्रदान करता है कि निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया जा सकता है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास 2005 के अधिनियम के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित तंत्र के संदर्भ में एस. एल. एफ. सी. की मंजूरी के बाद निर्धारित स्कूल शुल्क को कम करने के लिए ऐसा कर सकती है। 2005 के अधिनियम के प्रावधान प्रभावी प्रबंधन प्रदान करने तक सीमित हैं

आपदाएँ और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।

2005 का अधिनियम उस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करके है। 2005 के अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना या जिला योजना तैयार करने की आवश्यकता है। यह आपदाओं की रोकथाम या उनके प्रभावों को कम करने के संबंध में है। आपदा के प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है न कि अनुबंध संबंधी मामलों के संबंध में व्यक्तियों को होने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाई को कम करने की। योजना को विकास योजनाओं में शमन उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपायों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपायों का विज्ञापन करना चाहिए। किसी भी मामले में, 2005 के अधिनियम के तहत स्थापित राज्य प्राधिकरणों, अर्थात् आपदा प्रबंधन द्वारा कार्रवाई शुरू की जानी है। संबंधित स्तर पर प्राधिकरण। 2005 के अधिनियम की योजना में, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अधिकारी संविदात्मक मामलों या अप्रत्यक्ष कठिनाइयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं-जैसे कि महामारी की स्थिति के कारण माता-पिता द्वारा स्कूल की फीस का भुगतान करने में असमर्थता। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, किसी भी तरह से, 2005 के अधिनियम के तहत आपदा योजना की तैयारी या इसके प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है। नतीजतन, भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम के संदर्भ में दिनांकित 28.10.2020 आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

2005 के अधिनियम के प्रावधान। 2005 के अधिनियम की धारा 72 के रूप में प्रावधान का भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में है, जो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी तरह से स्कूल शुल्क के निर्धारण और संग्रह के विषय पर लागू नहीं होता है। वह विषय विशेष रूप से 2016 के अधिनियम के तहत शासित है।

68. यहां तक कि राजस्थान महामारी के प्रावधानों का आह्वान भी

राज्य द्वारा बताए गए आदेश को सही ठहराने के लिए रोग अधिनियम, 2020 2 2 का अपीलकर्ताओं द्वारा दृढ़ता से खंडन किया गया है। 2020 के अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली आवश्यक शक्तियों को 2020 के अधिनियम की धारा 4 में चित्रित किया गया है। इनमें से कोई भी उपाय (धारा 4 में संदर्भित) स्कूल शुल्क के निर्धारण के विषय से संबंधित नहीं है, एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद स्कूल शुल्क में बहुत कम कमी और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है। धारा 4 (2) (जी) में सामान्य प्रावधान जो सरकार को राज्य में कार्यालयों, सरकारी और निजी और शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, राज्य सरकार को संबंधित गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की शुल्क संरचना के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं देगा। विनियमन उस समय के संबंध में हो सकता है जब स्कूल को खोला और बंद किया जाना चाहिए और कार्य घंटों के दौरान स्कूल द्वारा पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल, जैसा भी मामला हो। यह प्रावधान राज्य सरकार को स्कूल शुल्क को कम करने का अधिकार नहीं देता है जो एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदित है और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है।

69. अपीलार्थियों के अनुसार न तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी 28.10.2020 दिनांकित आदेश को कानून में कायम रखा जा सकता है और न ही

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय को बरकरार रखने के लिए जिन कारणों पर विचार किया गया है, वे न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं।

70. अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी आदेश अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

19 (1) (छ) साथ ही संविधान का अनुच्छेद 30 (1)। कि स्कूल की फीस तय करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के तहत एक मौलिक अधिकार है जिसे राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि -

मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क को रोकना। उनके समर्पण को मजबूत करने के लिए, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 2 3 (ऊपर) में उक्ति पर भरोसा रखा गया था,

22 संक्षेप में, "2020 का अधिनियम" 23 पैरा 29-38,45,53-57,61 और 122 [2021] 14 एस. सी. आर.

पी. ए. इनामदार 2 4 (ऊपर) और मॉडर्न स्कूल 2 5 (ऊपर)। वह प्रस्तुत करेंगे कि अल्पसंख्यकों के मामले में, अल्पसंख्यक अधिकारों पर राज्य विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना होगा- तर्कसंगतता की परीक्षा और यह परीक्षा कि यह है

संस्थान के शैक्षिक चरित्र का विनियमन और संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए इसका सहारा लेने के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए अनुकूल है। विद्वान सलाहकार ने

उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के मामले में, अधिशेष की उपलब्धता शुल्क वृद्धि को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। कैपिटेशन शुल्क/मुनाफाखोरी के किसी भी शुल्क के अभाव में, राज्य प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकते हैं स्कूल प्रबंधन के शुल्क प्रस्ताव को अस्वीकार करें और यह कि शुल्क की मात्रा स्कूल के प्रशासनिक कामकाज का एक तत्व है, जिस पर गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की स्वायत्तता से समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने नरेश कुमार बनाम शिक्षा निदेशक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

वास्तव में, उन्होंने इस तर्क को दोहराया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूल प्रबंधन को अपनी शुल्क संरचना तय करने और एस. एल. एफ. सी. या सांविधिक नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कूल शुल्क एकत्र करने का अधिकार है। 71. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश होने वाले और माता-पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का कहना है कि असाधारण और

इतने लंबे समय तक पूर्ण लॉकडाउन के कारण अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है, माता-पिता निश्चित स्कूल शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।

यह केवल उनके द्वारा की गई बड़ी संख्या में अभ्यावेदनों के कारण है, राज्य सरकार ने स्कूल शुल्क के भुगतान को स्थगित करने और अंत में इसे कम करने के लिए 09.04.2020 और बाद में 07.07.2020 पर आदेश जारी करके जवाब दिया। 24 पैरा 91-94,104,107 और 139-141 25 पैरा 16 और 17

26 2018 की लिखित याचिका (सी) No.9688 (पैरा 66,78,88 और 91) 27 2020 की लिखित याचिका (सी) No.2993 (पैरा 18 से 21)

28 (2014) 8 एस. सी. सी. 1 (पैरा 53 से 55)

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

28.10.2020 यह केवल ऐसे उपायों को कम करने और माता-पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए है जिन्हें ऐसी सहायता की सख्त आवश्यकता थी। 2005 के अधिनियम की धारा 38 और 39 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों ने सरकार पर महामारी के मद्देनजर शमन और क्षमता निर्माण के लिए सभी उपाय करने की भारी जिम्मेदारी डाल दी है। इन प्रावधानों को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि संकीर्ण निर्माण के परिणामस्वरूप एक कल्याणकारी राज्य की अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने की शक्तियों में कमी आएगी। प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अदालत को व्यापक जनहित में जारी किए गए विवादित आदेश की वैधता को बनाए रखना चाहिए। एम. पी. एंड ओ. आर. एस. राज्य में इस न्यायालय के आदेश पर रिलायंस को रखा गया है। बनाम नंदलाल जैसवाल & Ors.29 और पठान मोहम्मद सुलेमान रहमतखान बनाम गुजरात राज्य और Ors.[3]0,

को

इस प्रस्तुति का समर्थन करें।

72. उत्तरदाताओं के अनुसार, 2005 के अधिनियम की धारा 72

यह अन्य सभी कानूनों पर एक प्रबल प्रभाव डालता है और इसलिए, धारा 38 और 39 के संदर्भ में प्रयोग की गई राज्य सरकार की शक्ति को उसमें व्यक्त उपायों के संबंध में, उक्त प्रावधानों की भाषा को ध्यान में रखते हुए संकुचित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, महामारी के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से संबंधित समाज और नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह उक्त प्रावधानों के अर्थ के भीतर अनुमत है।

73. यह आग्रह किया जाता है कि शक्ति के स्रोत का उल्लेख करने में केवल चूक की जाए

जब तक शक्ति के उस प्रयोग के लिए एक वैध स्रोत है, जैसा कि इस न्यायालय ने गुजरात के उच्च न्यायालय और ए. एन. आर. में उल्लेख किया है, तब तक शक्ति के प्रयोग को अमान्य नहीं करेगा। बनाम। गुजरात किशन मजदूर पंचायत और 31 एम. टी. खान और अन्य। वी. सरकार. ए. पी. & Ors.[3]2 और एन. मणि बनाम। संगीत थिएटर & Ors.33।

74. इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि 28.10.2020 दिनांकित आदेश आवश्यक था।

और डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 23.10.2020 आदेश द्वारा की गई टिप्पणियों को आगे बढ़ाने के लिए था। यह, जाहिर है, पैरेंट्स पेट्रिया को पूरा करने के लिए था। 29 (1986) 4 एससीसी 566 (पैरा 34) 30 (2014) 4 एससीसी 156 (पैरा 10) 31 (2003) 4 एससीसी 712 (पैरा 53) 32 (2004) 2 एससीसी 267 (पैरा 16) 33 (2004) 12 एससीसी 278 (पैरा 9)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के साथ-साथ राज्य के दायित्व। यह आग्रह किया जाता है कि राज्य को प्रदान करने में अपने माता-पिता की देशभक्त शक्तियों के तहत एक वैध हित है

अपने नागरिकों की देखभाल करना और चूंकि जारी किया गया निर्देश उस दायित्व को पूरा करना है जो इस तथ्य के साथ अभूतपूर्व स्थिति के कारण आवश्यक था कि उच्च न्यायालय ने भी एक सौम्य आशा व्यक्त की थी कि राज्य सरकार को कुछ व्यवस्था का पता लगाना चाहिए, इसलिए दिनांकित 28.10.2020 आदेश के माध्यम से निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया। इस तरह की शक्ति का प्रयोग एक नीतिगत मामले के रूप में भी किया जा सकता है और राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम है।

75. यह भी आग्रह किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकित 28.10.2020 आदेश के माध्यम से दिया गया निर्देश जारी किया जा सकता है

राज्य 2016 के अधिनियम की धारा 18 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। 76. राज्य की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान अपीलों में मुद्दा दिनांकित 28.10.2020 आदेश की न्याय्यता तक सीमित है और,

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा 08.02.2021 पर पारित अंतरिम आदेश में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी बकाया राशि

संबंधित गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को देय इकाई लागत का निपटान आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाता है, जो अनुचित था और इसे वापस लेने की आवश्यकता होती है। यह आग्रह किया जाता है कि इकाई लागत की गणना जटिल है और इसका आकलन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

77. राज्य के विद्वान वकील ने अपनी लिखित प्रस्तुति में अंततः इन अपीलों में दी जाने वाली राहत को निम्नलिखित शब्दों में संशोधित करने का सुझाव दिया है:

" 5. रीः वर्तमान मामले में राहत का मॉडुलन

ए.

राज्य सरकार द्वारा 09.04.2020 और 07.07.2020 पर जारी प्रारंभिक अधिसूचना ने अपनी उपयोगिता को समाप्त कर दिया है और खुद ही काम कर लिया है। संवैधानिक

न्यायालय नहीं करते हैं
किसी भी अकादमिक मामले पर चर्चा करें। की वैधता

बाद की घटनाओं के मद्देनजर 09.04.2020 और 07.07.2020 दिनांकित परिपत्र अकादमिक बन गए हैं।

ए.

दिनांकित 28.10.2020 आदेश भी पारित किया जा सकता है यदि निम्नलिखित राहत, अत्यंत विनम्रता के साथ दी जाती है:

(क) प्रत्येक विद्यालय का प्रबंधन धारा 6 (1) के संदर्भ में शुल्क संरचना का प्रस्ताव करेगा और इसे 15 दिनों की अवधि के भीतर विद्यालय स्तर की समिति के समक्ष रखेगा।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस माननीय न्यायालय के निर्णय की तारीख से। यह विशेष रूप से कोविड वर्ष के लिए होगा (2020-2021)

शुल्क के पूर्व निर्धारण के बावजूद।

(ख) प्रबंधन कोविड की विशेष परिस्थितियों और महामारी में कटौती को ध्यान में रखेगा।
कारकों के साथ कोविड के दौरान खर्च

2016 के अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित। प्रबंधन उचित होगा और प्रत्येक शीर्ष के तहत खर्च की व्याख्या करेगा जैसा कि क़ानून द्वारा आदेश दिया गया है। धारा 6 (4)

अधिनियम की धारा 8 के साथ संयोजन में पढ़ें।
(ग) विद्यालय स्तर की शुल्क समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर शुल्क को मंजूरी देगी।

(घ) कोविड वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क का अनिवार्य निर्धारण प्रत्येक स्कूल के लिए अलग से (अकेले) होगा।

2016 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

(ई) 2021-22 के लिए शुल्क का निर्धारण, उसके बाद, सामान्य रूप से इसके प्रावधानों के अनुसार हो सकता है।

2016 का अधिनियम।

इस प्रकार, इस माननीय न्यायालय के निर्णय की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर कोविड वर्ष के लिए अंतिम स्कूल शुल्क अस्तित्व में आ जाएगा। 28.10.2020 इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश उसी में समाहित हो जाएगा।

78. सुश्री प्रज्ञा बघेल के अनुसार, विद्वान वकील ने प्रतिनिधित्व किया

माता-पिता, राज्य सरकार ने शिक्षण शुल्क के 70 प्रतिशत के निर्धारण के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और यह निर्णय रिकॉर्ड पर किसी भी ठोस सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अलावा, हितधारकों, विशेष रूप से अभिभावक संघ को अवसर दिए बिना विवादित निर्णय लिया गया था। इस कारण से, राज्य सरकार को इस तरह के निर्णय को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब यह आग्रह किया जाता है कि 2005 के अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से व्यापक सार्वजनिक हित में थी और एक नीतिगत निर्णय होने के नाते न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। किसी भी मामले में, उचित मार्ग यह होगा कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और लोक शिक्षा बोर्ड के निदेशक द्वारा नामित सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों वाली एक विशेष समिति के समक्ष पक्षों को हटा दिया जाए, जो सभी हितधारकों को सुनने के बाद उचित निर्णय ले सकते हैं।

79. माता-पिता की ओर से एक लिखित निवेदन भी दायर किया गया है।

(श्री सुशील शर्मा और अन्य द्वारा) यह तर्क देते हुए कि ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा का एक मान्यता प्राप्त रूप नहीं है और यह निजी स्कूलों द्वारा बोर्ड द्वारा किसी भी परिभाषित पाठ्यक्रम के बिना अपने दम पर किया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोई योजना या बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। निजी स्कूलों द्वारा संबंधित बोर्डों से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं ली गई है और न ही ऑनलाइन शिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में माता-पिता से कोई प्रतिक्रिया ली गई है। यह आग्रह किया जाता है कि शिक्षण पद्धति या संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित किसी भी मानक संचालन प्रक्रिया या प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई एकरूपता नहीं है

निजी स्कूलों में। अनिवार्य रूप से निजी स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लिखित निवेदन में यह भी आग्रह किया गया है कि राज्य द्वारा की गई सिफारिश सरकार और ऑनलाइन कक्षाओं को क्षमता निर्माण कक्षाओं के रूप में मान्यता देना अनुचित है। अंत में, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय को उस अवधि के लिए पूरी फीस माफ करने का निर्देश देना

चाहिए जब स्कूल बंद थे और राज्य को निर्देश देना चाहिए कि वह स्कूलों में एन. ओ. आई. एस. के बराबर एक मानक समान शुल्क के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक निश्चित शुल्क निर्धारित करे और स्कूलों द्वारा ली गई परीक्षाओं को कानून में अमान्य घोषित करे और ऐसा अन्य निर्देश जारी करे जो आवश्यक हो।

पंजाब राज्य के निजी विद्यालयों से संबंधित उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही। यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने इस संबंध में कोई राय व्यक्त की है। 81. हमें श्री सुनील समदरिया द्वारा दायर लिखित निवेदन का भी लाभ मिलता है, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार रखने के लिए अनिवार्य रूप से हमारी सराहना की है और स्कूल शुल्क को उस प्रतिशत से कम करने के लिए निर्देश मांगे हैं जो दिनांकित आदेश में निर्दिष्ट है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। वास्तव में, वह भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम की सीमा तक गए हैं।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह सुझाव देते हुए कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल बंद रहने की अवधि के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप स्कूल प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी होगी। इस प्रतिवादी के अनुसार, स्कूलों ने बिजली शुल्क, पानी शुल्क, स्थिर शुल्क और अन्य विविध शुल्कों के लिए भारी राशि की बचत की है।

शुल्क जो विद्यालय के भौतिक संचालन के लिए आवश्यक हैं और जो विद्यालय द्वारा प्रासंगिक अवधि के लिए एकत्र नहीं किए जा सकते हैं।

82. जब इन अपीलों की सुनवाई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए चल रही थी, तो हमने अंतरिम निर्देश पारित करना उचित समझा।

जिनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में सभी पक्षों की चिंताओं को दूर करना था। वह आदेश 08.02.2021 पर पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

" एस. एल. पी. (सी) सं. 619/2021

एसएलपी (सी) Nos.27907-27916/2019, एसएलपी (सी) नंबर. 27987/2019 एसएलपी (सी) नंबर. 27881/2019, एसएलपी (सी) नंबर. 2942/2020, एसएलपी (सी) नंबर. 5902/2020, डायरी नंबर. 6803/2020, एसएलपी (सी) नंबर. 5470/2020, एसएलपी (सी) नंबर. सं. 5589/2020,
SLP (C) सं. 431/2021 डायरी सं. 44/2021 (XV), SLP (C) सं. 577-579/2021 और SLP (C) सं. 619/2021

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 3533 को याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर इन मामलों के साथ लिया जाता है।

इन मामलों की सुनवाई शुरू हो चुकी है और

भाग ने सुना। लेकिन, चूंकि सुनवाई में कुछ और समय लगने की संभावना है, इसलिए हम अंतरिम निर्देश पारित करना उचित समझते हैं जो

किसी न किसी रूप में सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान करना।

हम निम्नलिखित पर विवादित आदेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव करते हैं।

शर्तें:

(क) प्रबंधन/विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के साथ-साथ 2020-2021 के लिए शुल्क एकत्र कर सकते हैं।

छात्र, शैक्षणिक के लिए अधिसूचित शुल्क राशि के बराबर

वर्ष 2019-2020,5 मार्च, 2021 से शुरू होकर 5 अगस्त, 2021 को समाप्त होने वाली छह मासिक किश्तों में।

(ख) प्रबंधन किसी भी छात्र को [2021] 14 एस. सी. आर. सहित शुल्क, बकाया/बकाया शुल्क का भुगतान न करने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं या भौतिक कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) जहां माता-पिता को इस अंतरिम आदेश के संदर्भ में शुल्क जमा करने में कठिनाई होती है, तो यह उन माता-पिता के लिए खुला रहेगा। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित विद्यालय से संपर्क करना

विद्यालय का प्रतिनिधित्व और प्रबंधन करेगा

इस तरह के प्रतिनिधित्व पर मामले-दर-मामले के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(घ) उपरोक्त व्यवस्था शुल्क संग्रह को प्रभावित नहीं करेगी।

शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए, जो छात्रों द्वारा देय और देय होने पर देय होगा,

और जैसा कि प्रबंधन/विद्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ई) दसवीं और बारहवीं कक्षा (2021 में आयोजित होने वाली) के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल प्रबंधन

संबंधित माता-पिता/छात्र से वचन पत्र प्राप्त करने पर शुल्क/बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान न करने के आधार पर किसी भी छात्र/उम्मीदवार का नाम नहीं रखा जाएगा।

(च) उपरोक्त व्यवस्थाएं इन मामलों के परिणाम के अधीन होंगी, जिसमें पक्षों को दिए जाने वाले अंतिम निर्देश और अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना शामिल हैं।

इन कार्यवाहियों में पक्षकारों की।

(छ) हम राजस्थान राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि संबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को देय इकाई लागत के लिए सभी सरकारी बकाया का निपटान एक महीने के भीतर किया जाए।

आज से और किसी भी मामले में 31 मार्च, 2021 से पहले।

तदनुसार आदेश दिया। आंशिक रूप से सुना।

उपरोक्त मामलों की सुनवाई 15 तारीख को जारी रहेगी।

फरवरी, 2021 "।

83. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा था कि यदि न्यायालय इस अंतरिम व्यवस्था को पूर्ण बनाता है, तो

अपीलार्थी इस तरह के निर्देश से संतुष्ट होंगे। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उत्तरदाताओं, अर्थात् राज्य सरकार और माता-पिता की एक अलग धारणा है और उन्होंने अपीलार्थियों को किसी भी राहत देने का विरोध करने के लिए हमें पूरी तरह से संबोधित किया है।

भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

84. हमने श्री पल्लव शिशोदिया, श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री पुनीत जैन और विद्वान वकील श्री रोमी चाको को सुना है।

अपीलार्थियों की ओर से, डॉ. मनीष सिंघवी और श्री देवदत्त कामत, राजस्थान राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सुनील समदरिया, व्यक्ति।

85. शुरुआत में, इस निर्णय में हम जानबूझकर अपने विश्लेषण को वैधता और न्याय के संबंध में चुनौती/आधार तक सीमित रखने का विकल्प चुनते हैं।

राजस्थान राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांकित 28.10.2020 का आदेश और

केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए लागू। हम पक्षों द्वारा उठाए गए किसी अन्य मुद्दे का विज्ञापन या विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं और हो सकता है कि हमने इस संबंध में किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की हो।

86. निर्विवाद रूप से, एक अभूतपूर्व स्थिति विकसित हुई है

महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन का खाता। इसका व्यक्तियों, उद्यमियों, उद्योगों और पूरे देश पर गंभीर प्रभाव पड़ा

अर्थव्यवस्था और सभी की क्रय क्षमता के मामले सहित। इस तरह की आर्थिक उथल-पुथल के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी और आजीविका खो दी है। जो माता-पिता अत्यधिक तनाव में थे और यहां तक कि अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को संभालने में भी असमर्थ थे, उन्होंने राज्य भर में स्कूल प्रबंधन (ओं) के समक्ष उत्साहपूर्वक प्रतिनिधित्व किया। इस संबंध में मीडिया में एक सार्वजनिक चर्चा सामने आई जिसने राजनीतिक व्यवस्था को प्रेरित किया

हस्तक्षेप करें। इस प्रकार, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, विभाग ने शुरू में केवल स्कूल शुल्क के संग्रह को स्थगित करने के लिए 09.04.2020 का आदेश जारी किया, जिसे बाद के आदेश दिनांक 07.07.2020 द्वारा बढ़ाया गया था।

87. मामला उच्च न्यायालय तक पहुँच गया था और अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कुछ आदेश जारी किए थे

जिन निर्देशों के खिलाफ पक्षकारों ने अंतर-न्यायालय अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दरवाजा खटखटाया। अदालत की टिप्पणियों के सम्मान में अंतर-अदालत अपीलों के लंबित रहने के दौरान, राज्य प्राधिकरण ने 28.10.2020 पर आगे का आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ा, जो अनिवार्य रूप से इन अपीलों में हमलावर का विषय है।

88. उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त सौम्य आशा के आलोक में जारी किए गए दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश का बचाव करने के लिए राज्य को अपने तर्क पर विराम लगाने के लिए नहीं सुना जा सकता है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब कानून राज्य सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त

स्कूलों (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक, जैसा भी मामला हो) की स्कूल फीस के विषय में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

उस शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए राज्य द्वारा आह्वान किया गया है। सबसे पहले, यह 2016 के अधिनियम की धारा 18 के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम है। दूसरा, एक नीतिगत निर्णय होने के नाते, यह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के प्रयोग में माता-पिता की चिंताओं को कम करने के लिए एक कार्यकारी निर्देश जारी कर सकता है। तीसरा, इस तरह की शक्ति का उपयोग राज्य सरकार द्वारा माता-पिता की चिंताओं को कम करने और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए 2005 के अधिनियम के तहत उपायों में से एक के रूप में किया जा सकता है। अंत में, इस तरह का निर्देश राज्य प्राधिकरणों द्वारा 2020 के अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भी जारी किया जा सकता है।

90. अब हम राज्य सरकार द्वारा की गई दलीलों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

91. 2016 के अधिनियम की धारा 18 से प्राप्त शक्ति का स्रोत एक तुच्छ तर्क है। 2016 के अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार है:

" 18. निर्देश जारी करने की शक्ति। राज्य सरकार किसी भी स्कूल को इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसमें या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश में निहित किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं।

विद्यालय का प्रबंधन ऐसे प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा।

यह प्रावधान राज्य सरकार को राज्य के भीतर किसी भी स्कूल को सामान्य या विशेष निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, ऐसा निर्देश 2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। यह अधिनियम और नियमों के अधिदेश के विपरीत नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम और अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समीचीनता के कारण ऐसे निर्देशों की आवश्यकता होनी चाहिए।

नियम या लागू प्रावधानों को प्रभावी बनाना। यदि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निर्देश इन मापदंडों के योग्य नहीं है, तो इसका पालन करना चाहिए कि यह 2016 के अधिनियम की धारा 18 के तहत दी गई शक्ति से अधिक जारी किया गया है।

92. 2016 के अधिनियम की योजना का विश्लेषण करने के बाद, कम से कम दो पहलू स्पष्ट हैं। पहला यह है कि एक दृढ़ तंत्र है भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम शुल्क संरचना के निर्धारण के संबंध में 2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

एस. एल. एफ. सी. द्वारा अनुमोदन के रूप में और यदि आवश्यक हो, तो डी. एफ. आर. सी. और संशोधन समिति द्वारा निर्णय। में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है

2016 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्कूल शुल्क में संशोधन करने के लिए उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करने वाला अधिनियम या नियम। जबकि, 2016 के अधिनियम में स्पष्ट अधिदेश यह है कि संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निर्धारित शुल्क तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी तरह से तय किए जाने के बाद स्कूल की फीस में एकतरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद, कम से कम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए एक ही शुल्क संरचना को जारी रखना निषेध या जनादेश की प्रकृति में है। अपनी प्रकृति से, राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्देश 2016 के अधिनियम के तहत शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने की योजना और सभी संबंधितों पर तीन शैक्षणिक वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के लिए उसके बाध्यकारी प्रभाव के विपरीत है। इस प्रकार समझा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांकित आदेश के रूप में जारी किया गया निर्देश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने और अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन होने के दो परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करता है। 93. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 28.10.2020 दिनांकित आदेश निर्देश की प्रकृति में होने के कारण, 2016 के अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट पूर्व शर्तों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। कानून के मामले में, राज्य सरकार के पास शुल्क संरचना में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिसे संबंधित द्वारा अंतिम रूप दिया और तय किया गया है।

2016 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले ही पदाधिकारी/अधिकारी। नतीजतन, 2016 के अधिनियम की धारा 18 उत्तरदाताओं, विशेष रूप से राज्य सरकार के लिए दिनांकित 28.10.2020 आदेश को उचित ठहराने के लिए कोई उपयोगी नहीं होगी। 94. एक दुर्भाग्य, यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करने वाले उत्तरदाताओं का तर्क,

असफल होना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित मामलों तक फैली हुई है -

जिसे राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की क्षमता है और यह उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन पर कानून पहले ही पारित किया जा चुका है। यह भी सर्वसम्मत है कि राज्य सरकार संविधान या किसी भी कानून के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। शुल्क संरचना के निर्धारण का विषय और क्या यह मुनाफाखोरी में शामिल है, पहले से ही 2016 के अधिनियम और बनाए गए नियमों [2021] 14 एस. सी. आर. के रूप में कानून द्वारा कवर किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके नीचे। ऐसा नहीं है कि उस विषय या उसके किसी आनुषंगिक पहलू को शामिल करने वाला कोई अधिनियम नहीं है। 2016 का अधिनियम, जो अपने आप में एक स्व है

उक्त विषय पर कोड में न केवल उस तरीके का प्रावधान है जिसमें संबंधित स्कूल को अपनी शुल्क संरचना को अंतिम रूप देना चाहिए, बल्कि यह भी घोषित करता है कि शुल्क को आम सहमति से या उसके माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है।

निर्णय विधि सभी संबंधित लोगों के लिए तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए बाध्यकारी होगी। किसी भी मामले में, शुल्क का निर्धारण जिसमें उसकी कमी भी शामिल है, निजी क्षेत्र के प्रबंधन का अनन्य विशेषाधिकार है।

गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय। राज्य स्कूल प्रबंधन के उस निर्णय को विनियमित करने के लिए केवल इस हद तक स्वतंत्र तंत्र प्रदान कर सकता है कि इसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण न हो।

95. इस प्रकार, भारत संघ बनाम मूलचंद खराइती राम ट्रस्ट 3 4 पर निर्भरता का कोई लाभ नहीं होगा। उस मामले में, अस्पतालों

बिना कोई लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें सरकारी भूमि के आवंटन के बदले मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य थे और सार्वजनिक भलाई के लिए विश्वास में रखे गए थे। न्यायालय ने कहा कि कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

96. वर्तमान मामले में, हमें इस तथ्य पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इस तरह का आदेश जारी कर सकते थे।

संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाला नीतिगत दस्तावेज, जो विशेष रूप से केवल राज्य सरकार में निहित है। तथ्य यह है कि दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में जारी किया गया निर्देश, बिना किसी अपवाद के, स्कूल शुल्क के निर्धारण और तीन शैक्षणिक वर्षों की

अवधि के लिए सभी संबंधितों पर इसके बाध्यकारी प्रभाव के मामले में 2016 के अधिनियम में निर्दिष्ट व्यवस्था से टकराता है। तथ्य यह है कि इससे पहले की कार्यवाही में

उच्च न्यायालय, राज्य सरकार ने विवादित आदेश की पुष्टि की थी, मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। इसमें, राज्य सरकार द्वारा उस विषय के संबंध में कोई पूर्व कार्योत्तर अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है, जिस पर वह स्वयं कानून में ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

97. यहाँ तक कि राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य में भी प्रदर्शनी। बनाम। पंजाब राज्य 3 5 और सचिव, ए. पी. डी. जैन पाठशाला और अन्य। बनाम शिवाजी भागवत मोरे & Ors.[3]6 36 की सहायता के लिए नहीं आएंगे

34 (2018) 8 एससीसी 321 (पैरा 90 और 91) 35 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549

36 (2011) 13 एस. सी. सी. 99 इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाताओं को समान कारणों से। विशेष रूप से, न केवल शुल्क संरचना को अंतिम रूप देने के विषय और उसके आनुषंगिक मामलों को 2016 के अधिनियम के रूप में संहिताबद्ध किया गया है, बल्कि केंद्रीय अधिनियम के रूप में महामारी की स्थिति के दौरान मामलों से निपटने के लिए एक कानून भी बनाया गया है, जिसका नाम 2005 का अधिनियम है, जिसमें राज्य विधान यानी 2020 का अधिनियम शामिल है। वास्तव में, राज्य का कानून महामारी रोगों और इसके प्रबंधन के विषय से संबंधित है। यहां तक कि वे अधिनियम भी राज्य सरकार को निजी पक्षों के बीच मामलों के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं देते हैं, जिनके साथ राज्य का कोई सीधा संबंध नहीं है, जिसकी हम बाद में उचित स्थान पर जांच करेंगे। दूसरे शब्दों में, महामारी की स्थिति के दौरान मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल द्वारा पहले ही परिभाषित किया जा चुका है।

98. इस प्रकार, राज्य सरकार वैध नियमों के वाणिज्यिक या आर्थिक पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए तैयार नहीं है।

प्रबंधन की आड़ में दो निजी पक्षों के बीच विद्यमान अनुबंध/लेनदेन जिनके साथ राज्य का कोई प्रत्यक्ष कारण संबंध नहीं है

महामारी की स्थिति या दो निजी में से एक को "शमन" प्रदान करना

पार्टियाँ "दूसरे की कीमत पर"। यह पॉल को भुगतान करने के लिए पीटर को लूटने के समान है। यह एक अलग मामला है, अगर एक नीति के रूप में, राज्य सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की स्कूल फीस पर सब्सिडी देने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत विवादित

निर्देश जारी करने (स्कूल प्रबंधन को संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए कम स्कूल शुल्क वसूलने के लिए) के लिए खुद को कम अधिकार नहीं दे सकती है। हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि दो निजी पक्षों के बीच वैध निर्वाह अनुबंधों/लेन-देन के आर्थिक पहलुओं के संबंध में भी निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति का संरक्षण, यदि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की शुल्क संरचना के संबंध में स्वीकार किया जाता है, तो यह राज्य के लिए अनिर्धारित अनंत जोखिम और अनिश्चितता से भरा है। क्योंकि इसी तर्क को लागू करते हुए राज्य सरकार को जीवन के हर क्षेत्र में दो निजी व्यक्तियों के बीच अन्य संविदात्मक मामलों या लेनदेन के संबंध में इसी तरह की चिंताओं को दूर करना पड़ सकता है।

जो संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार से संबंधित हो सकता है। इससे न केवल पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, बल्कि राज्य को भी धक्का लगेगा। सरकार राज्य के लिए इसे आर्थिक रूप से असंभव और भारी बनाने वाले उपायों को कम करने के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों और वर्गों से सब्सिडी देने सहित मांगों को स्वीकार करेगी और अंततः ईमानदार करदाताओं पर बोझ डालेगी जो भी इसी तरह के भोग के हकदार हैं।

ऐसी मांगों के जवाब में राज्य के चयनात्मक हस्तक्षेप को भी भेदभाव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है और इससे नुकसान होने की भी संभावना है।

निजी व्यक्ति (ओं) के अधिकारों पर-माल या सेवा प्रदाता का आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो। राज्य संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग पेशकश करने वाले व्यक्ति को अस्वीकार करने के लिए नहीं कर सकता है।

ऐसी सेवा (ओं) या माल के प्राप्तकर्ता से उचित मुआवजा/लागत प्राप्त करने के उसके न्यायसंगत दावे की सेवा (ओं) या माल, जहां से राज्य का कोई प्रत्यक्ष कारण संबंध नहीं है।

99. यह कहना एक बात है कि राज्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की शुल्क संरचना को विनियमित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल प्रबंधन ऐसा करता है।

मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में लिप्त नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रयोग की आड़ में, यह विनियमन की रेखा को पार नहीं कर सकता है और "न्यायपूर्ण" को तय करने और एकत्र करने के लिए स्कूल की स्वायत्तता को बाधित नहीं कर सकता है और

" इसके छात्रों से अनुमेय "स्कूल शुल्क। यह निश्चित रूप से आवश्यक वस्तुओं जैसे कानून द्वारा शासित एक आवश्यक वस्तु नहीं है।

अधिनियम, 1955 राज्य को शुल्क या मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देता है। संविधान पीठ सहित इस न्यायालय द्वारा लगातार दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में, कि स्कूल शुल्क संरचना का निर्धारण (जिसमें प्रासंगिक अवधि के लिए निश्चित स्कूल शुल्क में कमी शामिल है) एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल चलाने वाले स्कूल प्रबंधन का अनन्य विशेषाधिकार है, यह सुनिश्चित करने के लिए शुल्क को विनियमित करने के लिए वैधानिक तंत्र प्रदान करने के अलावा उस पहलू को छूते हुए कानून बनाने के लिए विधानमंडल के लिए खुला नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण नहीं होता है। नतीजतन, राज्य सरकार भी इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।

100. विशेष रूप से, स्कूल प्रबंधन को विवादित आदेश में दिया गया निर्देश केवल वार्षिक का निर्दिष्ट प्रतिशत एकत्र करना है

टचूशन फीस इस धारणा पर कि स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पाठचक्रम पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपीलार्थियों ने इसके विपरीत संकेत देते हुए संबंधित बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा करके इस धारणा का खंडन किया है। किसी भी मामले में, यह स्कूल प्रबंधन को आवर्ती पूंजी खर्च करने से नहीं रोकता है और उनके शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रासंगिक अवधि के लिए उनका पूरा वेतन और परिलब्धियों का भुगतान करने सहित राजस्व व्यय। इसके लिए, स्कूल प्रबंधन को उनके वेतन से उपयुक्त राशि काटने का कोई संबंधित अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार, विवादित आदेश का प्रभाव अधिनियम के तहत निर्धारित स्कूल शुल्क को कम करना है

2016 के अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए प्राधिकरण का अभाव।

इसके अलावा, भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम। राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसके बावजूद, दिया गया निर्देश उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है। इसे संक्षिप्त रूप से कहने के लिए, जारी किया गया विवादित आदेश राज्य सरकार की शक्ति से परे मामलों के संबंध में है- शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल प्रबंधन मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण में लिप्त न हो। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में भी दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

101. 2005 के अधिनियम के प्रावधानों पर लौटना, इसमें कोई संदेह नहीं है

इसकी धारा 72 में भविष्यवाणी की गई है कि अधिनियम के प्रावधानों का उस समय लागू अन्य कानूनों या 2005 के अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में असंगत किसी भी चीज़ पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, यह प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब यह माना

जाए कि 2005 के अधिनियम के तहत सांविधिक प्राधिकरणों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूल शुल्क संरचना के विषय से निपटने की शक्ति है।

102. इसके लिए, हम उपयोगी रूप से 2005 के अधिनियम की धारा 23 का उल्लेख कर सकते हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए योजना की सामग्री प्रदान करती है। प्रत्येक राज्य के लिए तैयार रहना जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाता है। धारा 23 इस प्रकार है:

" 23. राज्य योजना। - (1) आपदा की एक योजना होगी प्रत्येक राज्य के लिए प्रबंधन को राज्य आपदा कहा जाएगा

प्रबंधन योजना।

(2) राज्य योजना राज्य कार्यपालिका द्वारा तैयार की जाएगी।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय अधिकारियों, जिला अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह के परामर्श के बाद जो राज्य कार्यकारी समिति उचित समझे।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई राज्य योजना को राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
(4) राज्य योजना में शामिल होंगे -

(क) राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता;

(ख) रोकथाम और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय

आपदाएँ;

(ग) जिस तरीके से शमन उपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा; [2021] 14 एस. सी. आर.

(घ) क्षमता-निर्माण और तैयारी के उपाय

(ङ) निर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।
उपरोक्त खंड (बी), (सी) और (डी) में;

(च) विभिन्न विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

राज्य सरकार के किसी भी जवाब में आपदा की स्थिति या आपदा का खतरा;

(5) राज्य योजना की वार्षिक रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार द्वारा उचित प्रावधान किए जाएंगे।

राज्य के तहत किए जाने वाले उपायों के लिए वित्तपोषण के लिए

योजना बनाएँ। (7) उप-धारा (2) और (5) में निर्दिष्ट राज्य योजना की प्रतियां

सरकार के विभागों को उपलब्ध कराया जाए

राज्य और ऐसे विभाग अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करेंगे।

राज्य योजना के अनुसार "।

103. 2005 के अधिनियम की योजना के अनुसार, राज्य प्राधिकरण

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जानी जाने वाली धारा 14 के तहत स्थापित आपदा के लिए नीतियों और योजनाओं को तैयार करने की उम्मीद है।

दो निजी व्यक्तियों के बीच लेनदेन जिनके साथ राज्य का कोई प्रत्यक्ष कारण संबंध नहीं है, और विशेष रूप से जब मुआवजे/लागत/शुल्क का निर्धारण माल के आपूर्तिकर्ता या निर्माता या सेवा प्रदाता का विशेषाधिकार है। अधिनियम की योजना 2005 आपदा के "प्रत्यक्ष प्रभाव" से उत्पन्न व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने और शमन के उपाय करने के लिए राज्य प्राधिकरण को बाध्य करता है।

37 धारा 2 (i) "शमन" का अर्थ है किसी आपदा या आपदा की स्थिति के जोखिम, प्रभाव या प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उपाय; भारतीय विद्यालय, जोधपुर v.

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

ऐसी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए और उस उद्देश्य के लिए,

क्षमता-धारा 2 (पी) में उल्लिखित अपने स्वयं के संसाधनों, मानव शक्ति, सेवाओं, सामग्रियों और प्रावधानों सहित 38 का निर्माण, और धारा 2 (एम) में निर्दिष्ट तैयारी 40 उपाय। यह संभव नहीं है कि प्रत्यर्थियों के प्रेरक तर्क को स्वीकार करें कि 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को व्यापक अर्थ दिया

जाए ताकि 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की स्कूल फीस को कम करने की शक्ति को शामिल किया जा सके और जो कानून द्वारा शैक्षणिक वर्ष तक लागू रहना है।

104. जैसा कि 2005 के अधिनियम की प्रस्तावना से देखा गया है, यह है -

आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह अधिनियम उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सांविधिक समितियों की स्थापना करने के लिए है जिनके लिए अधिनियम लागू किया गया है। यह अनिवार्य रूप से आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और मामलों के लिए है। इसके साथ जुड़ा हुआ या प्रासंगिक है। "आपदा" शब्द को 2005 के अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

((घ) "आपदा" से आपदा, दुर्घटना, आपदा या कब्र अभिप्रेत है। प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में घटना,

या दुर्घटना या लापरवाही से जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान होता है

जीवन या मानव पीड़ा या संपत्ति को नुकसान और विनाश,

या पर्यावरण को क्षति पहुँचाना या उसका क्षरण करना, और ऐसा है

प्रकृति या परिमाण की मुकाबला करने की क्षमता से परे होना

प्रभावित क्षेत्र का समुदाय;

105. 2005 के अधिनियम के तहत बनाए गए प्राधिकरण अपेक्षित हैं।

आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों से निपटना। "आपदा प्रबंधन" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

38 धारा 2 (बी) "क्षमता-निर्माण" में (i) अर्जित या सृजित किए जाने वाले मौजूदा संसाधनों और संसाधनों की पहचान; (ii) उपखंड (i) के तहत पहचाने गए संसाधनों का अधिग्रहण या सृजन शामिल है।

(iii) आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कर्मियों का संगठन और प्रशिक्षण और इस तरह के प्रशिक्षण का समन्वय;

39 धारा 2 (पी) "संसाधनों" में श्रमशक्ति, सेवाएं, सामग्री और प्रावधान शामिल हैं; 40 धारा 2 (एम) "तैयारी" का अर्थ है एक खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की स्थिति; [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

(ई) "आपदा प्रबंधन" का अर्थ है निरंतर और एकीकृत प्रबंधन। नियोजन, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की प्रक्रिया

ऐसे उपाय जो आवश्यक या समीचीन हों

((i) किसी भी आपदा के खतरे या खतरे की रोकथाम;

((ग) क्षमता-निर्माण; ((iv) किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी;

(v) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति के लिए त्वरित प्रतिक्रिया या

आपदा;

(vii) निकासी, बचाव और राहत। (viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;

106. 2005 के अधिनियम की धारा 18 का विज्ञापन करना भी उपयोगी है।

जो धारा 14 के तहत स्थापित राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष (पदेन) और संबंधित प्राधिकरणों के अन्य अध्यक्षों के रूप में कार्य करते हैं। धारा 18 इस प्रकार है:

" 18. राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य। — (1) विषय

इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए, एक राज्य प्राधिकरण के पास होगा

राज्य में प्रबंधन। (2) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

उप-धारा (1), राज्य प्राधिकरण

(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करना;

(ख) दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य योजना को मंजूरी दें।

(ग) द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देना। राज्य सरकार के विभाग; भारतीय विद्यालय, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(घ) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करें - आपदाओं की रोकथाम और उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में शमन के उपायों का एकीकरण और

इसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(ङ) राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना; (च) शमन के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना और

तैयारी के उपाय;

(छ) विभिन्न राज्यों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना।

राज्य के विभाग और यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम और

शमन उपायों को इसमें एकीकृत किया गया है;

(ज) राज्यों के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना।

राज्य सरकार और ऐसे दिशा-निर्देश जारी करें जो हो सके

आवश्यक है।

(3) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष, की स्थिति में

आपात स्थिति में, सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति है

राज्य प्राधिकरण लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग विषय होगा

राज्य प्राधिकरण के पूर्व कार्योत्तर अनुसमर्थन के लिए।

107. के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार का दायित्व

प्रबंधन को धारा 38 से निकाला जा सकता है, जो कहता है

" 38. राज्य सरकार उपाय करे। - (1) विषय के अधीन

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सभी उपाय करेगी और ऐसे आगे के उपाय करेगी जो उसे आवश्यक या आवश्यक लगे।

आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए समीचीन।

(2) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार जो उपाय कर सकती है, उनमें सभी या इनमें से किसी के संबंध में उपाय शामिल हैं। निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

(क) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य गैर-सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय।

संगठन;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, [2021] 14 एस. सी. आर. को आपदा प्रबंधन में सहयोग और सहायता।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

राज्य प्राधिकरण और राज्य कार्यकारी समिति और जिला प्राधिकरण;

(ग) आपदा में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के साथ सहयोग और सहायता करना।

इसके द्वारा उपयुक्त; (घ) रोकथाम के उपायों के लिए धन का आवंटन

राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा, शमन, क्षमता-निर्माण और तैयारी

(ई) यह सुनिश्चित करना कि आपदा की रोकथाम या शमन के लिए विभागों द्वारा उपायों का एकीकरण राज्य सरकार अपनी विकास योजनाओं में और

परियोजनाएँ; (च) राज्य विकास योजना में राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करने या कम करने के उपायों को एकीकृत करना;

(छ) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना;

(ज) तक पर्याप्त चेतावनी प्रणालियों की स्थापना

कमजोर समुदायों का स्तर;

(i) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्राधिकरण उचित कदम उठाएं।

(जे) यह सुनिश्चित करना कि आपदा या आपदा की स्थिति में, सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन राज्य के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरणों को, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है:

किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा में प्रभावी प्रतिक्रिया, बचाव और राहत।

(के) किसी भी आपदा के पीड़ितों को पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान करें; और ए. एन. स्कूल, जोधपुर v.

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(1) ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक या समीचीन समझते हैं।

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

इस अधिनियम के प्रावधान "।

राज्य के विभागों की संबंधित जिम्मेदारियों को धारा 39 में चित्रित किया गया है, जो इस प्रकार है:

राज्य के विभागों की जिम्मेदारियाँ

आरएनमेंट। यह हर विभाग की जिम्मेदारी होगी।

किसी राज्य की सरकार को

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करना;

(ख) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम और शमन के उपायों को एकीकृत करना; (ग) आपदा की रोकथाम, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए धन आवंटित करना।

(घ) राज्य योजना के अनुसार और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी के दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए प्रभावी ढंग से और तुरंत प्रतिक्रिया दें।

समिति;

(ङ) आपदाओं की रोकथाम, शमन के लिए आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने की दृष्टि से इसके द्वारा प्रशासित अधिनियमों, इसकी नीतियों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना।

या तैयारी;

(च) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना।

समिति, राज्य कार्यकारी समिति और जिला अधिकारियों के लिए

(i) शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं, क्षमता निर्माण, डेटा संग्रह और पहचान तैयार करना।

और आपदा के संबंध में कार्मिकों का प्रशिक्षण

प्रबंधन;

((ख) किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन करना। (iii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना; [2021] 14 एस. सी. आर.

जिला स्तर पर अपने अधिकारियों द्वारा; (ज) राज्य में किसी भी आपदा का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरणों को अपने संसाधन उपलब्ध कराना, जिसमें उपाय भी शामिल हैं।

के लिए

(i) किसी असुरक्षित व्यक्ति के साथ आपातकालीन संचार प्रदान करना।

या प्रभावित क्षेत्र;

((ii) कर्मियों और राहत सामग्री को आने-जाने के लिए परिवहन

प्रभावित क्षेत्र;

(iii) निकासी, बचाव, अस्थायी आश्रय प्रदान करना या

अन्य तत्काल राहत;

((iv) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के क्षेत्र से व्यक्तियों या जीवित पशुओं को निकालना;

(v) अस्थायी पुलों, जेटी और लैंडिंग की स्थापना

स्थान;

(vi) पीने का पानी, आवश्यक प्रावधान प्रदान करना,

प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ और सेवाएं;

((i) आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक अन्य कार्य।

109. अधिनियम के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति

धारा 20 में वर्णित कार्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य है।

अधिनियम के 22 पर। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" 22. राज्य कार्यकारी समिति के कार्य। — (1) द.

राज्य कार्यकारी समिति की जिम्मेदारी होगी -

राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को लागू करना और

आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय

राज्य।

(2) उप के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा (1), राज्य कार्यकारी समिति

(ए) के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी

राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना; एक स्कूल, जोधपुर बनाम।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

(ख) आपदाओं के विभिन्न रूपों के प्रति राज्य के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता की जांच करें और उनकी रोकथाम या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को निर्दिष्ट करें; (ग) आपदा की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

सरकार के विभागों द्वारा प्रबंधन योजनाएं

राज्य और जिला प्राधिकरणों;

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

और जिला प्राधिकरण;

(ङ) निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

राज्य प्राधिकरण द्वारा उपायों के एकीकरण के लिए

आपदाओं की रोकथाम और विभागों द्वारा शमन

उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में; (च) किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा का जवाब देने के लिए सभी सरकारी या गैर-सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन करें और जहां आवश्यक हो, निर्देश दें।

ऐसी तैयारी को बढ़ाने के लिए;

(छ) किसी भी खतरे की स्थिति में समन्वय प्रतिक्रिया

आपदा की स्थिति या आपदा;

(ज) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय को किसी भी धमकी के जवाब में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्देश देना।

आपदा की स्थिति या आपदा;

(i) विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में सामान्य शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

ऐसी आपदा को कम करना और उसका जवाब देना; (जे) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों और आपदा में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों को सलाह, सहायता और समन्वय प्रदान करना।

प्रबंधन;

(के) आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें या जिला प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सलाह दें; [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) आपदा प्रबंधन के संबंध में सभी वित्तीय मामलों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना।

(एम) राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की जांच करें और यदि यह राय है कि आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे निर्माण के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है जो ऐसे अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

मानक;

(एन) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण को जानकारी प्रदान करना;
(ओ) राज्य स्तर की प्रतिक्रिया योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित, समीक्षा और अद्यतन करें और यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर की योजनाएं

तैयार, समीक्षा और अद्यतन;
(पी) यह सुनिश्चित करें कि संचार प्रणालियां व्यवस्थित हैं और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं;

(क्यू) ऐसे अन्य कार्यों का पालन करें जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो वह आवश्यक समझे।

110. 2005 के अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह है -

यह समझ से परे है कि किस प्रकार उक्त अधिनियम के तहत स्थापित राज्य प्राधिकरण वैध निर्वाह संविदात्मक मामलों या उनके बीच लेनदेन के आर्थिक पहलुओं पर निजी पक्षों को निर्देश जारी करने की शक्ति का अहंकार कर सकते हैं। किसी भी मामले में, 2005 के अधिनियम में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण

द्वारा विवादित आदेश जारी नहीं किया गया है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वही निर्देशों के तहत जारी किया गया था

राज्य के मुख्यमंत्री। क्योंकि, मुख्यमंत्री केवल 2005 के अधिनियम की धारा 14 के तहत स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (पदेन) हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 2005 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित स्कूल शुल्क संरचना को बाधित करने के विषय से संबंधित या नियंत्रित करता हो।

111. 2005 के अधिनियम की धारा 72 को सेवा में लगाया गया था।

हालाँकि, यह दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को सही ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। धारा 72 इस प्रकार है:

" 72. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। — इसके प्रावधान किसी भी असंगत भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम के बावजूद, अधिनियम का प्रभाव होगा।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में निहित है।

यह अधिनियम "।

2005 का अधिनियम सभी कठिनाइयों के लिए रामबाण नहीं है, कम से कम आपदा प्रबंधन (धारा 2 (ई)) से संबंधित नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2005 के अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (या राज्य सरकार) महामारी की स्थिति के कारण स्कूल शुल्क संरचना के संबंध में आदेश और निर्देश जारी करेंगे।

112. इन्हीं कारणों से, महामारी से निपटने के लिए राज्य के कानून 2020 के प्रावधानों पर निर्भरता रखी गई है निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किए गए दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को सही ठहराने के लिए रोगों का कोई लाभ नहीं होगा। महामारी रोग के संबंध में विशेष उपाय करने और विनियमन निर्दिष्ट करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा 2020 के अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जा सकता है। धारा 4 इस प्रकार है:

" 4. विशेष उपाय करने और विनियम निर्दिष्ट करने की शक्ति

महामारी रोग के बारे में। — (1) किसी भी समय सरकार

इस बात से संतुष्ट है कि राज्य या उसके किसी भाग का दौरा किया गया है या

किसी भी महामारी के प्रकोप का खतरा, सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकती है, जो वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझती है।

जनता द्वारा पालन किए जाने वाले अस्थायी विनियम या आदेश या

किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ताकि प्रकोप को रोका जा सके

ऐसी महामारी या उसका प्रसार और आवश्यकता या

जिला कलेक्टरों को ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना।

जैसा कि उक्त विनियमों या आदेशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार, सरकार उपाय कर सकती है और

विनियम निर्दिष्ट करें,

(क) सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपयोग या कार्य को प्रतिबंधित करना।

किसी भी सभा, उत्सव, पूजा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में महामारी रोगों को फैलाने या प्रसारित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है

या राज्य के भीतर ऐसी अन्य गतिविधियाँ;
(ख) हवाई, रेल, सड़क या किसी अन्य माध्यम से या संगरोध में या अलगाव में राज्य में आने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण करना, जैसा भी मामला हो, अस्पताल, अस्थायी आवास, घर [2021] 14 एस. सी. आर.

या अन्यथा संक्रमित होने के संदेह वाले व्यक्तियों के विनियमन या आदेशों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी कोई बीमारी;

आवश्यक;

(घ) जनता के संचालन पर प्रतिबंध लगाना और

निजी परिवहन;

(ई) सामाजिक दूरी के मानदंड या जनता के लिए कोई अन्य निर्देश निर्धारित करना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

महामारी;

(च) सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करना। धार्मिक संस्थान या पूजा स्थल;

(छ) कार्यालयों, सरकारी और निजी और शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित या प्रतिबंधित करना।

राज्य;

(ज) दुकानों और वाणिज्यिक और अन्य कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के कामकाज पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाना,

कारखाने, कार्यशालाएं और गोदाम;

(i) बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी, ईंधन आदि जैसी आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं में सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करना। ; और (जे) ऐसे अन्य उपाय जो महामारी रोगों के विनियमन और रोकथाम के लिए आवश्यक हो सकते हैं जैसा कि तय किया गया है।

सरकार द्वारा "।

2020 के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित उपाय किसी भी तरह से हवाई, रेल, सड़क, अस्पताल, अस्थायी शुल्कों से संबंधित नहीं हैं।

आवास। यह केवल प्राधिकरण को किसी भी उपयोग को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है या

ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें सरकार महामारी रोगों को फैलाने या प्रसारित करने के लिए पर्याप्त मानती है और उस उद्देश्य के लिए ऐसी बीमारियों से संक्रमित होने के संदेह वाले विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करना। वास्तव में, यह सरकारी और निजी और शैक्षिक कार्यालयों के कामकाज को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है। राज्य में संस्थान। हालाँकि, यह केवल इसके उपयोग के तरीके और मानक संचालन का पालन करने सहित इसके समय के संबंध में होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं कि महामारी की बीमारियां उसमें की गई गतिविधियों के कारण न फैलती हैं या न फैलती हैं। विनियमित करने की वह शक्ति भारतीय स्कूल, जोधपुर बनाम नहीं हो सकती।

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क, शुल्क या लागत को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाए और दो निजी पक्षों के बीच संविदात्मक मामलों के विशेष रूप से आर्थिक पहलुओं में या निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूल शुल्क को कहें। तदनुसार, राज्य द्वारा दिनांकित 28.10.2020 के विवादित आदेश को सही ठहराने के लिए आग्रह किया गया अंतिम बिंदु भी जमीन पर गिर जाता है।

113. एक प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पास शुल्क संरचना के संबंध में निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था

2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष के लिए इसे कम करना शामिल है। शक्ति के वैध स्रोत का पता लगाने में विफल रहने के बाद, जिसके तहत निर्देश जारी किए गए हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उत्तरदाता-राज्य अधिकारी महामारी की स्थिति के कारण कई माता-पिता द्वारा की गई कठिनाइयों के बारे में किए गए अभ्यावेदन की पृष्ठभूमि में आवश्यक कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई सौम्य आशा से पीछे नहीं हट सकते हैं। यह एक अलग बात होती अगर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने अच्छे पदों का उपयोग संबंधित स्कूल (स्कूलों) के स्कूल प्रबंधन (स्कूलों) को प्रभावित करने के लिए किया होता ताकि वे शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने दम पर कम करने वाले उपायों/विकल्पों का पता लगा सकें और अपने छात्रों को कम से कम अप्रयुक्त सुविधाओं और उस ओर से स्कूल प्रबंधन द्वारा ओवरहेड पर बचत के संबंध में या योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में रियायत देने के लिए रियायत दे सकें। अपीलार्थियों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने अपने दम पर अपने छात्रों को वार्षिक शुल्क का 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति की पेशकश की थी। दूसरे शब्दों में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्कूल प्रबंधन संघ और प्रतिनिधियों के बीच मध्यस्थता कर सकते थे मानवीय आधार पर शैक्षणिक वर्ष के लिए महामारी की स्थिति के कारण एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ का, लेकिन विवादित आदेश जारी नहीं कर सका, जब कि राज्य के पास भी इसे जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

114. तदनुसार, अपीलकर्ताओं को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किए गए दिनांकित 28.10.2020 आदेश को लागू करने में न्यायसंगत माना जाता है और उन्हें ऐसा करना चाहिए

सफल होते हैं। हालाँकि, यह अपीलार्थियों को कठोर होने और महामारी के बाद के बारे में संवेदनशील नहीं होने का लाइसेंस नहीं देता है। माना जाता है कि शिक्षा प्रदान करने की धर्मार्थ गतिविधि में लगे स्कूल प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वह उस स्थिति के प्रति उत्तरदायी और जीवित रहे और छात्रों और उनके माता-पिता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करे। यह स्कूल प्रबंधन पर है कि वह स्कूल शुल्क के भुगतान को इस तरह से पुनर्निर्धारित करे कि एक भी [2021] 14 एस. सी. आर. न हो।

छात्र को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित या वंचित कर दिया जाता है, ताकि कहावत "जियो और जीने दो" को प्रभावी बनाया जा सके।

115. कानून में, स्कूल प्रबंधन को उन गतिविधियों और सुविधाओं के संबंध में शुल्क एकत्र करने के लिए नहीं सुना जा सकता है जो वास्तव में, उनके छात्रों को उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण प्रदान नहीं की जाती हैं या उनका लाभ नहीं उठाया जाता है। ऐसी गतिविधियों पर अधिभार के संबंध में भी शुल्क की मांग करना

पेट्रोल/डीजल, बिजली, रखरखाव लागत, पानी शुल्क, स्टेशनरी शुल्क आदि जैसी वस्तुएँ। वास्तव में, ओवरहेड्स और इस तरह से बचाई गई परिचालन लागत कुछ भी नहीं होगी, बल्कि प्रासंगिक अवधि के दौरान छात्रों को ऐसी सुविधाओं की पेशकश किए बिना स्कूल द्वारा अनुचित रूप से अर्जित राशि होगी। शुल्क होने के कारण, क्विड प्रो क्वो का सिद्धांत लागू होना चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा कोई सटीक (तथ्यात्मक) अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह की बचत किस हद तक की गई है या की जा सकती है या स्कूल प्रबंधन द्वारा प्राप्त लाभ के बारे में। गणितीय सटीक दृष्टिकोण पर जोर दिए बिना, हम मान लेंगे कि स्कूल प्रबंधन ने स्कूल द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कूल शुल्क का लगभग 15 प्रतिशत बचा लिया होगा।

संबंधित अवधि के लिए अधिकारी।

116. इस स्तर पर, हमें अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा लिए गए रुख का विज्ञापन करना चाहिए कि अपीलार्थी संतुष्ट होंगे

इस न्यायालय द्वारा 08.02.2021 पर पारित अंतरिम आदेश की अंतिम आदेश के रूप में पुष्टि की जा रही है। यह सुझाव वास्तव में आकर्षक है, लेकिन यह व्यवस्था

स्कूल प्रबंधन द्वारा उन सुविधाओं के संबंध में खर्च नहीं किए गए अधिभार/खर्चों के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बचत की गई राशि का प्रावधान नहीं है जिनका उपयोग नहीं किया गया है या स्कूल प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन की स्थिति के कारण छात्रों को प्रदान नहीं किया जा सका है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम मान लेंगे कि वार्षिक स्कूल शुल्क का कम से कम 15 प्रतिशत स्कूल प्रबंधन द्वारा बचाए गए ओवरहेड/खर्चों के लिए होगा। हालांकि, यह धारणा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के स्कूल प्रबंधन द्वारा वास्तविक बचत की तुलना में अधिक है, फिर भी हम उस प्रतिशत को तय करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने और फैलाने की धर्मार्थ गतिविधि करने में लगे हुए हैं न कि पैसा कमाने में। कि उन्हें स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से करना चाहिए। इसलिए, अनुरूप राशि का संग्रह (15 प्रति भारतीय स्कूल, जोधपुर v.

राजस्थान राज्य

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021) के लिए वार्षिक स्कूल शुल्क का प्रतिशत, स्कूल प्रबंधन द्वारा मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण का मामला होगा।

117. आम तौर पर, हमने यह उचित समझा होगा कि स्कूल शुल्क को फिर से निर्धारित करने के लिए नियामक प्राधिकरण के समक्ष पक्षों को हटा दिया जाए।

इस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें छात्रों द्वारा उपयोग नहीं की गई सुविधाओं के संबंध में बिना खर्च किए गए अधिभार/खर्चों के कारण स्कूल प्रबंधन द्वारा प्राप्त लाभ भी शामिल है, शैक्षणिक वर्ष 2020-21। हालाँकि, उस मार्ग को उस व्यवस्था से दूर किया जा सकता है जिसे हम इस निर्णय के संदर्भ में निर्देशित करने का प्रस्ताव करते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक शुल्क संरचना के निर्धारण में 36,000 से अधिक स्कूलों द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं की अनिश्चितता सहित कार्यवाही की बहुलता (क्योंकि स्कूल शुल्क संरचना स्कूल-स्कूल वार से जुड़ी हुई है) से बचने के लिए, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए एक बार का उपाय, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं:

((i)

अपीलार्थी (संबंधित का विद्यालय प्रबंधन)

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय) अपने छात्रों से 2016 के अधिनियम के तहत निर्धारित वार्षिक स्कूल शुल्क एकत्र करेंगे।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2020 की प्रासंगिक अवधि के दौरान छात्रों द्वारा अप्रयुक्त सुविधाओं के बदले में उस राशि पर 15 प्रतिशत की कटौती प्रदान करके।

संबंधित छात्रों द्वारा देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

((ख)

05.08.2021 से पहले छह समान मासिक किश्तों में, जैसा कि उल्लेख किया गया है

हमारे दिनांकित 08.02.2021 आदेश में।

(111) उपरोक्त के बावजूद, अपीलकर्ताओं (संबंधित स्कूलों) के लिए यह खुला रहेगा कि वे अपने छात्रों को और रियायत दे सकें।

छात्र या उपरोक्त खंड (i) और (ii) में उल्लिखित रियायत देने के लिए एक अलग पैटर्न विकसित करना।

((iv) विद्यालय प्रबंधन किसी भी छात्र को स्कूल जाने से नहीं रोकेगा।

ऊपर निर्दिष्ट किश्तों सहित शुल्क, बकाया/बकाया शुल्क का भुगतान न करने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं या भौतिक कक्षाओं में भाग लेना, और उस खाते पर किसी भी छात्र की परीक्षाओं के परिणामों को नहीं रोकेगा।

(v) यदि माता-पिता/वार्ड द्वारा कोई व्यक्तिगत अनुरोध किया जाता है, तो शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए वार्षिक शुल्क जमा करने में कठिनाई होती है।

21 उपरोक्त शर्तों में, स्कूल प्रबंधन मामले-दर-मामले के आधार पर इस तरह के प्रतिनिधित्व पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

(vi) उपरोक्त व्यवस्था शुल्क संग्रह को प्रभावित नहीं करेगी।

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए, जैसा कि संबंधित विद्यालय के छात्रों द्वारा देय है और जब यह देय हो जाता है और

देय।

(vii) विद्यालय प्रबंधन नाम को नहीं रोकेगा

10 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई भी छात्र/उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क/बकाया का भुगतान न करने के आधार पर, यदि कोई हो,

संबंधित माता-पिता/छात्रों का वचन प्राप्त करना।

118. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम सामान्य जारी कर रहे हैं

उपयोग न की गई सुविधाओं/गतिविधियों के बदले में वार्षिक स्कूल शुल्क के 15 प्रतिशत की कटौती का एक समान निर्देश, न कि वास्तविक डेटा स्कूल के आधार पर। जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमने टालने योग्य मुकदमेबाजी को रोकने और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल शुल्क के निर्धारण और संग्रह के मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए ऐसा करने का विकल्प चुना है। समय माप जो इन अपीलों का

विषय है। हमने जानबूझकर वार्षिक स्कूल शुल्क से कटौती की मात्रा को 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है, हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इसके बारे में उल्लेख किया था।

योग्य छात्रों को 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान करने की इच्छा, क्योंकि हमने स्कूल प्रबंधन को शैक्षणिक वर्ष के लिए वार्षिक स्कूल शुल्क एकत्र करने के लिए मजबूर किया है, जैसा कि शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, जिस पर कुछ स्कूल प्रबंधन 2016 के अधिनियम की धारा 6 (5) के संदर्भ में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए वैध रूप से कह सकते थे।

119. जैसा कि हम इस फैसले के संदर्भ में अपीलों का निपटारा कर रहे हैं, विवादित फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अवमानना याचिकाओं का भी निपटारा करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम विवादित फैसले के संबंध में शुरू की गई सभी अवमानना याचिकाओं का निपटारा करना उचित समझते हैं, क्योंकि इस फैसले से उन्हें पलट दिया जा रहा है।

120. विदा लेते समय, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यर्थी-राजस्थान राज्य ने वापस बुलाने/संशोधन के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस न्यायालय के दिनांक 08.02.2021 के आदेश के खंड (जी) में दिया गया निर्देश-निर्दिष्ट समय के भीतर संबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को देय इकाई लागत के लिए बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए। यह आग्रह किया जाता है कि तथ्यों की जटिलता के कारण, प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं था

31.03.2021 से पहले की गणना। सबसे पहले, उस दिशा को वापस बुलाने या संशोधित करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम इस तथ्य से अवगत थे कि यह इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय नहीं है।

फिर भी, इस तरह का निर्देश स्थिति की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान राज्य को इकाई लागत के लिए संबंधित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के बकाया का भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश देकर निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को राहत देने के लिए जारी किया गया था। तदनुसार, हम उस निर्देश को दोहराते हैं लेकिन राज्य सरकार को जुलाई 2021 के अंत से पहले राजस्थान राज्य में संबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को इकाई लागत के लिए देय बकाया राशि की गणना और वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय देते हैं। इस निर्देश के संदर्भ में भुगतान किया जाने वाला बकाया स्पष्ट रूप से 2020-21 तक के शैक्षणिक वर्ष के संबंध में होगा। 121. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने पक्षों द्वारा भरोसा किए गए प्रत्येक रिपोर्ट किए गए निर्णय पर विस्तार नहीं किया है, क्योंकि हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि, उन निर्णयों में कुछ भी असंगत नहीं है।

आदेश

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,

(अ)

हम वैधता को चुनौती देने वाली अपीलों के पहले सेट का निपटारा करते हैं

2016 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अवलोकन और अधिनियम की धारा 4,7 और 10 को पढ़कर उपरोक्त पैराग्राफ 52 में दर्ज निष्कर्ष और निर्देश देते हैं कि अब से इसे अनुरूपता में लागू किया जाए। इस निर्णय में घोषित कानून के साथ।

(ख)

हालाँकि, अपीलों के दूसरे सेट की अनुमति है

पैराग्राफ 117 में उल्लिखित उपरोक्त शब्दों सहित। उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश दिनांकित

18.12.2020 रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। इसके बजाय, विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय और उससे पहले दायर रिट याचिकाओं पर सवाल उठाने वाली अपीलकर्ताओं द्वारा अंतर-न्यायालय अपीलें की जाती हैं।

दिनांकित विवादित आदेश पर हमला करने के लिए उच्च न्यायालय

28.10.2020 , इस निर्णय के संदर्भ में निपटाया जाएगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिकाएँ

((ग)

इन अपीलों के विषय के संबंध में भी निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन